राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही

राजस्थान विधान सभा के प्रथम आय-व्यय (बजट) सत्र की कार्यवाही

सोलहवीं बैठक मंगलवार, दिनांक २२ अप्रेल, १९५२।

सभा की बैठक आज तारीख २१ अप्रेल, १९५२ को सवाई मानसिंह टाउन हाल, जयपुर, में ८ बजकर ३० मिनट पर प्रारम्भ हुई। माननीय अध्यक्ष (श्री नरोत्तमलाल जोशी) अध्यक्ष पद पर आसीन।

प्रश्नोत्तर

अल्प-काल सूचना प्रश्न

श्री चांदमल मेहता:--रूल्स ओफ प्रोसीजर खण्ड २० के उपखण्ड २ में यह बताया गया है कि सदस्यों को यह सूचना देने की आवश्यकता है कि उनके द्वारा भेजे गये प्रश्न अनुमोदित किये गये हैं या नहीं। मैंने ८ प्रश्न भेजे थे जिनके बारे में मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। वह सूचना क्यों नहीं दी गई है?

माननीय अध्यक्ष:--प्रश्नों के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किये जाने के विषय में जो बात उठाई गई है उसके बारे में यह स्पष्ट कर दिया जाना आवश्यक है कि १५ रोज पहले जो प्रश्न आते हैं उनका उत्तर हाउस के सम्मुख दिये जाने आवश्यक हैं और १५ रोज से कम के नोटिस के जो प्रश्न आते हैं वे संबंधित मंत्री महोदयों के पास भेज दिये जाते हैं, और यह उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वे उनका उत्तर दें या न दें। जिन प्रश्नों का उत्तर वे देना चाहते हैं और जिनकी सूचना आगई है उनकी सूचना माननीय सदस्यों के पास पहुंच जायगी। ज्यों ज्यों जवाब आते जायंगे त्यों त्यों उनकी सूचना उनके पास पहुंच जायगी।

प्रश्न नं० ४६

जवाई सिंचाई योजना के अन्तर्गत सिंचाई की दर।

श्री माधोसिंह:--Will the Hon'ble Minister for Irrigation be pleased to state on what basis the Government has fixed Rs. 7½ per Bigha as watering rates in Jawai area when in all other irrigated areas of Jodhpur Division it is much less?

क्या माननीय मंत्री महोदय कृपा कर के यह बतायेंगे कि इस माफिक रेट्स क्यों बढ़ा दिये गये ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--इसी साल जवाई बान्ध पर खरीफ की फसल के लिए कुछ ऐसी जमीन थी जिसको इधर उधर से पानी पहुंचाया जा सके, क्योंकि वह ऐसे टाइम में हुई थी कि कमिश्नर को एडवाइज कर दिया गया था कि वह एडहॉक बेसिस पर दरें नियत करें और उसी के अनुसार वह व्यवस्था की गई।

श्री माधोसिंह:--काश्तकारों में रेट्स (दरों) के लिए बड़ा एजिटेशन (हलचल) है। क्या सोच विचार कर रेट्स में कमी वेशी नहीं करेंगे ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—किसान जानते हैं कि उन पर सरकार जो खर्च कर रही है उससे सरकार को कोई लाभ नहीं मिलता है और बन्ध के नीचे जो जमीन है वह खालसा की नहीं है; गैर खालसा की है। किसान जो दूसरी जगह के हैं वे यह चाहते हैं कि भले ही रेटस ज्यादा लिये जायं लेकिन उनको सिंचाई का पानी दिया जाता रहे। किसानों से पूछकर ही कमिश्नर ने ऐसा किया है।

श्री माधोसिंह:—क्या खालसा और गैर खालसा में फर्क करना उचित होगा ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--हां, जब तक जागीरदारी का उन्मूलन नहीं होता है तब तक के लिये सरकार जो रुपये खर्च करती है सरकार को कोई उसका फायदा मिलता नहीं, क्योंकि जागीरदार रेवेन्यू आदि के जितने लाभ हैं सब ले लेते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास:—जब इरीगेशन का एडवान्टेज (सिंचाई का लाभ) जागीरदारों को रहता है तो जहां सिंचाई की जाती है वह जागीरदारों से क्यों नहीं ली जाती है। वह काश्तकारों से क्यों ली जाती है।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—भिन्न भिन्न रियासतों में जो नियम थे उसके अनुसार जोधपुर में डेढ़ गुना लिया जाता है और जयपुर में दुगुना लिया जाता है। ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि सब जगह एक से दर लगाये जायं। साथ ही जागीरदारों का जो प्रश्न है वह भी लिया जायगा।

श्री माधोसिंह:—जब कि जागीरदारों का प्रश्न सरकार के सामने है और काश्तकारों के ऊपर यह टैक्स लग रहा है न कि जागीरदारों के ऊपर, तो क्या यह उचित है कि काश्तकारों से इतना हेवी टैक्स (अधिक कर) लिया जाय ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—भिन्न भिन्न रियासतों में भिन्न भिन्न नियम थे। उनके एकीकरण करके एक नियम बनाये जाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री माधोसिंह:—क्या निकट भविष्य में उनको कोई रिलीफ देने का सरकार का विचार है; क्योंकि इससे वहां काफी हल चल है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्याः--जब यह दरें एक सी नियत हो जायंगी तो अपने आप यह एजिटेशन बन्द हो जायगा और उनके कष्ट दूर हो जायंगे ।

श्री दामोदरलाल व्यासः--क्या यह बात सही है कि जयपुर राज्य में काश्तकारों को आश्वासन दिया गया था कि उनसे सिंचाई की दो रेटें नहीं ली जायंगी ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्याः--इसके लिए मुझे समय चाहिए ।

श्री दामोदरलाल व्यासः--माननीय मुख्य मंत्रीजी इस विषय से ज्यादा परिचित हैं । क्या कृपया वे इस प्रश्न का जवाब देने की कृपा करेंगे ?

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--भूतपूर्व जयपुर राज्य में सरकार के सामने यह प्रश्न सन् १९४८ में उठा था और सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस प्रकार दो रेट्स नहीं होंगी और बराबर कर दिया जायगा । साथ ही उसका सरकार के खजाने पर काफी असर पड़ता था ।

श्री हिम्मतसिंहः--आन दी पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर । जवाई के संबंध में प्रश्न हो रहा है तो फिर जयपुर के लिए यह क्यों पूछा जा रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यासः--यह प्रश्न किया गया है सिद्धान्त के ऊपर कि रेट्स किसी जगह कम और किसी जगह ज्यादा क्यों ली जाती है ?

श्री हिम्मतसिंहः--सिद्धान्त के ऊपर यदि समय लिया जायगा तो हाउस का काफी समय सिद्धान्त ही सिद्धान्त में लग जायगा ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--मेरा ख्याल है कि इसका जवाब देना चाहिए । यह प्रश्न उठा था कि सिंचाई की दो रेट्स चालू नहीं की जायं । सरकार इस प्रश्न को सोच रही थी और इसको कायान्वित करना चाहती थी । उस समय सरकार के सामने यह प्रश्न भी आया कि जो लाभ जागीरदारों को विशेष रूप से हो रहा है उसका मुआवजा बिना किसी खर्चे के नहीं उठाये बल्कि सरकार को जैसा कि खालसा की नहरों से लाभ होता है उसी प्रकार का कोई प्रबन्ध किया जावे जिससे सरकार को घाटा नहीं रहे । यह सोचा गया था और जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने सजेस्ट किया है (सम्मति दी है) कि जो लाभ वहां के किसानों पर दर बढ़ाने से जागीरदारों को होता है उस दृष्टि से उनसे वसूल किया जाय । जागीरदारों की जैसी बहुत दिनों से आदत थी उन्होंने इसका बहुत कड़ा विरोध किया । वह मामला विचाराधीन रहा; इतने में ही संयुक्त राजस्थान बन गया और जयपुर राज्य खत्म हो गया इसलिए वह मामला वहां का वहां रह गया । गत तीन सालों में क्या हुआ इसका मुझे पता नहीं ।

श्री दामोदरलाल व्यासः--गवर्नमेन्ट का कोई फाइनल डिसीज़न (अंतिम निर्णय) इस मामले में हुआ या नहीं ।

माननीय अध्यक्षः--नेक्स्ट, प्लीज ।

प्रश्न संख्या ४७

कोटा डिस्ट्रिक्ट में किशनगंज शाहबाद में १९५१-५२ में खरीफ की लेवी का लिया जाना

श्री रघुराजसिंह:-Will the Hon'ble Minister for Civil Supplies be pleased to state:—

(1) Why and under what orders levy has been collected from the Kharif crop 1951-52 in Kishangunj and Shahbad Tehsils of Kotah District, when it was not collected elsewhere ?

श्री भोगीलाल पंड्या:-In the year 1951-52 Kishaugunj and Shahbad Tehsils of Kotah Division were not among the declared scarcity areas. As such the Commissioner and the Collector issued instructions for procurement of Kharif crop in accordance with the Rules laid down by the Central Government in those Tehsils where crop condition was reported satisfactory.

श्री रघुराजसिंह:-Was any order issued by the Rajasthan Government ? (क्या कोई आज्ञा राजस्थान सरकार से जारी हुई थी)

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-कोई खास ओर्डर नहीं दिया गया था। किन्तु यह निश्चय हो गया था कि जो स्केयर्सिटी एरिया (कमी का क्षेत्र) नहीं है और फसल अच्छी है वहां खरीफ का प्रोक्योरमेन्ट (समाहार) किया जायगा। ऐसी चर्चा चली थी और उसके आधार पर उन्होंने यह कार्य शुरू कर दिया था।

श्री रघुराजसिंह:-Was that action of the Commissioner justified ? (कमिश्नर का वह कार्य क्या न्याय संगत था ?)

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-उन्होंने सिविल सप्लाईज कमिश्नर से बात चीत कर ली थी। उन्होंने कहा था कि भारत सरकार से ऐसी स्वीकृति आ चुकी है और आपको करना पड़ेगा। ऐसा कहा था, अतः इसी आधार पर उन्होंने यह लेना शुरू कर दिया।

श्री रघुराजसिंह:-Were oral orders sufficient in this respect........ (इस सम्बन्ध में मौखिक उत्तर पर्याप्त थे·····)

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-उनके प्रार्थनापत्र आने के वक्त उस पर विचार किया जायगा।

श्री रघुराजसिंह:–क्या ऐसे ओफिसर्स कन्सर्न्ड (सम्बन्धित) को सजा देने के विषय में गवर्नमेन्ट सोचती है; जिन्होंने गैर कानूनी काम किया।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–जो चर्चा हुई थी उसी के आधार पर उन्होंने व्यवस्था की थी। उनकी भावना दूषित नहीं थी इसलिये सज़ा देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ):– बहुत मुमकिन है कि कुछ पैसे ऐंठने की भावना हो ? हम कैसे जान सकते हैं कि उनकी भावना दूषित नहीं थी ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–पैसे ऐंठने का सवाल ही नहीं था। जो चर्चा लेवी लेने की हुई थी उसी के आधार पर उन्होंने किया था। जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने बन्द कर दिया। इसलिए सजा देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रघुराजसिंह:–Has it been notified to the people............ (क्या जनता में उसकी सूचना दे दी गई थी)

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–नहीं, उन्होंने लेवी लेना बन्द कर दिया इससे वे समझ गये कि लेवी नहीं ली जायगी।

श्री रघुराजसिंह:–जब लेवी लेना बन्द कर दिया है तो उन्हें एप्लाई करने (प्रार्थना पत्र देने) की आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें वैसे ही रिफन्ड कर (लौटा) दिया जाय।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–प्रार्थनापत्र आयेंगे तो विचार किया जा सकता है।

श्री रघुराजसिंह:–विचार करने का क्या मतलब है जब कि गवर्नमेन्ट डेफिनिट्ली (निश्चयपूर्वक) जानती है कि यह उनसे गलत वसूल की गई।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–वहां पर अच्छी तरह फसल पकी थी। सरकार वहां फैमिन नहीं मानती थी।

श्री रघुराजसिंह:–अगर अच्छी फसल पकी थी तो लेवी लेना बन्द क्यों किया गया ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:–आस पास के क्षेत्रों में नहीं ले रहे थे और क्योंकि वह यह न कहें कि उनसे ही क्यों लेवी ली जाती है इसलिये इसे बन्द कर दिया गया।

प्रश्न संख्या ४८

ऊन पर बिक्री कर एवं ऊन के कारखानों को प्रोत्साहन देना।

श्री चांदमल मेहता:—ओन दी पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर। क्या एक सदस्य के नाम कोई अन्य प्रश्न उपस्थित किया जा सकता है जो उसने नहीं भेजा हो ? प्रश्न नं० ४८ मेरा नहीं है।

श्री कपिलदेव:--इफ दी क्वश्चन वाज नोट हिज, इट मे बी टेकन एज माइन सर। (यदि यह प्रश्न इनका नहीं था तो क्या वह मेरे प्रश्न की भांति लिया जा सकता है ?)

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:--किसी भी माननीय सदस्य का प्रश्न हो मुझे तो उत्तर देना ही है।

श्री माधोसिंह:--यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब प्रश्न पूछने वाला नहीं है तो फिर माननीय मंत्रीजी को उत्तर देना क्यों आवश्यक है ? कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं कहता है कि यह प्रश्न मेरा है।

माननीय अध्यक्ष:--दी रिप्लाई मे बी प्लेस्ड ओन दी टेबिल ओफ दी हाउस (उत्तर सदन की मेज पर रख दिया जाए)

प्रश्न नं० ४८ का उत्तर

(परिशिष्ट १ में देखिये)

प्रश्न नं० ४९

भेड़ तथा ऊन विभाग के डिप्टी डाइरेक्टर को काम दिया जाना।

श्री श्यामलाल गोयल:—क्या माननीय व्यवसाय व व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार के पास डिप्टी डाइरेक्टर ओफ शीप व वूल की पोस्ट के लिये पहिले से ही एक व्यक्ति विदेश से शिक्षा प्राप्त था तो उसको काम न दिया जाकर दूसरे व्यक्ति के लिये शीप व वूल का काम सीखने के लिये आस्ट्रेलिया क्यों भेजा गया ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—There is no post of Dy. Director of Sheep and Wool in the Rajasthan Government. The present

Sheep and Wool Officer, Shri Narayanan has been selected by the Government of India under the scholarship of Australian Government under the Colombo Plans training. The Rajasthan Government has spent nothing for this officer.

श्री श्यामलाल गोयल:—क्या यह बात सही है कि ऐसे ओफिसर हैं जो शीप और वूल की ट्रेनिंग पास हैं ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—हां, हो सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास:—प्लीज गिव ए डेफिनिट रिप्लाई (कृपया निश्चित उत्तर दें) क्या उनसे काम नहीं लिया जाता है ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—उनसे काम जरूर लिया जाता है। कोलम्बो प्लान की तेहत गवर्नमेन्ट ओफ इन्डिया ने उनको सिलेक्ट (चुना) किया है और उनको आस्ट्रेलिया भेजा है, उसका सारा खर्चा आस्ट्रेलियन गवर्नमेन्ट बर्दाश्त करती है; राजस्थान गवर्नमेन्ट कुछ नहीं दे रही है।

प्रश्न नं० ५०

केन्द्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं तथा अन्य नौकरियों के आवेदन पत्रों के साथ पिछड़ी हुई जातियों से एक चौथाई शुल्क लिया जाय।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—क्या माननीय मंत्री, बेकवर्ड क्लासेज वेलफेयर विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार भी केन्द्रीय पब्लिक सर्विस कमीशन के सदृश्य परीक्षाओं तथा अन्य नौकरीयों के आवेदन पत्रों के साथ केवल एक चौथाई शुल्क बजाय संपूर्ण शुल्क के लेने के संबन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-Government have already issued orders in this matter with a view to providing further facilities in applying for such Government services in response to any advertisement that may be issued by the Rajasthan Public Service Commission or by any other Heads of Departments. It has been ordered that only ¼ of the fee prescribed for applying to such services and posts be charged from the members of the Scheduled castes and Scheduled tribes.

श्री भगवतसिंह तरंगी:—ओन दी प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। हिन्दी में पूछे गये प्रश्नों का जवाब अंग्रेजी में क्यों दिया जा रहा है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—मैं हिन्दी में ही जवाब देता हूं, आप सुनिये।

राजस्थान सरकार में भी वैसी ही व्यवस्था की गई है। भारत सरकार में जैसे एक चौथाई फीस ली जाती है उसी मुआफिक अपने यहां भी व्यवस्था की गई है।

श्री संपतराम:—क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उसी तरीके से कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन के लिए भी क्या यह चीज रखी गई है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—भारत सरकार ने जो सुविधा दी हैं वे यहां भी दी गई हैं ?

श्री कंवरलाल जेलिया:—क्या आप वह बतलाने की महरबानी करेंगे ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—गजट में बिल्कुल स्पष्ट दिया हुआ है ।

श्री संपतराम:—आई एम टाकिंग रिगार्डिंग दी कन्सेशन रेट्स। (में रियायती दर के बारे में कह रहा हूं)

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—कन्सेशन रेट्स की अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई हैं ।

श्री कंवरलाल जेलिया:—जो ऑर्डर बेकवर्ड क्लासेज विभाग से निकाले जाते हैं, अंग्रेजी में निकाले जाते हैं। बेकवर्ड क्लासेज के लोग अंग्रेजी का ज्ञान बिल्कुल नहीं रखते हैं। वे आर्डर हिन्दी में क्यों नहीं निकाले जाते हैं ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—मैं तो हिन्दी में बता चुका हूं । पहले आर्डर्स अंग्रेजी में निकले हैं, अब हिन्दी में निकालने का भरसक प्रयत्न किया जायगा।

श्री कंवरलाल जेलिया:—अब भी बेकवर्ड क्लासेज विभाग के जो आर्डर निकलते हैं वे अंग्रेजी में निकलते हैं। हिन्दी में निकालने का कोई खास कदम नहीं उठाया गया है।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—मैं कह चुका हूं कि अब हिन्दी में निकालने का भरसक प्रयत्न किया जायगा ।

प्रश्न संख्या ५१

श्री कपिलदेव अग्रवाल:—क्या माननीय मंत्री, रसद विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे

१. (अ) क्या यह सही है कि दिसम्बर सन् १९५१ के पहिले नमक का काम जोधपुर डिविजन में बजरिये टेन्डर होता था और कोटा व बीकानेर में Nominee system पर होता था और ऐसे Nominee खुद Direct source से नमक ला कर मामूली मुनाफे पर जनता को नमक वितरित कराता था ?

(आ) क्या यह सही है कि दिसम्बर सन् ५१ से नमक सप्लाई के लिये monopoly system कायम कर दिया गया है ?

(इ) क्या यह सही है कि जिनको नमक का काम अब दिया गया है उन्होंने नमक का काम कभी नहीं किया ?

(ई) क्या यह सही है कि Middle man's profit, ३०) प्रति गाड़ी किया गया है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-

१. (अ) दिसम्बर सन् ५१ के पहले जोधपुर डिविजन में नमक का कार्य कन्ट्राक्टर सिस्टम पर किया जाता था। कन्ट्राक्टर स्वीकृत मुनाफ पर नमक लाकर वितरित करता था।

(आ) इस समय नमक का कार्य नमक के ऐसोसियेशन को दिया गया है। इस एसोसियेशन के बनाने में सरकार ने किसी मोनोपोली सिस्टम का अनुसरण नहीं किया है।

(इ) जहां तक हो सका इस ऐसोसियेशन में नमक के व्यापारियों को ही सम्मिलित किया गया है।

(ई) इस ऐसोसियेशन को जो मुनाफा व अन्य खर्चा दिया जाता है वह दिसम्बर सन् ५१ के पूर्व कार्य करने वाले कन्ट्राक्टर के मुनाफे व अन्य खर्चों से किसी प्रकार अधिक नहीं है।

(उ) सरकार मोनोपोली सिस्टम को पसन्द नहीं करती है।

श्री मानसिंह:-राजप्रमुख के भाषण के उत्तर में माननीय रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ने यह फरमाया था कि इस एसोसिएशन के अन्दर एक पुराना डीलर है। क्या अब सरकार ने यह मालूम कर लिया है कि कई सॉल्ट डीलर्स शामिल थे ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-सरकार ने जैसा वायदा किया है उसे आप देखते तो आपको मालूम होता कि जितने बोनाफाइड व्यौपारी हैं उनको इसमें शामिल किया गया है।

श्री कपिलदेव:-क्या सरकार कृपया यह बतलावेगी कि यह ठेका कितने साल के लिये दिया गया है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-तीन साल के लिये।

श्री मानसिंह:-उस समय को गुजरे कितना अर्सा हुआ है ? कितनी अर्जियें आईं ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:-चौथा महीना चल रहा है। कितनी अर्जियां आईं इसके लिए नोटिस चाहिये।

श्री कपिलदेव:—क्या यह ठेका देने से पहले नमक की दरें निश्चित थीं और अभी भी नमक उसी भाव से दिया जा रहा है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—मैं यह कहूंगा कि नमक पहले से मंहगा नहीं हुआ है।

श्री कपिलदेव:—पहले क्या भाव बिकता था और अब क्या भाव बिकता है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—इसके लिये मुझे समय चाहिये ।

श्री कपिलदेव:—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न बिलकुल रेलेवेन्ट (संगत) है । इसके उत्तर में समय की जरूरत नहीं होनी चाहिये ।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—जैसा मैंने आपको पहले बतलाया कि नमक पहले से मंहगा नहीं बिकता है। यदि कोई सदस्य पहले इस बात को बतावें कि कहीं मंहगा मिल रहा है तो सरकार उस पर कदम उठायेगी।

श्री कपिलदेव:—क्या यह सही है कि सरकार ने यह ठेका देकर मोनोपोली सिस्टम (एकाधिकार प्रणाली) कायम कर दिया है ? पहले नोमीनी (नामीकृत) खुद डायरेक्ट (प्रत्यक्षतया) नमक लाकर जनता को पहुंचाते थे । अब एसोसिएशन (संस्था) खुद डीलर्स (व्यापारियों) को स्पलाई करती है ।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—पहले एक डीलर था, अब अनेक हैं और हो सकते हैं।

एक सदस्य क्या गांवों में ८।१० सेर का नमक बेचा जा रहा है सरकार को मालूम है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—मैं तो यह कहूंगा कि पहले नमक मंहगा मिलता था और अब सस्ता मिल रहा है। यदि माननीय सदस्य को मालूम हो कि फलों जगह मंहगा मिलता है, तो उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी ।

प्रश्न संख्या ५२

आमेर और फुलेरा के सम्बन्ध में प्रोक्योरमेन्ट नीति

श्री कंवर तेजसिंह:—क्या माननीय खाद्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की, तहसील आमेर और फुलेरा के सम्बन्ध में, ग्रेन प्रोक्योरमेन्ट की क्या नीति है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—राजस्थान में इस समय लेवी सीधी किसानों से नहीं ली जाती। इसके लिये मंडियां कायम की गई हैं। उन मंडियों में अनाज

पहुंच जाता है और वहां से व्यापारी से ६० तिशत के हिसाब से ले लिया जाता है और ४० प्रतिशत छोड़ दिया जाता है।

श्री मानसिंह:--क्या सरकार को मालूम है कि तहसीलदार ने गांव में लेवी के नाम से पैमाइश की है ओर पटवारियों ने रिश्वत से काफी रुपया बनाया है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--नहीं, सरकार को बिलकुल मालूम नहीं है।

श्री कपिलदेव:--क्या सरकार इस बात को बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास कौनसा महकमा है जिसके जरिये सरकार को यह मालूम हो सके ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--मुझे, मेरे मित्रों, ओफिसरों या जनता की सेवा करने वालों द्वारा यह इत्तिला मिल सकती है।

श्री मानसिंह:--में आपको यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आमेर के तहसीलदार ने लेवी के नाम से पैमाइश की है। क्या सरकार उस अफसर के खिलाफ जिसने इस प्रकार का कार्य किया है, कोई कदम उठाने के लिए तैयार है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--हां, तैयार है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--क्या सरकार को मालूम है कि किसानों से मंडियों द्वारा अनाज लिये जाने में उनको कितनी दिक्कतें पड़ती हैं ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--किसानों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--क्या सरकार ६० प्रतिशत अनाज किसानों से सीधा लेने को तैयार है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--यदि इसकी सरकार को आवश्यकता हुई तो सरकार इस मौजूदा तरीके में परिवर्तन करेगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--क्या सरकार किसानों की सहूलियत के लिये किसानों से सीधा अनाज लेना मुनासिब नहीं समझती ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि जिन रेट्स पर हम प्रोक्योर करते हैं उससे किसानों को फायदा है, कोई नुकसान नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--जब सरकार किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है और सीधा अनाज किसानों से लिया जाने से किसानों को फायदा होता है तो फिर सीधा अनाज किसानों से क्यों नहीं लिया जाता ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--गवर्नमेन्ट को जिस समय जरूरत होगी उस समय ले लेगी और बराबर लेती रही है। मेरे ख्याल से इस समय अनाज की कमी नहीं, अनाज नहीं मिलता, ऐसी कोई शिकायत नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--अगर अनाज की कमी नहीं है तो सरकार ६० प्रतिशत अनाज क्यों प्रोक्योर करती है और ४० प्रतिशत ही किसानों को क्यों छोड़ती है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--भारत सरकार की इच्छा थी कि ६० प्रतिशत प्रोक्योर किया जावे और ४० प्रतिशत बाजार में बेचने के लिये छोड़ा जाय।

श्री मोतीराम:- सरकार को किसानों से सीधा अनाज लेने में क्या एतराज है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसानों को कोई नुकसान नहीं है। किसानों को जो दर बाजार में मिलती है उससे ज्यादा पैसा हम से प्रोक्योरमेन्ट से मिल रहा है; फिर उनको क्या नुकसान है ?

श्री संपतराम:--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रोक्योरमेन्ट 'रेट क्या सब जगह एक ही है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न रेट्स (दरें) कायम की गई हैं।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु:--क्या यह सही है कि गंगानगर के चने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ? चना बाहर नहीं जा सकता यह बात आप आज के अखबार में देख सकते हैं।

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--मैं आपको पहले ही बता चुका था कि चना कहीं भी बेचा जा सकता है फिर न मालूम क्यों नहीं बेचा जाता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:--क्या राजप्रमुख का जो भाषण हुआ था वह दुरूस्त है या आपने अभी जो कहा है उसको सही माना जाए ?

श्री देवीसिंह:--प्रोक्योरमेन्ट स्कीम से कितना लाख टन अनाज इकट्ठा होने की संभावना है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--हम १५ लाख टन की आशा करते हैं।

श्री मोतीराम:--क्या यह १५ लाख टन तमाम तहसीलों से इकट्ठा किया जावेगा ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:--जो सरप्लस एरिया है वहां से लिया जावेगा। जहां पर सरप्लस नहीं होगा, नहीं लिया जावेगा। जैसे उदयपुर, जोधपुर,

जयपुर के कुछ हिस्सों को छोड़ कर, बीकानेर और चूरू को छोड़कर, बाकी हिस्सों में प्रोक्योर किया जावेगा।

श्री मोतीराम:—क्या सरकार को यह मालूम है कि कहीं पर अनाज पड़ा पड़ा सड़ रहा है और कई स्थान ऐसे हैं जहां पर लोग भूखों मर रहे हैं और प्रतिबंध लगा होने के कारण अनाज नहीं लाया जाता ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—माननीय सदस्यों को पता ही है कि गंगानगर जिले के लिए बीकानेर डिविजन खोल रखा है।

श्री चांदमल:—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जयपुर सरप्लस में है। ?

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:—क्या सरकार को मालूम है कि अनाज का आना–जाना एक तहसील से दूसरी तहसील में बन्द है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—सरकार ने खोल दिया है।

श्री कपिलदेव:—क्या यह सही है कि कागजी ओर्डर और होते हैं और गुप्त हिदायतें दूसरी भेजी जाती हैं ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—नहीं।

श्री तेजसिंह:—क्या यह सही है कि आमेर में प्रोक्योरमेन्ट (समाहार) के लिये ओर्डर दिये गये हैं और आस पास जागीर के इलाकों में इस प्रकार का कोई ओर्डर नहीं दिया गया ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु:—क्या सरकार ऐसा ओर्डर जारी करेगी जिससे ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—सरकार ने ऐसा ओर्डर जारी कर दिया है। यदि लोगों को मालूम नहीं ह तो माननीय सदस्य इसका प्रचार कर सकते हैं।

श्री मोतीराम:—क्या सरकार को मालूम है कि बीकानेर के इलाके में चना बहुत मंहगा मिल रहा है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह चना ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—माननीय सदस्य को चाहिये कि वे इस बात का प्रचार करें कि प्रतिबन्ध नहीं है और लोगों को यह बतावें।

श्री हिम्मतसिंह:—क्या सरकार को अपने ओर्डर की पाबन्दी होती है या नहीं इस बात को देखने की कोई चिन्ता न रहती ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—चिन्ता है। माननीय सदस्य ने कहा कि चना महंगा मिल रहा है। यह मैंने १।। महीने में पहली बार सुना है।

श्री मानसिंह:—सरकार १।। लाख रुपया....

माननीय अध्यक्ष:—ओर्डर, ओर्डर।

श्री कंवर तेजसिंह:—क्या आमेर तहसील सरप्लस है ?

माननीय श्री भोगीलाल पंड्या:—जो सरप्लस एरियाज (अधिक्य क्षेत्र) हैं वहां पर मंडियें कायम की गई हैं। आमेर सरप्लस में नहीं है और वहां पर कोई मन्डी नहीं है।

श्री भीमसिंह:—क्या सरकार बतलाएगी कि राजस्थान में कौन कौन से जिले सरप्लस हैं ?

Q. No. 53. Shri Madho Singh, M.L.A.:—Will the Hon'ble Minister for Agriculture be pleased to State:—

(1) Whether any steps are being taken for improvement of Horse and Cattle breeding in Rajasthan ?

(2) If not, why ?

उ० माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—नस्ल सुधार के कदम उठाये गए है। इस कार्य के लिये अच्छी नस्ल के घोड़े (स्टैलियन्स) वेटेरीनरी डिपार्टमेन्ट की तरफ़ से अलवर, भरतपुर, जोधपुर, बाली, बिलाड़ा, सोजत और जालोर में रखे हुए हैं जिनसे अच्छे बच्चे लिए जाते हैं। दूसरे स्थानों पर फंड्स की कमी से फिल्हाल यह सुविधा जारी नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त जोधपुर डिविजन के मवेशियों के ३ मेलों में अच्छी किस्म के घोड़े-घोड़ी और उनके बच्चों को लानेवालों को पारितोषक दिया गया है; जिससे इस कार्य को प्रोत्साहन मिला है। मवेशियों की नस्ल सुधार के लिए सरकार की ओर से अलवर, वसी और नागोर में केटल ब्रीडिंग फार्म्स मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त अच्छी नस्ल के सैकड़ों सांड जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा डिविजन्स में तकसीम किए गए हैं।

(२) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

श्री कपिलदेव:—जो सेन्टर मवेशियों कि नस्ल सुधार के लिये खोले गये हैं उनमें क्या गधों और भैंसों की नस्ल सुधार का भी प्रबन्ध किया गया है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैं आपका मतलब नहीं समझ सका; कृपया इसे दोहराइये।

श्री कपिलदेवः—नस्ल सुधार के जो सेन्टर आपने खोले हैं वे सांड, घोड़े आदि के लिये ही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भैंसों और गधों की नस्ल सुधारने के लिये कोई सेन्टर खोले गये हैं या नहीं ।

माननीय अध्यक्षः—ओर्डर ओर्डर ।

श्री माधोसिंहः—नस्ल सुधार सेन्टर्स में जगह २ घोड़े रखे गये हैं । पहले राजस्थान में कई स्थानों पर अच्छी २ किस्म के सांड, घोड़े खरीदे जाते थे या रखे जाते थे और जगह २ तकसीम किये जाते थे। जोधपुर में इस तरह का प्रबन्ध था । जिस तरह से पहले सांड तकसीम किये जाते थे उसी तरह से अब तकसीम क्यों नहीं किये जाते ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—कई जगह अब भी तकसीम किये जाते हैं।

श्री माधोसिंहः—पहले घोड़े बहुत सी जगह रखे जाते थे लेकिन जो आंकड़े आपने फरमाये उसे देखते हुए यह पता चलता है कि अब हमारे यहां होर्स ब्रीडिंग बहुत कम हो गया है जब कि पहले राजस्थान होर्स ब्रीडिंग के लिये मशहूर था । क्यों नहीं अब भी उसी तरह किया जाय ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—जहां तक फंड्स एवेलेबल (उपलब्ध) हो सकते हैं वहां तक सरकार आवश्यकता पूरी करने की कोशिश करेगी । जो सांड वगैर आंके हुए छोड़ जाते हैं उन पर पाबन्दी लगी हुई है यह बात माननीय सदस्यों को मालम होगी ।

श्री किशनलाल शाहः—सरकार के पास अच्छे सांड पर्याप्त संख्या में नहीं हैं और कोई २ प्राइवेट सज्जन सांड छोड़ कर नस्ल सुधार नहीं कर सकते । ऐसी सूरत में क्या सरकार आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रबन्ध कर रही है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—यदि कोई प्राइवेट तरीके से अच्छी नस्ल के सांड छोड़ते हैं तो उनके लिये कोई रोक टोक नहीं है ।

श्री किशनलाल शाहः—जोधपुर डिविजन में ऐसा कानून है कि प्राइवेट तौर पर सांड नहीं छोड़े जा सकते ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—इसके बारे में मैं नोटिस चाहूंगा ।

एक माननीय सदस्यः—केटल ब्रीडिंग के लिये जो सांड छोड़े गये हैं वे शहरों में छोड़े गये हैं या गांवों में ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः—यह तो जानकारी की चीज है ।

श्री मोतीलालः-ऐसी बात है कि जो सांड छोड़े गये हैं वे शहरों में छोड़े गये हैं जैसे जोधपुर, नागौर आदि में । गांवों में ब्रीडिंग के लिये कोई सांड नहीं छोड़े गये हैं । इसका क्या कारण है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः-मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, मैंने ब्रीडिंग सेन्टर्स के नाम बताये थे । इन सेन्टर्स में जो सांड रखे जाते हैं वे पूरे इलाके के लिये रखे जाते हैं; न कि केवल उसी जगह के लिये।

श्री मोतीलालः-उन सेन्टर्स से गांवों में भी भेजे जाते हैं कि नहीं ?

एक माननीय सदस्यः-क्या मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि नागौर डिस्ट्रिक्ट हिन्दुस्तान में बैलों के लिये प्रसिद्ध है; वहां के लिये खास प्रबन्ध है या नहीं ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः-मैं इसके लिये नोटिस चाहूंगा ।

श्री भीमसिंहः-राजस्थान सरकार केटल्स की कौन कौन सी ब्रीड्स का सुधार करना चाहती है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः-विस्तृत जानकारी के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

एक माननीय सदस्यः-क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि-शेखावाटी में भी कोई ब्रीडिंग सेन्टर्स है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः-मैं सेन्टर्स के नाम पहले बता चुका हूं ।

श्री भीमसिंहः-क्या ब्रीडिंग सेन्टर्स में सरकार की तरफ से क्वालीफाइड (विषेश योग्यता वाले) डाक्टरों को रखा जा रहा है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः-जी हां ।

श्री खेतसिंहः-ऊंटों की नस्ल सुधारने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः-वैसे तो नहीं में उत्तर है और विस्तृत जानकारी के लिये नोटिस की आवश्यकता हैं ।

श्री माधोसिंहः-क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ऊंटों की नस्ल सुधारने के लिये सेन्टर खोलने का कोई विचार है ?

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः-मैं समझता हूं ऐसे सेन्टर खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां ऊंटों की नस्ल ठीक ही है ।

स्थगन-प्रस्ताव (वाद-विवाद)

माननीय अध्यक्ष:–श्री मोतीलाल डिविजन नं० १०६ न मेरे पास एक एडजोर्नमेन्ट मोशन भेजा है; जिसकी कोपी शायद उन्होंने माननीय गृह मंत्री के पास भी भेजी होगी। इसके जरिये वे तारीख १७-४-५२ को जोधपुर तहसील में धमिया गांव के श्री डूंगाराम का वध तथा ११-४-५२ को फलोदी तहसील में चाडी ग्राम के श्री रामरख विसनोई का वध, जो व्यक्ति कि क्रमानुसार राजस्थान विधान सभा के लिये सामान्य निर्वाचन में खड़े किये गये कांग्रेस उम्मीदवार श्री परशुराम चौधरी के प्रस्तावक तथा समर्थक थे तथा नागौर तथा परबतसर तहसीलों की ढानियें मंगलोद तथा बूडसू में क्रमानुसार ९-४-१९५२ और ५-४-१९५२ में हुए वध (कत्ल) तथा डकैतियों के संबंध में और जोधपुर डिविजन में कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने में सरकार की असफलता पर, विचार करना चाहते हैं।

मैं इस संबंध में माननीय गृह मंत्री की सदन के सामने राय लेना चाहता हूं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है उसे देखते हुए यह मालूम होता है कि उन्हें अधूरी जानकारी है। तारीख १७-४-५२ को जिन २ व्यक्तियों के वध की बात बताई गई है वह सही नहीं है। मेरी जानकारी है कि एक व्यक्ति श्री डूंगाराम की मृत्यु हुई है और दूसरे व्यक्ति की मृत्यु के विषय की सूचना गलत है।

श्री जसवन्तसिंह:--(पोइन्ट ओफ ओर्डर) एडजोर्नमेन्ट मोशन जहां तक हो सकता है डेफिनिट मेटर्स ओफ अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स (सार्वजनिक महत्व के आवश्यक कार्य) के मामलों को लेकर पेश किया जाता है। दो व्यक्तियों की मृत्यु डेफिनिट मेटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेन्स किसी भी हालत में नहीं माना जा सकता और ऐसी हालत में यह गैर वाजिब है।

माननीय अध्यक्ष:–आई हेव आस्कड् दी ओनरेबल होम मिनिस्टर वेदर दिस मेटर इज ओफ अर्जेन्ट पब्लिक इंपोर्टेन्स और नोट (मैंने माननीय गृह मंत्रीजी से पूछा है कि क्या यह मामला अत्यधिक सार्वजनिक महत्व का है या नहीं,?

श्री मथुरादास माथुर:--Speaker, Sir, The motion moved for adjournment relates to the murder of Shri Dunga Ram and Shri Ram Rakh Bisnoi. Since these murders will have repurcussions on the social and moral life in Jodhpur Division this should be treated as a motion of urgent public importance. It is not ordinary.

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, यह मेटर वाकई पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है और पब्लिक अरजेन्सी का ही नजर आता है। आज एक कत्ल हुआ है कल दो होंगे, परसों और हो सकते हैं और ६ दिन बाद और हो सकते हैं। इसलिये वहां के लोगों में सिक्योरिटी का सेन्स (सुरक्षा की भावना) पैदा करने के लिए डिस्कशन निहायत जरूरी मालूम होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अपोजिशन (विरोधीदल) के नेता भी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री जसवन्तसिंह:—मेरा स्वीकार करना और न करना कोई असर नहीं रखता है। कायदे के मुताबिक यह कभी भी मोटर आफ डेफिनिट इम्पार्टेंस का नहीं कहा जा सकता है। कायदे के विरुद्ध अगर डिस्कशन करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। यदि ऐसे मामलों पर एडजर्नमेंट मोशन लाये गये और किसी सदस्य के साथ अगर किसी प्रकार की रियायत की गई तो कभी भी इस हाउस का काम नहीं चल सकता है। कायदे से तो किसी भी पोजिशन में यह रिजोल्युशन नहीं आ सकता है।

श्री मोतीलाल:—माननीय अध्यक्ष, पब्लिक के लिए कायदे बनान के लिए सदस्यगण यहां ठंडी छाया के अन्दर आराम करते रहें और दूसरी तरफ जनता बुरी तरह से मरती रहे। ३-४ महीनों से सारे जोधपुर में कत्ल पर कत्ल हो रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं तो भी यह मामला पब्लिक इम्पार्टेंस का नहीं तो फिर ऐसी गवर्नमेन्ट से क्या फायदा है? माननीय अध्यक्ष, मेरा ख्याल है कि हमारे विरोधी दल के नेता को वर्ड "इम्पॉर्टेंस" की डेफिनिशन (परिभाषा) याद नहीं है। जब जनता को राहत नहीं होगी फिर कानून बनाने की जरूरत क्या है। जिस कानून को अमल में लाने के लिए आपकी सरकार नाकामयाब रही है; सरकार को जिसके लिए जनता के बारे में कानून बनाने की जरूरत है अगर वह चीज ही नहीं रहती है तो फिर पब्लिक इम्पॉर्टेंस क्या होती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता।

दूसरी बात यह है कि रूल्स ओफ प्रोसीजर के रूल ४२ में इस बात का प्रोवीजन है कि इसके लिए २० मेम्बर होने चाहिए। यदि २० मेम्बर्स हों तो आप आज्ञा दे सकते हैं।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, डिस्कशन पहले ही शुरू कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष:—दिस इज ए प्वाइन्ट आफ आर्डर एन्ड एव्री मेम्बर हेज ए राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन रादर एन आब्जेक्शन (यह एक पोइन्ट ओफ ओर्डर है और प्रत्येक सदस्य को अपनी सम्मति या यों कहिये आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार है।)

श्री कानसिंह:—यह जो एड्जर्नमेंट मोशन हमारे सामन है। इस बात का खेद है कि एक इलाके में कत्ल हो रहे हैं और लोग खत्म हो रहे हैं। जिनके साथ यह दुर्व्यवहार हो रहा है इस प्रकार तो हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन राजस्थान

का इलाका बड़ा भारी इलाका है और इस इलाके में १-२ मृत्यु तो महीने में अवश्य होती ही रहती है; चाहे लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति कितनी ही अच्छी क्यों न रहे। इतने लंबे चौड़े इलाके में महीने में १–२ मृत्यु और कत्ल तो अवश्य हुए बिना नहीं रह सकते हैं और असेम्बली के अन्दर इस तरह की घटनाओं को पोलिटिकल रूप देकर एड्जर्नमेण्ट मोशन (स्थगन प्रस्ताव) लाये गये तो शायद ऐसा कोई हफ्ता नहीं जायगा कि एक या दो एड्जर्नमेंट मोशन नहीं आयें।

इसके अतिरिक्त राजप्रमुख का भाषण हुआ। उस भाषण के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए लॉ एन्ड आर्डर के बारे में काफी डिस्कशन किया गया,। उसके बाद बजट डिस्कशन के वक्त लॉ एन्ड आर्डर की जो व्यवस्था खराब है उसके बारे में काफी बहस कर चुके हैं। अब फिर लॉ एन्ड आर्डर के बारे में कट मोशन लाया गया तो मैं अर्ज करूंगा कि रूल्स की दफा ४४, जिसमें इस बात पर कुछ रेस्ट्रिक्शन रखे गये हैं, को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाएं। दफा ४४, की उप दफा ३ के अन्दर लिखा हुआ है कि:–

"(iii) the motion must not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session or for the discussion of which by a motion for adjournment, leave was refused in the same session" तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जब दो दफा लॉ एन्ड आर्डर की समस्या पर डिस्कशन हो चुका है तो फिर तीसरी दफा यह हमारे सामने क्यों आ रहा है? मैं इस बारे में और ज्यादा डिस्कशन में नहीं जाना चाहता हूं कि यह बड़ा अर्जेन्ट पब्लिक इम्पार्टेंस का सवाल है या नहीं। इस पर तो निर्णय इधर भी हो सकता है और उधर भी। यह पब्लिक इम्पार्टेंस का भी हो सकता है और नहीं भी। लेकिन शान्ति और व्यवस्था का यह मामला सदन के अन्दर पहले कितनी ही दफे डिस्कशन के लिए आ चुका है और सरकार के सामने अच्छी तरह से आ चुका है कि लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है। अब फिर उन्हीं बातों को फिर दोहराया जा रहा है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस एड्जर्नमेंट मोशन की कतई जरूरत नहीं है, फिर सरकार की जैसी इच्छा हो।

श्री संपतराम:--अध्यक्ष महोदय, किसी भी मुल्क की सरकार का सबसे पहला फर्ज यह होता है कि वह उस राज्य के रहने वाले जितने भी इन्सान हैं उन सबक रहने, उनके बसने, एक जगह से दूसरी जगह जाने और निश्चित रूप से राजनैतिक विचार धाराओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करे। इन सब बातों में आवश्यक यह है कि वहां पर इस तरह की शान्ति–व्यवस्था कायम की जाय जिससे कोई भी आदमी यह नहीं कह सके कि उनके अधिकारों पर किसी प्रकार का कुठारा–घात होता है।

लॉ एन्ड आर्डर की समस्या राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। यह कोई सवाल नहीं है कि आज एक की मृत्यु हुई है, लेकिन १-२ मृत्यु से बहुत बड़ा सवाल उसके रिपरकशन्स का होता है। राजस्थान के अन्दर जोधपुर डिविजन में जो इस तरह की हत्यायें होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं तो क्या वे पब्लिक इम्पार्टेंस की नहीं हैं? "पब्लिक इम्पार्टेंस" की फिर डेफिनिशन क्या है? यह तो

सोचने की और अपने दिमाग से काम लेने की आवश्यकता होती है जिससे हरएक आदमी सोचता है और यह मानता है कि पब्लिक को सबसे पहले लॉ एन्ड आर्डर की सिक्योरिटी दी जाय। यदि लॉ एन्ड आर्डर किसी राज्य में दूभर हो जाता है, अगर वहां ठीक तरह से व्यवस्था नहीं रहती है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह पब्लिक इम्पार्टेंस का सवाल नहीं है। वैसे मृत्यु बहुत से रोगियों की होती है लेकिन सरकार के लिये उनका कोई महत्व शायद नहीं है। किसी भी देश में, किसी भी प्रान्त की असेम्बली उस पर शायद विचार नहीं करे, लेकिन यह लॉ एन्ड आर्डर हमारे प्रान्त की इतनी बड़ी समस्या बनने जा रही है जहां कि ऐसे अत्याचार गरीब किसानों पर राजनैतिक झमेलों में डालकर किये जा रहे हैं। इस तरह से जो हत्याएं की जा रही हैं तो मेरी यह निश्चित मान्यता है कि आज जो सरकार, जो कि जनप्रतिनिधि सरकार कहलाती है और जिसका कि काम निश्चित रूप से मुल्क में पब्लिक सिक्योरिटी (जन-सुरक्षा) देना है वह यदि इस तरह का काम नहीं कर सकी है तो वह जनता की प्रतिनिधि सरकार नहीं कहला सकती है। सरकार को ऐसे काम फिलहाल, जो पब्लिक इम्पार्टेंस के नहीं हों छोड़ दे और वैसे ही चलता रहने दे किन्तु उसके लिये यह आवश्यक है कि वह ऐसे काम सबसे पहले ले और इस ओर पूरा ध्यान दे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक मित्र प्रश्न कर रहे थे कि क्या यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का सवाल है या नहीं? उन्होंने इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो वाकेयात या फेक्ट (तथ्य) हैं उनके विषय में तारीख १७ से कहा जा रहा है। यह हमारी असेम्बली के लिए जो नियम लागू हैं, उसकी धारा ४४ की उपधारा (२) के अन्दर "सिंगल स्पेसिफिक मेटर आफ रिसेण्ट अकरेंस" के विषय में कहता है। मैं निवेदन करूंगा कि दो मित्रों ने जो वामपक्ष की तरफ बैठे हुए हैं, यह फरमाया है कि यह पब्लिक इम्पोर्टेन्स का मेटर नहीं। डकैती, किडनेपिंग आदि के विषय में तो सदन में काफी बहस हो चुकी है। इस एडजोर्नमेन्ट मोशन में पोलिटिकल व्यूज के कारण जिसमें एक व्यक्ति का कत्ल बतलाया गया है और वह भी ऐसा जो कि प्रभावशाली व्यक्ति था, सही दृष्टिकोण रखता है और अपनी भावना प्रदर्शित करता है। इस प्रकार मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एडजोर्नमेन्ट मोशन वास्तविकता को लिए हुए, है इसलिये इसको लिया जाना चाहिये।

श्री ईश्वरीसिंह: — माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल सदन के सामने रखा गया है वह एक तरह से पालाबन्दी का सवाल है। मलारना में १० आदमी मारे गये, ३५ के करीब घायल हो गये थे लेकिन किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया किसी को दर्द नहीं हुआ। इस तरह से मैं यह समझता हूं कि इस तरह की पाबन्दी से कोई भला नहीं हो सकता। चाहे सवाल उठे; चाहे उसमें न्याय हो या अन्याय, यहां आकर पालाबन्दी का सवाल बन जाता है। यह बड़ी दुःख की बात है। मैं आज पैदल आ रहा था। सब कोई लोग मोटर में, कोई तांगा मे आ रहे थे। मैंने देखा कि नीचे २०० किसान बाहर बैठे हैं; उनको जलेबी चौक में नहीं जाने दिया जाता।

माननीय अध्यक्ष: — ऑर्डर, ऑर्डर।

जो इस एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बोलना चाहें, बोलें; दूसरे विषय पर नहीं बोला जाना चाहिये ।

माननीय अध्यक्ष:—वी वान्ट योर रूलिंग आन दी एडमिसिबिलिटी ऑफ दी मोशन।

श्री मदनमोहनः—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एडजोर्नमेन्ट मोशन श्रीमान के सामने पेश हुआ है उस पर सदन के नेता से अपने विचार प्रकट करने की आज्ञा फरमाई गई थी। मगर माननीय मुख्य मंत्री तो अपने विचार सदन के सामने पेश नहीं कर सके; इसके पहले ही इस पर बहस चल पड़ी। जहां तक शांति और व्यवस्था कायम रखने का सवाल है मेरे ख्याल से सदन का कोई भी समझदार आदमी इस मामले में दो मत नहीं रखता। जहां शान्ति और व्यवस्था के सम्बन्ध में बहस करने का मौका इस सदन के सदस्यों को मिला है इस पक्ष के लोगों और उस पक्ष के लोगों ने, एक आवाज में इस बात पर सरकार के सामने जोर दिया है कि जैसी शान्ति और व्यवस्था हमारे प्रान्त में रही है, वह सन्तोषजनक नहीं है। मगर इस सवाल पर जो वैधानिक प्रश्न उठता है वह यह है कि जिस तरीके से, जिस रूप में यह एडजोर्नमेन्ट मोशन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है; क्या यह हमारी एसेम्बली के जो नियम बनाये गये हैं उसके दायरे में आता है या नहीं?

पहली चीज जिसकी ओर मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि इन रुल्स की जो धारा ३९ है उसमें यह दर्ज है कि एडजोर्नमेंट मोशन एक डेफिनिट मेटर ऑफ अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स पर विचार करने के लिये पेश किया जा सकता है, इसके मुवाफिक इन्हीं रूल्स की धारा ४४ की उपधारा (२) में यह बात लिखी हुई है

> "The motion must relate to a single specific matter of recent occurrence".

अतः जो मोशन आपके सामने पेश किया गया है यदि वह सिंगल स्पेसिफिक मेटर है तब तो हाउस के सभी सदस्य एडजोर्नमेन्ट मोशन (स्थगन प्रस्ताव) लाकर डिसकस (विचार विमर्श) कर सकते हैं वरना जो दुविधायें पेश की गई हैं उन सब दुविधाओं को मिलाकर यह मोशन प्रस्तुत करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। लॉ एन्ड ऑर्डर जिसके बारे में सदन के सदस्य पुरजोर इस हाउस के सामने अपने विचार रख चुके हैं उन्हीं के विषय में सदन को अब यह विचार करने का है कि उन तमाम घटनाओं को मिलाकर एक बार फिर से वे यह कहें कि लॉ एन्ड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। इसलिये यह एडजोर्नमेन्ट मोशन जिस रूप में सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसका ठीक रूप नहीं है; ऐसा मेरा विचार है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति के बारे में काफी बहस इस सदन में हो चुकी है। इस संबन्ध

में जो एडजोर्नमेन्ट मोशन इस सदन के सामने लाया गया है उसमें जो बातें कही गई हैं वे बहुत गंभीर है। उसकी गंभीरता से मैं मना नहीं करता। अगर मोशन को एडमिट (स्वीकृत) किया जाता है तो सरकार की ओर से निर्भीकता से इस पर जो विचार सरकार के हैं वे सदन के सामने रखे जायेंगे। इसकी एडमिसिबिलिटी (मान्यता) के बारे में अध्यक्ष महोदय जो निर्णय देंगे वही स्वीकार होगा। अगर इसको एडमिट किया जाता है तो इस विषय में सरकार के जो कुछ विचार हैं वह मैं इस सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा।

मथुरादास माथुरः—On the admissibility of the Motion.

माननीय अध्यक्षः—Decision about the admissibility of this motion will be delivered after an hour.

आबू के सम्बन्ध में संकल्प (रिजोल्युशन) पर वाद-विवाद

माननीय श्री भोलानाथः— अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि आयकर विधेयक १९५२ ......

श्री मथुरादास माथुरः—On the point of order Sir,

According to the Agenda the resolution moved by Hon'ble Shri Tika Ram Paliwal should come first.

Shri Hon'ble Tikaram Paliwal:—Whereas the unnatural division of Sirohi whereby one part thereof comprising Abu and the adjoining areas were merged into Bombay State and the remainder merged into Rajasthan State is not in the best interest of the public in view of the fact that Abu is a part of Rajasthan not only from geographical point of view but also from the point of view of language, culture, mode of living, traditions and social habits of the people of Abu.

And whereas from the economic point of view also the division of Sirohi has adversely affected the daily life of the people of Abu;

This House, therefore, is strongly of the view that the President of India may be requested to take action under Article 3 of the Constitution of India to effect retransfer of Abu and the said adjoining areas to the State of Rajasthan at the earliest.

श्री कानसिंहः— रूल १३ के अनुसार जो बिल पेश होते हैं उनको पहले लिया जाता है और रिजोल्युशन बाद में आते हैं। अभी जो बिल पेश हो रहा था उसको लिया जाना चाहिये।

माननीय अध्यक्षः——दिस इज फोर प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस्

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः——अध्यक्ष महोदय, जिस समय से आबू और उसके आस पास का कुछ इलाका राजस्थान सरकार से अलग करके केन्द्रीय सरकार ने लेकर बम्बई प्रान्त में मिलाया है उसी समय से राजस्थान भर में एक असन्तोष की लहर चल रही है। राजस्थान सरकार ने स्वयं इस विषय पर आज से कई महीने पूर्व अपने २०-८-५१ के प्रस्ताव द्वारा राजस्थान सरकार के विचार केन्द्रीय सरकार के समक्ष उपस्थित किये और विचार करीब २ इन्हीं शब्दों में थे जो शब्द इस प्रस्ताव में मैंने इस सदन के सम्मुख रखे हैं। राजस्थान की कुल जनता की और इस सदन के माननीय सदस्यों की भी भावना इस प्रश्न पर है। अध्यक्ष महोदय यह सभी को विदित है और बहुत पहले से अनुभव किया जा रहा है कि यह न्याय नहीं हुआ है। राजस्थान के साथ आबू भौगोलिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि, भाषा की दृष्टि और रहन सहन से जुड़ा हुआ है। यह राजस्थान का एक अंग है, भाग है; फिर भी उसे राजस्थान से अलग करके बम्बई राज्य में मिला लिया गया। भावनाएं कितनी गहरी हैं, इसके बारे में, मैं यह समझता हूं मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जो सदस्य इस विषय पर अपने गहरे विचार रखते हैं वे सदन के सामने अपने विचार प्रकट करेंगे। मैं इस प्रस्ताव को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया जाएगा। हम राष्ट्रपति के पास भेजकर उनसे अर्ज करेंगे कि हम आशा करते हैं कि शीघ्र ही महरबानी करके इस सदन की भावनाओं को आप पूर्ण करें और आबू हमें वापिस दें।

श्री जसवन्तसिंहः–इस पक्ष की तरफ से, बड़ी प्रसन्नता से, मैं भी, इस सदन के नेता की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं। यह सवाल राजस्थान के लिये एक बड़े महत्व का है और सके लिये इस सदन में इसी सेशन में पहले काफी बहस हो चुकी है। यह आबू का सवाल एक बहुत बड़ा इतिहास रखता है। जहां तक राजस्थान और गुजरात का सवाल है आबू में गुजरातियों द्वारा भी बहुत कुछ भवन निर्माण किये हुए हैं और उनका भी इतिहास वहां पर है। शताब्दियों से गुजरातियों की आबू पर आंख लगी हुई है। जब गुजरात मुसलमानी सुल्तानों के नीचे था तब उस वक्त भी उन्होंने आबू पर बल से कब्जा करने की कोशिश की थी और राजस्थान पर गुजरात के सुल्तानों ने कई दफा हमले भी किये और आखिरी हमला आबू को गुजरात के कब्जे में करने के लिये किया। उस वक्त राजस्थानियों ने एक नेता के झंडे के नीचे एकत्रित होकर आबू के पास पालनपुर नामक स्थान के पास एक बड़ी मुठभेड़ मुसलमानों से की और भयानक युद्ध हुआ। वह नेता जिसके कि झंडे के नीचे राजस्थान की तरफ से लड़ाई लड़ी गई, राणा कुम्भा थे। उन्होंने पालनपुर के पास गुजरात के सुल्तान को एक बड़ी मात दी और मुसलमान पराजित होकर अपने देश को भाग गये। उसके बाद आबू को गुजरात में बल से मिलाने का सवाल कभी पैदा नहीं हुआ। इस विजय के उपलक्ष में राणा कुम्भा ने आबू पर एक किला बनवाया था.। जो आज कुंभलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय के बाद मुगलों का राज्य चला गया और अंग्रेज

हिन्दुस्थान में आये और फिर एक अंग्रेजी झंडे के नीचे देश में एक व्यवस्था बनी, ऐसी बन गई कि एक प्रान्त का दूसरी प्रान्त पर हमला होना मुश्किल हो गया । अंग्रेजों की विदाई होने के बाद जब देश का एक नया संविधान बना उस वक्त भी कुछ ताकतवर और इन्फलुयुन्श्यल (प्रभावशाली) गुजराती नेताओं ने यह सोचा कि भूतकाल में तलवारों के बल से जिस हिस्से को वे नहीं ले सके उसे एक राजनैतिक बल से और लेखनी के बल से ले लिया जाय और आबू पर कब्जा कर लिया जाय । इसके अलावा हमारे गुजराती भाइयों की एक और इच्छा जो थी वह यह कि जो स्वप्न हिन्दुस्तान के स्वराज्य के बाद वे देख रहे थे कि हम भारत में एक महान गुजरात प्रान्त बनायेंगे और उसके लिये उनका यह ख्याल था कि आबू जैसा उच्च कोटि का सुन्दर स्थान ग्रीष्म ऋतु में राजधानी बनाया जायगा तो उनके लिये यह महत्व की बात रहेगी और साथ ही साथ राजस्थान को दिखला देंगे कि उन्होंने राजनैतिक बल से, लेखनी से, राजस्थान की जान, आबू, को लेलिया । यहां के कुछ ऐसे प्रतिष्ठित व बलशाली नेताओं ने जो राजनीति में बड़ा असर रखते थे वगैर राजस्थान सरकार को पूछे और इसमें राजस्थानियों की क्या भावना है उसका ख्याल किये वगैर, बड़े अफसोस की बात है कि, चुपचाप तौर से पहले तो सिरोही को बंबई में मिलाने की तजबीज की । उस समय कांस्टिटयूएन्ट एसेम्बली भारत का संविधान बना रही थी । उस वक्त हम लोग १०-१२ जो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनमें हमारे राजस्थान के कोंग्रेसी नेता भी थे । हमने आपस में परामर्श करके यह सोचा कि यह राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है और इस तरह चुपचाप तरीके से आबू को बंबई के साथ मिलाया जा रहा है । तो उस पर हमने आपत्ति की और नेताओं को यह मालूम हुआ कि आबू लेने में उनकी चाल नहीं चलेगी, तब कई बहानों से उन्होंने यह कहा कि यह मामला अभी तय नहीं किया जायगा; बाद में तय करेंगे । इसके बाद जब कांन्स्टिटयूएन्ट एसेम्बली फाइनल स्टेज (अन्तिम स्थिति) पर आ गई उस समय जिस सिरोही राज्य को बंबई में मिला दिया गया था उसे वापिस राजस्थान को दे दिया गया; लेकिन आबू और उसकी तहसील जिस पर की खास तौर से गुजरात की आंख थी, राजस्थान से छीन कर बंबई में मिला दिया गया । उस समय भी कुछ आपत्ति उठाई गई लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली । कांस्टिटयुएन्ट एसेम्बली ने संविधान पास किया और आबू और आबू की तहसील बंबई में मिला दी गई । राजस्थान की कुछ सुनवाई नहीं हुई । उसके बाद पार्लियामेंट में इस संबंध में कुछ आपत्ति उठाई गई कि राजस्थान के साथ इस संबंध में बडा भारी अत्याचार और जुल्म हुआ है । उस समय हमारे यहां के कांग्रेसी नेताओं ने उचित नहीं समझा कि सरदार पटेल के मुकाबले में इस सवाल को उठाया जाय । यदि किसी सदस्य को जो कुछ मैं कह रहा हूं आशंका हो तो वे पार्लियामेंट की प्रोसिडिंग्ज की किताबों को मुलाहिजा कर सकते हैं । आखिर में मैंने सब के कहने से इस सवाल पर कट मोशन रखा; जिसके बारे में मैं पहले श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण के ऊपर जो बहस हुई थी उस समय कह चुका हूं । जो हालत मेरे कट मोशन की हुई वह यह है कि वोट लेते समय मेरे साथियों ने जो राजस्थान के प्रतिनिधि थे वोट देना पसन्द नहीं किया । यह एक राजनैतिक चाल थी। वे सरदार पटेल को नाखुश नहीं करना चाहते थे।

अब आज जो इस सवाल को लिया है इससे हमें खुशी है । यदि देरी से भी हमारे साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिये आज यह प्रस्ताव आया है तो यह देरी खास देरी नहीं है और हमारा अपमान करने में जो गुजरातियों का हाथ ह उनसे हमें पूरा संघर्ष करना होगा । उसके साथ ही में अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि आबू को बंबइ में मिलाने के बाद से आबू के निवासियों के साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं; उस पर रोशनी डालना जरूरी है क्योंकि आजकल के प्रजातन्त्र के जमाने में भी यदि इस तरह का अंधेर और जबरदस्ती, जो कि नेता लोग दूसरों पर असर रखते हैं, ऐसा करेंगे तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि एक कमजोर प्रान्त के साथ या कमजोर व्यक्ति के साथ या कमजोर जाति के साथ क्या क्या जुल्म नहीं किये जा सकते । आबू को बंबई के साथ मिलाया गया जसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव में कहा है । हर दृष्टिकोण से आबू को बंबई के साथ मिलाना राजस्थान के साथ अन्याय था । इस विषय में बहुत कहा जा सकता है लेकिन अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन थोड़े से शब्दों में रोशनी डालना चाहता हूं कि आबू में रहने वाले हमारे भाइयों के साथ बंबई सरकार की तरफ से क्या क्या जुल्म किये गये । मैं यहां तक कहने को तैयार हूं कि वहां के लोगों के साथ अमानुषिक अत्याचार किये गये । बम्बई सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों का इस में हाथ था । हालां की वे बड़े नेता हैं, उनके भाव उच्च हैं लेकिन जहां व्यक्तिगत स्वार्थ आता है वहां अच्छी चीज भी खुद के स्वार्थ के आगे नहीं रहती और नैतिकता पर कोई खास असर नहीं रहता । यह मनुष्य की एक कमजोरी है। आबू के लोगों ने बम्बई के साथ मिलते ही एक आन्दोलन किया और वह कांस्टिट्यूशन के नीचे किया गया था । कोई ऐसा नहीं था जो विद्रोह के रूप में माना जाता; लेकिन फिर भी इस आन्दोलन को जिस निर्दयता से दबाया गया, यह मैं समझता हूं कि हर एक सदस्य को मालूम है ।

बम्बई के व्यक्ति हमारे आबू निवासियों को धमकियां देते हैं कि अब देखा जायगा कि वे किस कदर और किस ताकत पर वापिस राजस्थान में जाने की इच्छा कर सकते हैं । यही नहीं अनेक भाइयों को टॉर्चर (सताया) किया गया, उनको गोलियों का शिकार बनाया गया, और जो भूखे स्त्री, पुरुष, बालक अपनी भूख से तंग आकर खाना खाने के लिए अधिकारियों के पास गये तो खाने के बजाय उन पर गोलियों की बोछारें की गई और गोलियों से उनको जवाब दिया गया (शेम शेम) । क्या कोई राजस्थानी जो अपने आपको सच्चा राजस्थानी कह सकता ह, इस बात का दुख अनुभव नहीं करता है कि इस प्रजातान्त्रिक राज्य में और कांग्रेस की सरकार में, क्यों कि बंबई में भी कांग्रेस की सरकार थी और बंबई के मंत्री गण जो कि नेता भी कहलाये जाते हैं उन्होंन भी ऐसी ऐसी बातों में नैतिकता छोड़ कर, उन बेचारे गरीब आदमियों के साथ इस प्रकार का जुल्म किया। अगर एक भी सदस्य इस सदन में इस बात को मानने के लिए तैयार है कि यह ठीक बात हुइ है तो वह अपने इस खयाल को अपने आपमें रख सकते हैं। मगर जहां तक हमारे दल का विचार है हम लोगों का यह अटल विश्वास है कि राजस्थान के साथ जो जुल्म किया गया है, राजस्थान निवासियों के साथ जो जुल्म किया गया है, और बंबई की कांग्रेस सरकार के द्वारा जो शहीद

बनाये गय हैं, जब तक इस पवित्र भूमि में राजस्थानी मौजूद हैं वे इस दुखद घटना को नहीं भूलेंगे।

आज मैं यह बताना चाहता हूं कि आबू में क्या हो रहा है? वहां कितने ही आदमी, बच्चे और औरतें नृशंसता के साथ मारे गये हैं। करीब एक डेढ़ साल से उन पर जुल्म हो रहा है और आज तक मुझे मालूम हुआ है कि वहां उन निवासियों को इस बात की स्वतंत्रता नहीं है कि वहां पर वे मीटिंग कर सकें। एक साथ बैठकर इस बात का विचार कर सकें कि उन्हें इस संबन्ध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं? उनके लिए खाना, कपड़ा और अन्य वस्तुओं का पूरा अभाव है। जब वे विवश होकर अधिकारियों को जाकर कहने का प्रयन्त करते हैं तो उनसे उल्टा यह कहा जाता है कि उनके पास क्यों जाते हैं, क्यों नहीं राजस्थान से अपना बन्दोबस्त कराते। जब इस प्रजातन्त्र के राज्य में सरकार भी जब जुल्म करने लग जाती ह तो उस सरकार को सिवाय जुल्मी सरकार कहने के हमारे पास कोई शब्द नहीं रह जाता है। हमारे पास ऐसे बहुत से समाचार हैं कि किस निर्दयता के साथ बंबई की कांग्रेस सरकार आबू के निवासियों के साथ अन्याय कर रही है। इसके लिए हम जितने भी घृणा भरे शब्दों का उपयोग करें, वह कम हैं। मैं इस विषय पर बहुत कुछ कह सकता हूं और मेरे पास उस स्थान के समाचार हैं जिसका अगर वर्णन करने लगूं तो शायद आज का पूरा दिन व्यतीत हो जाय फिर भी वह खत्म नहीं हो।

इस पक्ष की तरफ से मैं बंबई सरकार का घोर विरोध करते हुए और उनकी निर्दयता के कार्य को घोर घृणास्पद समझते हुए यही कह कर अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं कि अब बहुत समय निकल गया है कि हमारे दुर्भाग्यशाली भाइयों पर जो आज तक अन्याय हो रहा हैं, वह जारी रहे। अब वह मिटना चाहिए और इस अन्याय को मिटाने का एक ही तरीका जो है वह यह है कि हमारे भाई हमारे साथ वापिस आयें। उन्हें वापिस लाने का तरीका यह है कि भारत के प्रेसिडेंन्ट (राष्ट्रपति) को यह अर्ज किया जाय कि वह हाउस ओफ पार्लियामेन्ट में इस बात की सिफारिश करें कि हमारे आबू निवासियों को, जो कि हमारे भाई हैं, वापिस राजस्थान में लाकर उनका दुख निवारण तुरन्त करें।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—अध्यक्ष महोदय, आब के बारे में जो प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं समझता हूं कि सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य को उनकी भावना से सहानुभूति है और राजस्थान के अन्दर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह चाहेगा कि आबू राजस्थान के अन्दर वापिस आये, इसलिए नहीं कि वह राजस्थान का सब से ऊंचा भाग है, इसलिए नहीं कि वह एक बहुत सुन्दर स्थान है, लेकिन इसलिए कि वहां की जनता राजस्थान में रहना चाहती है, वहां कि संस्कृति, भाषा और भौगोलिक आधार सब इस तरह के हैं कि जिसके कारण वह राजस्थान का हिस्सा होना चाहिये। आज बम्बई प्रान्त के अन्दर वह मिलाया गया है। जिस तरह वह वहां की जनता की इच्छा के विरुद्ध मिलाया गया है उसके बारे में रोष किसी को भी कम नहीं हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, जब कि विरोधी पक्ष के नेता ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी, पार्लियामेन्ट और उसके बाहर इस मामले में चुप रही.... (विचार जारी)

श्री जसवन्तसिंह:-मैं यह स्पष्टिकरण करना चाहता हूं कि "बाहर" शब्द मैंने नहीं कहा है, सिर्फ पार्लियामेन्ट कहा है।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि जहां तक पार्लियामेन्ट का सवाल है विरोधी पक्ष के नेता इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार हमारे श्री जयनारायण व्यास ने पार्लियामेन्ट में इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। पार्लियामेन्ट की प्रोसीडिंग्ज़ अगर देखी जाय तो आप खुद पढ़कर इस बात को जान लेंगे कि उन्होंने इसकी वजह से एक महापुरुष की नाराजगी को बर्दाश्त करते हुए भी यह बात उठाई है....

श्री जसवन्तसिंह:—यह कोन्स्टीटयुएन्ट असेम्बली के स्टेज की चीज थी। पार्लियामेन्ट के लिए मैं चेलेन्ज कर सकता हूं और मैं कोई भी शर्त लगाने को तयार हूं कि जब एक कट मोशन मैंने सरदार पटेल के खिलाफ रखा था तो मेरे कई साथी जिन्होंने वायदा किया था कि वे कम से कम मेरे साथ वोट देंगे, वोट लेने का जब समय आया तो हाउस से उस समय उठ गए (शेम शेम)

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया: -मैं समझता हूं कि मेरी बात का जवाब तो विरोधी पक्ष के नेता ने स्पष्ट करके दे दिया। चाहे कोन्स्टीट्यूएन्ट असेम्बली के अन्दर उठाया हो चाहे पार्लियामेन्ट के अन्दर, लेकिन व्यास जी ने एक महापुरुष की नाराजगी को मोल लेकर भी इस सवाल को उठाया था। इसलिए विरोधी पक्ष के नेता का यह कहना है कि इस दल के सदस्य ने इस संबन्ध में कोई आवाज नहीं उठाई; वह गलत है। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो सज्जन आबू के प्रति अपने दिल में लगन रखते हैं उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि राजस्थान प्रादेशिक कांग्रेस आज तक केवल चर्चाएं ही नहीं करती रही है, बल्कि सक्रिय रूप से इस बारे में कार्य भी कर रही है। कांग्रेस के कई कार्य-कर्ताओं पर इसी वजह से मुकद्दमें चल रहे हैं; इस बात को सदन के बहुत से माननीय सदस्य जानते होंगे। मैं नहीं समझता हूं कि यह अवसर कांग्रेस के ऊपर छींटा-कसी करने का है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और इस तरह से इस अवसर को इस तरह काम में लाया जायगा। जो जानने वाले हैं, जानते हैं कि आबू में हमारे बहुत से कार्यकर्त्ता काम कर रहे हैं और वहां के जनमत को राजस्थान के पक्ष में बनाये हुए हैं। वहां के लोगों पर जो मुकद्दमें चलाए गये तो प्राविंशियल कांग्रेस कमेटी ने एक डिफेन्स कमेटी कायम की तथा और बहुत सी दूसरी कार्यवाइयें भी की हैं; इस प्रकार की गलत फहमी पैदा करने का यह अवसर नहीं था। इस बात को चाहे हम इस ओर हों; चाहे उस ओर; यह सोचें कि आबू का प्रश्न हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां की जनता यह चाहती है कि वह यहां आये, क्योंकि वहां की जनता की आवाज के खिलाफ उसको एक दूसरे प्रान्त के साथ मिलाया जाता है। आज जब हम यहां सदन में बैठे हुए हैं, जब कि हमारी राजस्थान एसेम्बली बन गई है तो यह स्वाभाविक होता है कि हम राजस्थान की आवाज को एक स्वर से बुलन्द कर दें और एक साथ मिलकर प्रयन्त करें कि जो हिस्सा वहां मिलाया गया है उसको वापिस राजस्थान के अन्दर सम्मिलित किया जाय।

मैं समझता हूं इस प्रस्ताव के रखने का यह मतलब नहीं था कि आप इस प्रस्ताव पर इधर उधर की बातें कहें। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस सदन की भावनाओं को लेकर बाहर जनमत के जरिये इस बात का प्रचार करने का पूरा प्रयत्न किया जाय कि आबू राजस्थान में मिलाया जाय। हम सिर्फ आबू को इस कारण ही हममे मिलाना नहीं चाहते कि वह हमारा अंग सैकड़ों वर्षों से हमारा रहा है लेकिन सबसे ज्यादा महत्व की चीज जिसे मैं सबसे अधिक महत्व देता हूं वह है "जनमत"। वहां के जनमत की आवाज क्या है; यह जानना बहुत जरूरी है। जब कि यह जनतंत्र का युग है इस समय जनमत की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। अगर जनमत की अवहेलना कर आबू को दूसरी तरफ मिलाया जाता है तो यह जनमत की अवहेलना है। इस दृष्टिकोण को रखते हुए आबू हमारे प्रान्त में मिला दिया जाय। इसके लिये सब मिलकर के ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी प्रयत्न करें। मैं इतना कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर:--माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन के हर मेम्बर को इस बात की खुशी है कि हमारे सदन के नेता ने आबू के प्रश्न पर प्रस्ताव रखा। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सदन का हर एक साथी, चाहे वह सदन के इस ओर बैठा हो चाहे उस ओर, आज यह महसस करता है कि राजस्थान की जनता के साथ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। आज हम सब सदन में बैठे हुए भारत सरकार और हमारे देश के राष्ट्रपति से यह मांग करते हैं कि आबू, आबू रोड और उसके आसपास का इलाका जिस पर बंबई सरकार का कब्जा है राजस्थान में फिर से मिला दिया जाय। इस मांग को रखते हुए, हम भिखारी की तरह या मांगने वालों की तरह मांग नहीं कर रहे हैं। यह मांग हम इसलिये कर रहे हैं कि आब ऐतिहासिक, आबू हर तरह के दृष्टिकोण से राजस्थान का अंग रहा है, आगे रहेगा और रहना चाहिये। थोड़े दिन के लिए, हो सकता है, कुछ कारणों से आबू हमारे से छीन लिया जाय मगर जब तक राजस्थान का रहने वाला हर एक इन्सान और इस सदन में बैठे हुए हर एक सदस्य जब तक कि उसका जोश और होश रहेगा राजस्थान से आबू को कभी भी अलग नहीं होने देगा। विरोधी दल के नेता को यह मानना होगा कि कांग्रेस एक महान संस्था है। इसकी शाखा हर एक प्रदेश में है। जहां तक इस सवाल से तालूक है, हर तरफ बैठने वाले कांग्रस के सदस्य को यदि बंबई सरकार से या केन्द्र की सरकार से मुकाबला करना पड़े तो कंधे से कंधा मिला कर करेंगे। यह प्रश्न कांग्रेस का नहीं है। यह प्रश्न राजस्थान या बंबई में मिलाने का प्रश्न है। राजस्थान नुमायन्दों का फर्ज है कि वे सब कोई यह महसूस करें कि आबू राजस्थान का हिस्सा है। इससे कुछ नुकसान यहां के लोगों को उठाना पड़ा है लेकिन इसको मूलभूत आधार समझ कर वे आन्दोलन करें। इसके साथ २ में यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग श्री के० एम० मुन्शी यह फरमाते हैं कि आबू ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, ज्युग्राफी के हिसाब से हमारा है; बंबई प्रान्त का है। मैं इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता; केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत सरकार राजस्थान के विधान-सभा के किसी सदस्य व अन्य बाहर से किसी व्यक्ति का प्रतिनिधि मंडल आबू भेजे जो वहां जाकर जांच करे कि वहां के लोगों का रहन सहन, उनकी भाषा, बोल-चाल आदि गुजरात से ज्यादा मिलती हैं या राजस्थान से। आपके सामने एक्शन कमेटी द्वारा तैयार किये गये आंकड़े

पेश हैं । आप उस पुस्तक के पृष्ठ बीस पर देखेंगे कि सेंसस (जन–गणना) की रिपोर्ट के अनुसार १९११ की सेंसस में वहां की आबादी १,८९१२७ थी जिसमें गुजराती बोलने वाले २७५३ ही थे । १९२१ की जन-गणना में गुजराती बोलने वाले १८१६ थे, १९३१ की जन-गणना में गुजराती बोलने वालों की संख्या ३१९६ थी और १९४१ की जनगणना क अनुसार २, लाख ३३ हजार ७९ की आबादी में गुजराती बोलने वाले चार हज़ार या पांच हजार हो सकते हैं । इस प्रकार आबू में दो परसेन्ट गुजराती बोलने वाले हैं । मध्यम श्रेणी के लोग हैं जो आबू पहाड़ों पर जाकर अपना व्यवसाय करते हैं वे गुजराती बोलते हैं । आम मजदूर, आम किसान मारवाड़ी बोलता हैं । मारवाड़ में गोडवाड़ इलाके में जो बोली बोली जाती है वही वे बोलते हैं । हो सकता है वहां रहने की वजह से कुछ भाषा में फरक आ गया हो । आज भी हमारे बाड़मेर में रहने वाले लोग, सिन्ध के पास आ जाने से अपनी भाषा में सिन्धी प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वे पाकिस्तान में मिला दिये जायं । कुछ २ शब्द वे अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं । आज हम भी कभी २ अपने हिन्दी के प्रयोग में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं । इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि हम इंगलिस्तान के अंग बन गये । दो प्रतिशत गुजराती भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं तो इससे यह कभी नहीं कहा जा सकता कि आबू गुजरात का ही अंग है; इसलिये इसे बंबई प्रान्त में मिला दिया जाय । इस तरह का यह कार्य करके राजस्थान के साथ अन्याय किया गया है । आप वहां का ओढ़ना देखिये, वहा की स्त्रियों का पहनाव देखिये घाघरे देखिये, वहां के आदमियों का पहनाव देखिये, वहां खाना देखिये, वहां के रश्मो-रिवाज देखिये; उन सब में राजस्थानीयता है । आबू हमारे मकान की छत है । आबू हमारा है। इस पर हमारे ग्रामीण गीत भी देखिये जिसमें आबू के लिए कहा गया है 'आबू रा पहाडां में मलिया मोर बोले हों' आबू के पहाड़ों के गीत हमारे ग्रामीण गीतों में भी आते हैं। इन सब दृष्टिकोणों से देखा जाय तो आबू हमारे मकान की छत है, उसको हमसे अलग नहीं किया जा सकता । आपको यह महसूस नहीं होगा कि आबू राजस्थान में नहीं था । आबू को राजस्थान को वापिस देने के लिये चाहे हमें केन्द्र के लोगों से चाहे दूसरे पूंजिपतियों से विरोध करना पड़े तो भी हम खुशी से करेंगे । इसके साथ में एक बात और आपसे अदब के साथ जो अर्ज करना चाहता हूं कि जिस प्रकार आज हमारे सभी भारत के लोग काश्मीर के लिये प्लेबीसाइट (जनमत) के लिये कहते हैं कि प्लेबीसाइट हो जावे तो हम उसको मंजूर करेंगे । जूनागढ़ में भी प्लेबीसाइट हुआ तो फिर क्या वजह है कि सिरोही में यह प्लेबीसाइट नहीं किया गया और राजस्थान के एक अंग को काट कर गुजरात में मिला दिया गया । यह हमारे साथ में बड़ा अन्याय किया गया । मैं सदन के इस ओर और उस ओर बैठने वाले सभी सदस्यों से अर्ज करूंगा कि हम सबको इस मामले में एक होना चाहिये। जब यह प्रस्ताव एक आवाज से पास होगा तो कोई कारण नहीं कि बंबई सरकार को इस विषय में नहीं पूछा जायगा। बंबई सरकार को पूछा जावेगा और बंबई प्रांत मे भी लेजिस्लेटिव एसेम्बली है वह भी उस पर विचार करेगी। इसके लिये मैं उम्मीद करता हूं कि सब राजस्थानी चाहे वे बंबई में हों, चाहे कलकत्ते में या मद्रास में, एक आवाज

से कहें और आवाज को बुलन्द करके कहें कि आबू हमारा है और हमें दे दिया जाना चाहिये । इस प्रकार हिन्दुस्तान में एक प्रकार से इसके लिये पब्लिक ओपिनियन पैदा करनी चाहिये जो इस बात की कोशिश करें कि आबू राजस्थान का है और राजस्थान के पास रहना चाहिये । इसलिये में यह कहूंगा कि केप केमोरिन से लगा कर हिमालय और दूसरे सभी हिस्सों में इस आवाज को बुलन्द किया जाए । जहां २ राजस्थानी रहते हैं वे यह कहें कि आबू हमसे छीना नहीं जा सकता । जब हिंदुस्तान के कौने २ से आवाज उठेगी उस वक्त हम केन्द्रीय सरकार पर पालियामेंट में दबाव डालेंगे जिससे कि आबू हमें वापिस मिल सके । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इसके लिये सदन प्रस्ताव पास करे जिससे जल्दी से जल्दी आबू हमारे पास वापिस आ सके ।

श्री माधोसिंह:–माननीय अध्यक्ष, आज इस सदन के सामने आबू जैसे महान प्रश्न को लेकर सरकार के मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसको देख कर हमको बड़ा हर्ष हुआ कि जो महानुभाव आज से कुछ दिन पहले इस आबू के मामले में चुप्पी साधे, पार्टी के नेता बने बैठे थे ।

एक सदस्य:–Nothing can be said against a person who is not on the floor of the house.

श्री माधोसिंह:–मैं अर्ज करूंगा कि मुझे गलत समझ लिया गया है । मैं किसी पर आक्षेप करना नहीं चाहता कि किसी प्रकार चाहे चुप्पी द्वारा हो अथवा उनके नेताओं द्वारा, आबू राजस्थान के हाथों से निकल गया; जिससे राजस्थान को बड़ा दुख हुआ । जिस समय आबू बंबई में मिलाया गया उस समय समस्त आबू की जनता ने राजस्थान के कौने २ से राजस्थान की जनता ने आवाज उठाई कि आबू राजस्थान का है और राजस्थान में ही रहना चाहिये और हम आबू को राजस्थान में ही रख कर छोड़ेंगे । और इस संबंध में आबू के बहुत से कर्मठ कार्यकर्त्ताओं को बहुत मुसीबत उठानी पड़ी । अभी तक बंबई सरकार के शासन के हाथ में आबू की बागडोर है जिससे जनता को आज दिन तक तकलीफ उठानी पड़ रही है । आज इस हाउस के सामने यह प्रश्न आया है इसलिये मैं आबू की संस्कृति के मुत्तल्लिक दो शब्द अर्ज करूंगा । वहां के लोगों के रहन सहन व रिवाज के मुत्तल्लिक यह कहूंगा कि आबू वर्षों से राजस्थान का अंग रहा है और यह सिरोही का नाक रहा है । जब कभी आबू पर आक्रमण हुआ तो देवड़े लोगों ने अपनी जान दी । परन्तु कुछ समय पहले सिरोही का शासन प्रबन्ध एक अयोग्य शासक के हाथ में होने से हमारे भारत के शासन के बड़े नेताओं द्वारा आबू को राजस्थान से हटा कर बम्बई प्रान्त में मिला लिया था । हमारे कर्मठ नेता भारतीय सदन में उस समय या तो बोल न सके या बोलने पर चुप कर दिये गये; जिसका नतीजा यह हुआ कि आबू हमारा होते हुए भी आज हमारे पास नहीं ।

श्री मथुरादास माथुर:–नथिंग केन बी सेड अगेन्स्ट ए मेन हू इज नोट प्रेजेन्ट इन दी हाउस (किसी उस व्यक्ति के विरुद्ध सदन में कुछ भी नहीं कहा जा सकता जो सदन में नहीं है)

श्री माधोसिंहः--आज आबू को पुनः राजस्थान में मिलाने का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है । मैं सदन के द्वारा अपने यहां की जनता की छोटी सी आवाज मिलाकर हमारे हिन्दुस्तान के कर्मठ नेताओं तक पहुंचाना चाहता हूं कि आबू राजस्थान का ताज है । राजस्थान में बड़ी गर्मी पड़ती है । यह एक गर्म देश है; इसमें हिल स्टेशन का होना अति आवश्यक है । आबू हमारे यहां का तीर्थराज कहलाता है । यहां हमारे बड़े २ भवन हैं । इसके अलावा हमारे आबू की जनता तकलीफ में है। ऐसी हालत में मैं इस सदन द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने जिस प्रकार का प्रस्ताव रखा है हम उसे कार्यान्वित कराने की पूरे तौर से कोशिश करेंगे; क्यों कि आबू राजस्थान का अंग है इसलिये इसे शीघ्रातिशीघ्र राजस्थान को वापिस दिया जावे । जब राजस्थान की जनता यह चाहती है कि आबू राजस्थान में रहे तो समझ में नहीं आता कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको बम्बई प्रान्त में मिलाना कहां तक सही होगा ? यह बड़े २ कर्मठ नेताओं के लिये सोचने की बात है । मैं मानता हूं कि विधान बन गया है इसलिये बहुतसी असुविधाएं हमारे सामने आवेंगी और उसकी वजह से यह हमको शीघ्र नहीं मिल सकेगा । मगर मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप शीघ्रता करेंगे तो आयन्दा जब हमारे सदन की बैठक होगी उस समय हम देखेंगे कि आबू हमारा एक अंग होगा । इसलिये मैं यह अपील करूंगा कि हर एक मित्र, जो भी सदन में हो या हिन्दुस्तान की धारा सभा में हो या पार्लियामेन्ट में हो, जरूर यह प्रयत्न करे कि आबू राजस्थान में शीघ्रातिशीघ्र मिले ।

श्री गोपीलाल यादवः--मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूं क्यों कि इस प्रश्न पर बहस काफ़ी हो चुकी है । अब ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है सदन का समय काफी बच जायगा ।

उपाध्यक्षः--जिसको बोलने की इच्छा हो थोड़ा और बोल लें ।

श्री जसवन्तसिंहः--(आपत्ति) जब क्लोजर मूव कर दिया गया है तो जब तक उस पर निर्णय नहीं हो जाता तब तक दूसरा कोई नहीं बोल सकता । या तो इसे विदड्रा कर लिया जाय या इसे वोट के लिये रख दिया जाय । विधान सभा के कायदे को देखने से पता चलेगा कि क्लोजर मूव करने के बाद जब तक फैसला न हो जाय तब तक बहस नहीं हो सकती । या तो विदड्रा करें या हरा दिया जाय ।

श्री मथुरादास माथुरः--नो क्लोजर मोशन हेज बीन मूवड ।

श्री गोपीलाल यादवः--मालूम होता है कि हाउस के दोनों ही तरफ के लोग बहुत कुछ बोलना चाहते हैं और ऐसा महसूस होता है कि उनके पास समय काफी है इसलिये मैं अपना मोशन वापिस लेता हूं ।

श्री मदनमोहनः–अध्यक्ष महोदय, आबू के विषय पर हमारे माननीय मुख्य मंत्री नें जो प्रस्ताव पेश किया है उसके लिये इस सदन के सदस्यों में कोई मतभेद नहीं हो सकता; ऐसी मेरी धारणा ह । इस सदन के सम्मुख जब श्रीमन् राजप्रमुख ने अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया था तो उसकी आलोचना करते हुए सदन के बहुतसे सदस्यों ने इस बात को महसूस किया था कि इतने गंभीर विषय पर उन्होंने अपने भाषण में कोई चर्चा नहीं की। मैं इस मौके पर सदन की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात पर बधाई देता हूं कि हमारे इस नव-निर्मित सरकार के पहले मुख्य मंत्री की हैसियत से इस सदन के पहले ही अधिवेशन में इस चीज की ओर उन्होंने एक ठोस कदम उठाया है । हमारे यहां ऐसी परम्परा है कि राजा महाराजाओं के जमाने में भी ऐसे मंत्रियों को जो उस राज्य की भूमि या जमीन की रक्षा करते थे बल्कि इसके अलावा उस भूमि को और अधिक बढ़ाने में जो २ कदम उठाते थे उनके कार्य की सराहना की जाती थी । उसी हैसियत से इस मौके पर जो कदम उन्होंने उठाया है मैं उनकी सराहना करता हूं और उनको बधाई देता हूं ।

बहस के सिलसिले में कुछ ऐसी बातें कुछ मित्रों ने कही उसके लिये जो कुछ प्रयत्न आगे किया जाना चाहिये था, वह किया गया । उन्हीं बातों को सदन के सामने दोहराने में कोई फायदा नहीं है । मैं खुद विश्वास करता हूं कि व्यासजी जैसे आदमी जिन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा में पूरा किया, इस मामले में चुप्पी साध कर नहीं बैठने वाले थे । हां, कुछ ऐसी परिस्थितियों अवश्य थीं जो इन बातों को पूरा न कर सकीं। लेकिन इन बातों को अब दोहराने में कोई फायदा नहीं है । हमें चाहिये कि हम इस मामले में अपनी आवाज बुलन्द करें और एक ठोस कदम इस चीज के लिये बढ़ावें और जो तत्व इसका विरोध करेगा उसको मिटाने की पूरी कोशिश करें । जहां तक उन राजनैतिक कारणों का संबंध है जिनकी वजह से आबू बंबई में मिलाया गया, मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी रोशनी डाली है । उन्हें फिरसे दोहराने से कोई फायदा नहीं है । एक बात जो साफ दिखाई देती है वह यह है कि आबू जिस वक्त राजस्थान का एक अंग था उस वक्त जैसी चहल पहल थी और जिस प्रकार उसे हमने अपना घर समझ कर सुन्दर शहर बनाया वहां आज वह रौनक नहीं है । वह आबू अब पुराना आबू नहीं रह गया है । यह एक ही चीज बताने को काफी है । जिनको आबू दिया गया है उन्हें इसमें दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वे इसको घर की चीज नहीं समझते । अब तक जो चीज दी गई है उसकी ओर वहां की सरकार ने कोई खास कदम नहीं उठाया है । आबू वह जगह है जहां पर मुख्य मंत्री, राजा महाराजा रहा करते थे । वहां रह कर ग्रीष्म काल में राज-काज चलाया जाता था और इसे दिन ब दिन सुन्दर बनाया गया । आबू के साथ हमारा संस्करण है और इतिहास है उसे मिटाने की किसी की ताकत नहीं है । हमारे लिये यह एक महत्व का विषय है । हम सब मिल कर आज इस सदन के जरिये आवाज बुलन्द कर रहे हैं कि आबू हमारा मुख्य अंग है और हमें वापिस किया जाय । मैं आशा करता हूं कि हम जितना मिलकर जोर लगायेंगे उतनी ही शीघ्र सफलता होने की संभावना है ।

श्री हरिदेव जोशी:-अध्यक्ष महोदय, हम जिस बात को पिछले कई दिनों से इन्तजार कर रहे थे वही आज इस रूप में हमारे सामने आयी है। राजस्थान में और हिन्दुस्तान में देश की आजादी के साथ एक प्रश्न पैदा हुआ कि जो छटी मोटी रियासतें हमारे देश में विद्यमान थीं उनका भविष्य क्या होगा? जैसे जैसे रियासती संघ बनने लगे एक प्रान्त और दूसरे प्रान्त की सीमाएं मिलने लगीं। देश के अन्य भागों में भी इस तरह का सवाल आया। राजस्थान में भी सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और दूसरे ऐसे स्थानों के बारे में लोग अपने अपने प्रदेश में आना चाहते थे। उनके सामने कुछ आकांक्षाएं थीं। हमने देखा कि गुजरात के लोगों ने एक यह भी आवाज बुलन्द की कि उन्हें सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो गुजरात के अंग हैं, को अपने यहां लाने की कोशिश करनी चाहिये। इसके पीछे कुछ स्वप्न थे, अरमान थे और आकांक्षाएं थीं। एक प्रकार से महान् गुजरात के निर्माण की उनके मन में भावना थी। सौभाग्य से हमारे प्रान्त और वहां के लोगों ने इस चीज का विरोध किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम लोगों ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा को गुजराज में मिलाने का विरोध किया। इसी प्रकार, सिरोही थोड़ा ढीला जरूर रहा, पर वहां के लोगों ने इस बात का पूरा विरोध किया। लेकिन एक दिन आया जब हमने सुना कि आबू हमसे छीन लिया गया है। लोगों को बुरा लगा इसलिये कि आबू हमारी गरिमा है, आबू हमारी शान है। हम इसको इसलिये नहीं लेना चाहते कि वह आज भी हमारी शान है, एक जमीन का टुकड़ा है बल्कि इसलिये कि वह हमारा है। इसलिये जब तक वह हमारे हाथों में वापिस नहीं आ जाता हमें चैन नहीं पड़ सकती, हम चैन से बैठ नहीं सकते। जब इसे हमसे लिया गया तब एक चीज हमारे सामने रखी गई कि जब तक राजस्थान में लेजिस्लेटिव एसेम्बली (विधान सभा) कायम नहीं की जाती और जब तक लेजिस्लेटिव एसेम्बली अपनी राय कायम नहीं करती तब तक पार्लियामेन्ट इस संबंध में अपनी कोई राय देने को तैयार नहीं हो सकती। अब यह सुअवसर आया है। आबू के लोग और राजस्थान के लोग इस पर अपना अधिकार समझते हैं। बंबई के स्वार्थी लोगों को, जिनका दिमाग इस भावना में लगा है उनको मैं इस हाउस के जरिये बताना चाहता हूं कि आबू हमारा है और जब तक हम उसे वापिस नहीं लेलेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसी सदन के जरिये हम हिन्दुस्तान के महानुभावों को बतलाना चाहते हैं कि जो चीज हमारी ले ली गई है वह हमारे साथ अत्याचार और ज्यादती है। जब तक हमें वह लौटाया नहीं जाता है तब तक राजस्थान का बच्चा चैन नहीं लेगा; चाहे उसके लिये कितना ही बलिदान देना पड़े। हमने बलिदान किया है और कर रहे हैं। यह आश्चर्य और खेद की बात है कि हमारे कुछ भाइयों को वहां पर रोक रखा गया है; उनको हाजरियें, जरायम पेशा लोगों की तरह, देनी पड़ती है; यह कोई अच्छी चीज नहीं है। यह तो क्या और भी कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा तो हम बर्दाश्त करेंगे। अपनी शान के लिये राजस्थान के नागरिक बलिदान देंगे।

मेरा एक और निवेदन जो है वह यह है कि केवल भाषण देने से ही हमारे कर्त्तव्य की इति श्री नहीं हो जाती। हमें इसके लिये सतत् प्रयत्न करना होगा; खास तौर से उस क्षेत्र के अन्दर जो पीड़ित क्षेत्र हैं। उस प्रदेश के अन्दर आज हमें काम करने की जरूरत है। जो भाई वहां से आये हैं उनको उस प्रदेश के अन्दर यह

भावना पैदा कराने की जरूरत है। आज जो आबू का प्रस्ताव हमारे सामने आया है हम उसके अन्दर स्फूर्ति महसूस कर रहे हैं, और मैं, अध्यक्ष महोदय, यह अनुभव करता हूं कि हम इस प्रस्ताव के जरिये हिन्दुस्तान की सरकार को, हमारे देश की केन्द्रीय सरकार को यह मजबूर करें कि जो हिस्सा हमारे प्रान्त का बम्बई में मिला लिया गया है और जब कि वहां की जनता यह चाहती है कि वह हिस्सा फिर से राजस्थान में मिलाया जाय, हमें वापिस दे दे।

इस दौरान में चन्द शब्दों में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आबू हमारा है, क्योंकि वह राजस्थान का एक अंग है। यही हमारा नारा होना चाहिए और इस नारे को पूर्ण करने के लिए हम सबको मिल कर वे प्रयत्न, जो कुछ भी हो सकते हैं करने चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री मोहब्बतसिंह:—माननीय अध्यक्ष, इसके पूर्व कि मैं अपने विचार सदन के सामने आपके जरिये रखूं मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस प्रस्ताव को लाने के लिए, अपनी ओर से एवं उन ५२ हजार बिछड़े हुए आबू रोड के भाइयों की ओर से और सिरोही राज्य परिषद की ओर से धन्यवाद देता हूं। राजस्थान सरकार का यह काम प्रशंसा के लायक है और हम इसकी सराहना करते हैं। भारत की आजादी के पश्चात् जब हमारे देश के अन्दर प्रान्तों का निर्माण हो रहा था उस समय बम्बई प्रान्त टूटकर दो प्रान्त बन जाने की आशंका से बम्बई के पास में कोई आबू जैसा रमणीय स्थान नहीं होने की वजह से इसको महागुजरात की कल्पना करने वाले महारथियों ने आबू के ऊपर गिद्ध की तरह आंख लगाई थी। वह आबू रोड को महागुजरात में किसी भी प्रकार से सम्मिलित करना चाहते थे। उसके फलस्वरूप, उन महागुजरात का स्वप्न देखने वाले महारथियों के चंगुल में फंसकर इस तरह से, हमारे सिरोही के लोगों के साथ जो कि करीब ५२ हजार लोगों के करीब हैं; इस तरह का विचित्र खेल खेला गया जिसका कि पूर्ण विवरण मैं आपके सामने रखता हूं।

गणराज्य के मोहरत के समय, यानि २६ जनवरी सन् १९५१ को, जब कि गणराज्य का मोहरत हो रहा था उस समय २५ जनवरी की रात के रेडियो से इस तरह का एलान किया गया कि सिरोही रियासत का यह भाग बम्बई में शामिल किया जाता है और सिरोही रियासत का शेष भाग राजस्थान के अन्दर सम्मिलित किया जाता है। क्योंकि २६ जनवरी का अवसर था इसलिए हमारे दुखित भाइयों ने इस अत्याचार के समाचार को अपने दिलों में सहन किया और चुपचाप बैठे रहे क्योंकि वे गणराज्य की शुभ घड़ियों के अन्दर इस तरह का अशुभ काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने २६ जनवरी के बाद में २८ जनवरी को एक सभा बुलाई। सभा के अन्दर, आपको ताज्जुब होगा कि कम से कम २५ से ३० हजार व्यक्ति सम्मिलित थे; जब कि उस हिस्से की कुल आबादी ५२ हजार की है। तो इतनी बड़ी संख्या में वहां सम्मिलित होकर एक आवाज में यह कहा गया कि हम राजस्थानी हैं और राजस्थान के अन्दर जाकर रहेंगे। यह आवाज उन्होंने कड़े शब्दों में उठाई। इसके पश्चात् उस रोज यह प्रण किया

गया कि जब तक हम पुनःराजस्थान के अंग नहीं बन जायेंगे तब तक २८ जनवरी को हर वर्ष "प्रोटेस्ट डे" (विरोध दिवस) मनाते रहेंगे । बम्बई सरकार की ओर से कई तरह से उसे कुचल डालने के प्रयत्न करने पर भी आज तक २८ जनवरी को "प्रोटेस्ट डे" मनाते रहे हैं और मना रहे हैं ।

इसके बाद में बम्बई सरकार ने १४४ धारा का प्रयोग १६ नवम्बर, १९५१ को किया, लेकिन बम्बई सरकार ने आबू रोड़ के लोगों के दिलों में प्रगति देखी और इस तरह से लोगों के अन्दर प्रचार नहीं रुका और प्रचार की गति कम होने के बजाय बढ़ रही है । तो इस प्रकार बम्बई सरकार ने १४४ धारा इस आजाद हिन्दुस्थान के अन्दर उन पर निर्माण की ओर उसके अनुसार उन भाइयों को मीटिंग करने से रोका गया और कइयों को तो एक स्थान पर एकत्रित होने के लिए रोका गया । यह विधान के अनुसार नहीं था और विधान के प्रतिकूल बम्बई सरकार ने यह किया, लेकिन आबू रोड़ के कार्यकर्ता इस बात में प्रगतिशील रहे । वह कभी डरे नहीं । इस हाउस के सामने मैं यह कह देना चाहता हूं कि उन्होंने काफी काम किया । श्री गोकुल भाई भट्ट ने इस सिलसिले में काफी सहयोग दिया । मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, हालांकि पहले कुछ भी कहा हो । गोकुलभाई ने इसका नेतृत्व किया और उसके अन्दर उनके साथ दूसरे लोग भी सम्मिलित हुए और उन्होंने सरकार को इस बात पर मजबूर कर लिया जिससे एक महीने के अन्दर अन्दर वह १४४ धारा उठानी पड़ी । इसके बाद बंबई सरकार ने साम, दाम, दंड, और भेद सभी नीतियों का इस्तेमाल किया और वह नीति हर तरह से यह रही कि कार्यकर्ताओं की आवाज को दबाया जाय । उनका कहना तो यह है कि यह हल्ला तो केवल कुछ कार्यकर्ता ही करते हैं । लेकिन इसके आगे फिर बाद में अनाज और कपड़ा भी देना उन्होंने बन्द कर दिया । तो १९ मार्च, १९५२ को प्रान्त की सरकार से अनाज और कपड़े की मांग को लेकर एक डिप्यूटेशन मिला । इस पर उनको यह कह कर हटाया कि 'मारवाड़ी तो सब चोर होते हैं' । इसके ऊपर पार्टी के लोगों ने बहुत रोष दिखाया और उन शब्दों को विद्ड्रा करने के लिए २४ घंटे का नोटिस दिया । चूंकि सरकार का पूरा सपोर्ट उन सरकारी अधिकारियों पर था इसलिए उन्होंने उसकी कुछ परवाह नहीं की । इस पर २३ मार्च को अखबारों में रोष प्रदर्शन किया गया और जुलूस निकाले गये । उसके अन्दर कुछ सरकारी अधिकारियों के पुतले निकाले गये । इससे सरकार ने क्रोधित होकर वहां के प्रमुख सब कार्यकर्ताओं को अरेस्ट (बन्दी) कर लिया और उनको चालान करके जेल के अन्दर भेज दिया । उनके ऊपर झुठे मुकद्दमे चलाये तथा जेल के अन्दर अत्यन्त घृणित व्यवहार उनके साथ किया गया । उन कार्यकर्ताओं की स्त्रियों के ऊपर, उनके मित्रों के ऊपर, उनकी बहनों के ऊपर केस चलाये गये । हर तरह से उनको उलझाने की बंबई सरकार ने कोशिश की ।

इसके बाद २३ मार्च को जब सब लोग इकट्ठे होकर पुलिस एस. पी. के पास डेप्यूटेशन ले गये और उनसे पूछा कि हमारे साथियों को किस बात पर गिरफ्तार किया है और उनसे उनको छोड़ने के लिए कहा तो अधिकारियों ने फायर करना शुरू कर दिया । उस फायरिंग में एक मासूम नौजवान सिन्धी

बालक की मृत्यु हुई । पुलिस कि गोलियों के आगे उसे अपने प्राण आबू के लिए न्यौछावर करने पड़े। इसके बाद रात को बम्बई-पुलिस का नंगा नाच ३-४ घन्टे तक रहा। राजकर्मचारियों को उनकी नौकरियों पर जाने से रोका गया। कर्फ्यू ऑर्डर लगाया। कर्फ्यू ऑर्डर में आने वाले कर्मचारियों को रेल्वे स्टेशन से उनके घर तक आने के लिए रोका गया। उनकी घड़ियों और पर्स पुलिस ने जबरदस्ती ले लीं। पुलिस का अत्याचार यहां तक ही नहीं रहा। वहां लोग जो शान्त रूप से प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं लोगों तक यह अत्याचार सीमित नहीं रहा, बल्कि वह अत्याचार घर की औरतों तक पर हुआ। एक टी. बी. का मरीज था उसे भी खटिया से घसीटा गया और मारा गया। मां-बहिनों की इज्जतों का भी पुलिस ने ख्याल नहीं किया। राजस्थान के कई बड़े बड़े लोगों और संस्थाओं की तरफ से डेप्यूटेशन गए लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। हालां कि अभी कुछ कार्यकर्ताओं को १-१॥ साल का कारावास काटने के पश्चात् उन्हें छोड़ा गया है। फिर उनका एक्स्टर्नमेंट (निर्वासन) किया गया। कुछ लोग उस एक्स्टर्नमेंट (निर्वासन) में रहे। फिर बाद में कहा गया कि वे आ सकते हैं। किन्तु प्रति सोमवार क्रिमिनल (अपराधियों) की तरह हाजरी देने आना पड़ेगा। उन भाइयों को पालनपुर या किसी और अन्य पुलिस स्टेशन पर हाजरी देने के लिए जाना पड़ता है। यह बहुत ही शर्म की बात ह (शेम, शेम) कि इस आजाद भारत में बम्बई सरकार के अधिकारियों ने हमारे भाइयों के साथ यह जुल्म किया। इसके खिलाफ जो कुछ भी कदम उठाया है वह चल रहा है। आज आबू में हम मीटिंग नहीं कर सकते हैं। आबू में एक जगह हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं।

(अध्यक्ष महोदय ने ११ बजकर ४५ मिनट पर आकर आसन ग्रहण किया)

श्री श्रीदास गोयलः--माननीय अध्यक्ष, इस सदन के सामने वर्तमान प्रस्ताव आबू के सम्बन्ध में है। राजस्थान सरकार अब भी आबू के साथ सौतेली मां का सा व्यवहार रखती है। कुछ अरसे पहले पुलिस ट्रेनिंग के लिए इन्टरव्यू हो रहे थे। उनमें आबू रोड के भी कुछ स्टूडेन्ट्स (विद्यार्थी) जोधपुर गये थे उनके डीमेरिट्स (अस्पात्रता) के कारण इन्टरव्यू नहीं हुआ। पहले तो इन्टरव्यू में बुला लिया गया फिर बाद में इन्टरव्यू नहीं हुए यह कितने शर्म की बात है। आप लोग बंबई सरकार से कहते हैं कि आबू हमारा अंग है, इसलिए हमें दे दिया जाय। तो अध्यक्ष महोदय मैं तो इस सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस बात की शीघ्र से शीघ्र कोशिश करें कि आबू हमारे प्रान्त में मिला दिया जाय। जब तक वह उसमें नहीं मिले उस वक्त तक राजस्थान सरकार को आबू के निवासियों के साथ फोरिन ट्रीटमेन्ट नहीं करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, रेजोल्यूशन के आखिरी पैरा को मैं दोहराना चाहता हूं:--

"This House, therefore, is strongly of the view that the President of India may be requested to take action under Article 3 of the Constitution of India to effect retransfer of Abu and the said adjoining areas to the State of Rajasthan at the earliest."

इस संबन्ध में बहुत से मित्रों ने विचार प्रकट किये हैं वे सब इज्जत के लायक हैं। हमारी सब को भावना है कि इक्वीटी, जस्टिस के आधार पर अब कोशिश करें और पूरा जोर डालें कि वह बम्बई सरकार आबू को राजस्थान का अंग मान करे वापिस लौटा दे। अगर इस बात को वह नहीं मानती है तो हमें आगे कड़ा कदम उठाना चाहिये। अब यह साधारण सवाल नहीं रहा, अब इस पर बड़ी गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा बहुत मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। रिजोल्यूशन जो हाउस के सामने आया यह पास भी हो जायगा। इसके बाद हाउस जो कदम उठा रहा है उसको सफल करने के लिए हम आगे चलेंगे। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर बड़ी गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। मेरा नम्र निवेदन है कि इस सदन के नेता और विरोधी दल के नेता दोनों मिल कर एक कमेटी बनाएं। उसमें कुछ बाहर के मित्रों का भी सहयोग लिया जा सकता है। हम सब बाहर इस बात का प्रदर्शन करें कि राजस्थान का आबू जो एक अविभाज्य अंग है राजस्थान में फिर शामिल किया जाय और बम्बई सरकार और यहां के नागरिकों को ईश्वर सदबुद्धि दे जिससे इस तथ्य को वे पहचान सकें।

श्री कानसिंह:—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव हमारे सामने है उस पर काफी बहस हो चुकी है। सांस्कृतिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक व कानूनी दृष्टि से आबू और आबू के पास का इलाका जो जबरन, गलत तरीके से, कानून के खिलाफ बम्बई प्रान्त के अन्दर शामिल कर दिया गया है सरकार के लिये अनुचित था। उपरोक्त दृष्टि से वापिस राजस्थान में मिला दिया जाना चाहिये। इसके साथ साथ में यह अर्ज करूंगा और उम्मेद करता हूं कि सरकार की नीति इस सम्बन्ध में यह होनी चाहिए कि जब तक आबू का इलाका वापिस राजस्थान में न मिला दिया जाता क्योंकि इसमें चार छः महिने या एक बरस भी लग जाय। कुछ इन्तजाम होना चाहिये। इसका कारण यह है कि जो कुछ भी आबू की जनता के साथ ज्यादती, जबरदस्ती या अन्याय इस वक्त किया जा रहा है आयन्दा शायद इससे भी ज्यादा हो सकता है क्यों कि वहां की जनता राजस्थान में मिलने के लिये आवाज उठाएगी तो वहां का सरकार उन पर बेजा दबाव डालेगी। इसके लिए मैं ठोस सुझाव के रूप में यह कह देना चाहता हूं कि जब तक भारत सरकार जांच करे या किसी तरह की तहकीकात करे तब तक इस बीच के समय में वहां के लोगों के साथ हो सकने वाले अन्याय को रोकने के लिए, मेरा सुझाव है कि उस इलाके को सेन्टर के आधीन कर दिया जाय। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि किसी चीज पर, जहां तक कब्जे का सवाल होता है तो वहां पर बम्बई सरकार द्वारा जो १४४ धारा लगी हुई है तो उसी धारा की तहत उस प्रदेश का इन्तजाम सेन्टर (केन्द्र) को दे दिया जाय; उस वक्त तक जब तक की फैसला नहीं होता। इस लिए मैं अर्ज करूंगा कि इस प्रश्न से लोगों पर ज्यादा ज्यादती और जुल्म को रोकने के लिए तहकीक जांच के दौरान में या तो हमारा कब्जा समझा जाय नहीं तो सेन्टर के आधीन कर दिया जाय। इसलिये राजस्थान सरकार को कदम उठाना चाहिये कि जब तक इसका तसफिया न हो यह इन्तजाम अवश्य कर देना चाहिये। इन सब तथ्यों के साथ सभी दृष्टियों से आबू को हमारे पास रहने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये मैं उम्मेद करता हूं कि जो सरकार तीन साल तक वक्तन फवक्तन इस कार्य में रुचि नहीं ले रही थी अब उस सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है; यह अच्छा है। जैसे कहावत भी है कि "सुबह का भूला भटका शाम को घर आजाय तो भूला नहीं

कहलाता"। उसी प्रकार हमारी राजस्थान सरकार जिस सवाल को तीन साल से भूल रही थी उसने अपनी भूल को जब अब समझ लिया है तो वह अब भूल नहीं कह लाएगी। अब इस पर पूरी तरह से गौर करके आबू को वापिस लेने की पूरी कोशिश की जाय।

स्थगन प्रस्ताव (निर्णय)

माननीय अध्यक्ष:–जो एडजोर्नमेन्ट मोशन (स्थगन प्रस्ताव) श्री मोतीलालजी ने रखने की आज्ञा चाही है उसमें तीन विभिन्न बातों का समावेश उन्होंने किया है।

१. डूंगाराम के कत्ल का और उसके साथ रामरखराम बिसनोई के कत्ल का, और

२. जोधपुर डिवीजन के अन्दर कुछ ढाणियों में की गई डकैतियों और मर्डर का, व

३. फेलियोर ओफ दी गवर्नमेन्ट टू मेनटेन लॉ एन्ड ओर्डर इन जोधपुर।

रूल्स ओफ प्रोसीजर के अनुसार केवल सिंगल स्पेसिफिक मेटर को लेकर ही एड-जोर्नमेन्ट मोशन प्रस्तुत हो सकता है और यह एमेन्डमेन्ट मोशन जो मूव करना चाहते हैं इसीलिये आउट आफ आर्डर है, इसलिए डिसएलाउ (अमान्य घोषित) किया जाता है।

आबू के सम्बन्ध में संकल्प (वाद विवाद जारी)

माननीय अध्यक्ष:- (श्री देवीसिंह को संकेत करते हुए) Yes, begin.

श्री देवीसिंह:--माननीय अध्यक्ष, अभी चीफ मिनिस्टर ने जो प्रस्ताव हाउस के सामने आबू के विषय में रखा है उसके लिये हाउस के इस ओर और उस ओर के माननीय सदस्यों के लिये यह गौरव की बात है कि वे सम्मिलत होकर आबू को पुनः प्राप्त करने के लिये राजस्थान सरकार की सहायता करें। मैं उन बातों पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं जिनको लेकर शायद राष्ट्रीय सरकार ने आबू को बंबई प्रान्त में लिया है। मेरे ख्याल से वे तीन बातें हो सकती हैं:–

१. पहली बात जो मेरी दृष्टि में आती है वह यह हो सकती है कि वे आबू की भाषा को गुजराती समझते हों और गुजराती भाषा होने के नाते उन्होंने आबू को बंबई में मिलाया हो। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक भारत में कहीं भी भाषा के आधार पर प्रान्तों का निर्माण करना तय नहीं हुआ है। जब आन्ध्र देश प्रान्त की मांग भाषा के सिद्धान्त पर पूरी नहीं की गई तो क्या कारण था कि सिरोही के छोटे से टुकड़े को यह कह कर कि वहां उन्हीं की भाषा बोली जाती है, राजस्थान से निकाला जावे। मेरे खयाल से यह न्याय की बात नहीं है। अगर भाषा पर गौर करते तो अजमेर मेरवाड़ा कभी का राजस्थान में मिलाया जाता क्योंकि वहां तो उन्हें मालूम हो जाता कि वहां राजस्थानी भाषा ही बोली

जाती है। परन्तु एक और तो अजमेर भाषा के लिहाज से व राजस्थान के बीच में होते हुए भी राजस्थान में नहीं मिलाया जाता है और दूसरी तरफ आबू जो राजस्थान का एक अंग था उसको भाषा के दृष्टिकोण से राजस्थान के बाहर निकाल दिया जाता है; यह एक न्याय की बात नहीं है।

२. दूसरी बात यह हो सकती है कि आबू की जनता बंबई प्रान्त में जाना चाहती थी। परन्तु अब तक जो भाषण हुए हैं उनसे और जहां तक कि वहां की खबरें आई हैं उनसे यह स्पष्ट है कि आबू की जनता राजस्थान के साथ रहना चाहती है और अध्यक्ष महोदय, हाउस को यह भी मालूम होगा कि आबू की जनता ने पिछले चुनाव में वोट नहीं दिये और कहा कि हम राजस्थान में वोट देंगे और दे सकते हैं; बंबई में नहीं देंगे।

३. तीसरी बात यह हो सकती है कि शायद आबू को एक हिल स्टेशन होने के नाते बंबई में मिलाया जाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बंबई के पास इस वक्त भी हिल स्टेशन मौजूद है; किन्तु हमारे राजस्थान के पास सिर्फ एक आबू ही है। दूसरी बात यह कि बंबई के पास समुद्र का बहुत बड़ा किनारा है जिसको वे डेवलप कर सकते हैं परन्तु राजस्थान के पास जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के रेगिस्तान हैं। इस दृष्टिकोण से भी आबू बंबई के लिये इतना महत्व का सिद्ध नहीं हो सकता जितना हमारे राजस्थान जैसे रेतीले प्रान्त के लिये हो सकता है।

इन तीनों बातों को लेकर यदि आबू को बंबई प्रान्त में मिलाया गया तो ये तीनों ही बातें ऐसी हैं जो आबू को बंबई में मिलाने के हक में नहीं हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में मेरे से पहले वक्ताओं ने इस पर काफी प्रकाश डाला है। इन सब बातों को देखते हुए आबू राजस्थान का एक अंग होता है न कि बंबई का। इसलिये मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा राजस्थान सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस प्रस्ताव से आगे बढ़कर इसके लिये एक योजना बनावें। इसके लिये सदन के जो १६० सदस्य हैं वे भी अपना गौरव इसमें समझें कि जब तक आबू राजस्थान में वापिस न आ जाएगा वे चैन की निद्रा न लेंगे। इसके लिये वे जो कुछ सेवा कर सकें, करें। मैं मेरी अपनी सेवाएं इसके लिए अर्पित करता हूं।

श्री कुम्भाराम:—अध्यक्ष महोदय आबू का प्रस्ताव आज सदन के सामने है आ एक खुशी री बात है। आबू राजस्थान रो रेहतो रयो है ओर रेणो चाइजे। पण एक बात हुई। आबू राजस्थान सूं ले लियो गयो; ओ आपांरे ध्यान न देने सूं हुयो ओर इण वजह सूं आज हाउस में बैठ्या ने आ बात केणी पड़ी। गुजरात कई वर्षों सूं आबू माथे नजर लगाय ने बैठ्यो हो। इण बात ने समझ राणा कुम्भा रक्षा खातर किलो अचल गढ़ बणायो हो, जो आज भी खड्यो है। आ कोई आज री बात नहीं है; गुजराती लोग गुजरात ने बढ़ावणी चावता इण खातर आबू पर नजर रहती। राजस्थान रे पले इ पुरखां ख्याल राख्यो इसो नहीं होवण दियो। मैं आ नहीं मान सकूं कि आबू गुजरात में समा सकेलो। और गुजरात रा लोग

आबू ने दबा सके ला। आबू राजस्थान रो आब है और राजस्थान आबू रो मान। किरी ताकत जो म्हारे आब और मान ने उतारे इण वास्ते मैं कह सकूं हूं के आबू राजस्थान में ही रहणो चाइजे। जद तक राजस्थान रा लोग अपन आपनें राजस्थानी होणे रो गुमान करे है और आबू ने राजस्थान रो आब माने है, आ बात जद तक दिलां में है, आबू जा नहीं सके। आबू कलम री करतूत सूं थोड़े दिना रे वास्ते आपणे सूं अलग हुयो है पण दिल सूं नहीं। दिल में घुसी चीज कुण काढ़ सके है और नहीं काढ सके तो फेरूं आबू म्हारे बिना राखणे वालो कूण। आबू एक बार आपणे हाथ सूं गयो आछो हुयो। आपणी आंख्या खुली। आबू न जातो तो आंख्या ही नहीं खुलती; घोड़े और मरद री आंख चोट खायां खुले। आबू वाली चोट लागी है, आंख खुली है; आबू आवसी। आबू खातर रोवें ओर भीख क्यूं मांगे, वो तो आपणो है। आपणे में ताकत है आपां आपणी चीज लेवां लाओ (चीअर्स) इण बारे में एक दूसरी बात और बताऊं। जमीन और जोरू जोर री हुवे। नामर्दों की जमीन और जोरू जाया करे; मरदों री नहीं। राजस्थान वीरों री भूमि है। इरो नाम मूर धरा है। मारू: (योधा) री जमीन दबाने कोई के सुख पावलो। इण विचारां रे साथ इण प्रस्ताव रो समर्थन करतां थकां ओ विश्वास राखूं हूं के अगले अधिवेशन सूं पेली आबू राजस्थान में आ जावे। आबू रे लोगों ने इण मांग रो समर्थन करने आबू ने राजस्थान में मिलाण री मांग करणी चाइजे। आबू रे बारे में आपांणे गिड़गिड़ाय र मांग नहीं करणी है; ओ तो राजस्थान रो है राजस्थान ने मिल जाणो चाइजे। आ वाजिब और न्यायरी बात है। इण खातर म्हारो तो पूरो भरोसो है के आबू आसी अर जाण ही कियां देस्यां। जय राजस्थान।

श्री शास्त्री:–अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि हमारा सेशन श्रीमन् राजप्रमुख के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के रूप में जब प्रारम्भ हुआ था तब विरोधी पक्ष के लोगों के विषय में यह सोचा गया था कि वे वाम पक्षी हैं इसलिये हर चीज का विरोध करेंगे और दक्षिण पक्ष के लिये यह समझा गया था कि उनका अनुकूल क्षेत्र है। लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज आबू का प्रश्न लेकर आरम्भ दोनों ओर के मिलने से, मंगलमय हो रहा है। मंगलमय आरम्भ इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि हम आबू को अवश्य प्राप्त करेंगे और हमारा मंगलमय कार्य अवश्य सफलीभूत होगा। जो मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिये कदम उठाया है उसके लिये उन्हें धन्यवाद दिया जा सकता है क्योंकि वही प्रधान मन्त्री धन्यवाद का पात्र हो सकता है जो अपनी सीमा का विस्तार अधिक से अधिक रूप में करे और अपनी भूमि को न जाने देने के लिये प्रयत्नशील हो। इसलिये हमारे प्रधान मंत्री ने जो प्रयत्न किया है उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे राजस्थान का आबू हमारे सर्वांग का मस्तक है। संस्कृत में कहा गया है कि प्रथम अंग जो है वह उत्तम है और इसी कारण से मस्तक को उत्तमांग कहा गया है। हम नहीं चाहते कि हमारा उत्तमांग किसी तरह पराजित हो। हमारा मस्तक आज तक किसी के सामने झुका नहीं है तो फिर इस पर दूसरों का अधिकार कैसे रह सकता है ? यह हो नहीं सकता। इसलिये मुख्य मंत्रीजी का कदम प्रशंसनीय है। आबू पर हमारा उतना ही जन्म सिद्ध अधिकार है जितना भारत पर। स्वर्गीय लोकमान्य तिलक ने हमारे सामने एक योजना रखी थी जब कि भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था और

कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उनके कहने के आधार पर हम लोग अड़े रहे और इतना प्रयत्न किया कि अंग्रेजों को यहां से जाने के लिये बाध्य होना पड़ा और भारत स्वतंत्र हुवा और फल स्वरूप भारतवासी अपना अधिकार प्राप्त कर सके। ठीक आबू पर भी हमारा उतना ही अधिकार है। एक पूर्व वक्ता ने बतलाया कि ऐसी बात पहले कह सकते थे; अब नहीं कहनी चाहिये। लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अधिकार हमारा है और इसी बात को हम जोर से दोहरा सकते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि अंग्रेजों को भारत से निकालना जरूरी था इसलिये कि वे विदेशी थे किन्तु इस सम्बन्ध में यह बात कहीं जा सकती है कि जब राजस्थान अन्य प्रान्तों की तरह भारत का एक प्रान्त है क्योंकि आबू की यह जमीन चाहे राजस्थान में रहे या बम्बई में; एक ही बात है। इस सम्बंध में मैं इतना कह सकता हूं कि अधिकार के मामले में चाहे हमारे सामने हमारा भाई ही क्यों न हो उसके लिये संघर्ष करना पड़ता है। दुर्योधन और युधिष्ठर ने अधिकार के मामले को लेकर ही आपस में घोर संघर्ष किया। ठीक उसी तरह हम कह सकते हैं कि भारतीयता के नाते तो चाहे हम बम्बई के हों या राजस्थान के; आपस में प्रान्तीयता को भुला सकते हैं परन्तु जब अधिकार का प्रश्न आता है तो हम उसे नहीं भुला सकते। राजस्थानियों ने अपनी प्रान्तीयता को अपनाकर भी ऊंचा मस्तक उठाया है। यदि हम प्रधान मंत्रीजी के इस प्रस्ताव को कार्यरूप में परिणित करने के लिये पूर्ण सहयोग देंगे तो हम अवश्य सफलीभूत होंगे। इसलिये मैं यह कहूंगा कि अपने आबू को अपने में लाने के लिये जितना प्रयत्न करना पड़े, करना चाहिये। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम कृतघ्न हैं। वास्तव में हम कृतघ्न नहीं हैं। आबू की भूमि ऐसी है कि जिसकी नदियों से राजस्थान का पोषण हुआ है। आबू का सबसे उत्तम पहाड़ राजस्थान का है। उसे दूसरों के आधीन करके हम चुप रहें; यह अकर्मण्यता और अधिकार की अवहेलना होगी; यह मनुष्य के कायरता की सूचक है। राजस्थान वीरता का क्षेत्र रहा है इसलिये हमारा कर्तव्य है कि इसको सफल बनाने के लिये दोनों पक्ष एक मत होकर प्रयत्न करें। बस मैं इतना कह कर अपना आसन ग्रहण करता हूं; सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

श्री संपतराम:--जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आबू के विषय में रखा है, उस पर अब तक जितने भी व्याख्यान सदन में हुए हैं उनके आधार पर मैं मानता हूं कि किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया है। इस हाउस में राजस्थान की जनता के जो प्रतिनिधि आये हैं उन्होंने सरकार की यह बात मानली है कि यह प्रस्ताव पास होना चाहिये। ऐसी हालत में मेरी मान्यता है कि फर्दर डिस्कशन्स और वाद विवाद क्यों न रोक दिये जायं और प्रस्ताव पास कर दिया जाय। मैं क्लोजर मोशन मूव करता हूं कि फर्दर डिस्कशन रोक दिये जायं और प्रस्ताव पास कर दिया जाय।

माननीय टीकाराम पालीवाल:--अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है उस पर सदन के सब ओर से अपने २ विचार व्यक्त हुऐ हैं और सबने इसका समर्थन किया है इसलिये इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास कर दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष:– स्तप्र प्रस्तुत हुआ । प्रश्न यह है कि यह रिजोल्युशन स्वीकृत किया जाय :–

"Whereas the unnatural division of Sirohi whereby one part thereof comprising Abu and the adjoining areas were merged into Bombay State and the remainder merged into Rajasthan State is not in the best interest of the public in view of the fact that Abu is a part of Rajasthan not only from geographical point of view but also from the point of view of language, culture, mode of living, traditions and social habits of the people of Abu;

And whereas from the economic point of view also the division of Sirohi has adversely affected the daily life of the people of Abu;

This House, therefore, is strongly of the view that the President of India may be requested to take action under Article 3 of the Constitution of India to effect retransfer of Abu and the said adjoining areas to the State of Rajasthan at the earliest."

(रिजोल्युशन सर्व सम्मति से स्वीकृत)

विधायनी कार्य

राजस्थान कृषि आय-कर विधेयक, १९५२.

माननीय श्री भोलानाथ:--अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में स्थित भूमि से प्राप्त कृषि आय पर कर समाहरण(लगाने) के लिये व्यवस्था करने का विधेयक पुर: स्थापित करने की आज्ञा दी जाय ।

माननीय अध्यक्ष:--Motion moved. The question is:—

"That leave be granted to introduce the Bill to provide for the levy of a tax on agricultural income derived from land situated in the state of Rajasthan."

(प्रस्ताव स्वीकृत)

माननीय श्री भोलानाथ:–अध्यक्ष महोदय, मैं यह विधेयक पुर: स्थापित करता हूं ।

श्री कानसिंह:–इस बिल की कॉपियां अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है ।

माननीय अध्यक्ष:–बिल की कापियां तैयार हैं और टेबिल ओफ दी हाउस पर अभी रख दी जाती ह । आप उनको ले लीजिये ।

राजस्थान विधान सभा (पदाधिकारियों तथा सदस्यों को पारिश्रमिक) विधेयक, १९५२.

माननीय अध्यक्ष:–कल सदन के सामने राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आँफिसर्स एन्ड मेम्बर्स इमाल्यूमेन्ट्स) बिल, १९५२, के क्लाज २ (१) (ए) के ऊपर बहस हुई थी। क्लाज २ (१) (ए) के ऊपर डिविजन होकर के यह एमेंडमेंट जो था वह गिर गया था। अब क्लाज २ (१) (बी) के ऊपर राय ली जायगी।

श्री गोपीलाल यादव:--माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में इसी धारा पर जो दूसरा एमेंडमेंट (संशोधन) मेरा आया हुआ है क्या उसके लिये जाने को आवश्यकता नहीं है। मेरी समझ में पहले वह लिया जाना चाहिये और बाद में इसको।

माननीय अध्यक्ष:--मैं समझता हूं कि हम क्लॉज बाइ क्लॉज चल रहे हैं। ऐसी हालत में सुविधाजनक यह होगा अगर जिस धारा के ऊपर जितने भी अमेन्डमेन्ट्स आये हैं पहले उनके प्रस्तुतकर्त्ताओं को एक के बाद दूसरे को बोलने और डिसक्स करने का मौका दिया जाय। पहले एक के ऊपर डिसक्शन करलें तो हम आगे बढें। जैसे पहले (बी) के ऊपर चलें और फिर (सी) के ऊपर। जिन लोगों ने जो अमेन्डमेन्ट खण्ड २ के लिये दिये हैं पहले उनको डिसपोज ऑफ करलें फिर उसके सब सेक्शन्स हैं उन पर सारे के सारे एमेन्डमेन्ट्स हैं उन पर डिस्कस कर लिया जाय और बाद में सब ले लिये जायं।

श्री राजा मानसिंह:–Sir, may I point out that yesterday I introduced the whole of clause 2 and there is no other move on the discussion of the matter.

श्री गोपीलाल यादव:--मैं समझता हूं कि उस क्लाज को पहले लिया जाय और फिर उसके एमेन्डमेन्ट को लिया जाय।

माननीय अध्यक्ष:--I gather that in my absence both these amendments 2 (1)(a) and (b) were disposed of. So we now proceed on with another one.

श्री गोपीलाल यादव:- माननीय अध्यक्ष, मैं सेक्शन २ के सब-सेक्शन (१) खण्ड (बी) के अन्दर एक संशोधन पेश करना चाहता हूं। सब-सेक्शन (बी) के अन्दर यह दिया हुआ है:–

"(b) a salary of four hundred rupees per mensem to a Deputy Speaker,"

मेरा संशोधन है कि ४००) रु० के बजाय ५००) रू० रखे जायं । इस संशोधन को पेश करने के कारण के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिप्टी स्पीकर की पे (वेतन) जो इस सदन के अन्दर इस गवर्नमेंन्ट की तरफ से प्रस्ताव के रूप में रखी गई है उसके संबंध में यह संशोधन पेश किया गया है । वह इस कदर कम रखी गई है कि मैं तो यह कह सकता हूं कि यह मजाक की चीज है । हमारे सामने जो आंकड़े दिये गये हैं वह सब अधूरे थे । लेकिन जहां तक हमें पता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की सेलेरी में ज्यादा से ज्यादा २००) रु० या २५०) रु० का अन्तर आम तौर से रहता है । अभी ५ दिन हुए जब मैंने अखबारों में यह पढ़ा था कि डिप्टी स्पीकर की पे दिल्ली में ७५०) रु० प्रोपोज की जा रही है । इसी तरह से दूसरी जगह यह तनख्वाह ऐसी ही रखी गई है । डिप्टी स्पीकर की जिम्मेवारियां स्पीकर की जिम्मेवारियों से कम नहीं हैं । रोजमर्रा के कामों में भी उन्हें काम करना पड़ता है, और उसके बाद भी हर समय उनको बुलाया जा सकता है जिन्होंने यह बिल पेश किया है उन्होंने उनके वेतन को स्पीकर के वेतन से आधे से भी कम कर दिया है । तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इसके अन्दर कौनसा बेसिस (आधार) सोचकर यह चीज की गई है । मैं यह बता सकता हूं कि इस तरफ बैठे हुए पक्ष के लोग यह अनुभव कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर भी अगर गवर्नमेंन्ट पक्ष का होता तो हर तरह से उसके लिये ७५०) रू० वाजिब समझे जाते । इसलिये मैं यह निवेदन करता हूं कि ४००) रू० वास्तव में बहुत कम हैं और यदि ७५०) रू० नहीं रखते हैं तो मैंने तो सिर्फ उनके वेतन के ५००) रू० ही रखे हैं । स्पीकर की पे से आधे से कम रखना और उसे पे (वेतन) का नाम लेना पद का अपमान करना ही है । इसलिये मैं गवर्नमेन्ट से प्रार्थना करूंगा कि इस पर अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है; आशा है कि वे प्रसन्नता पूर्वक इसे स्वीकार कर लेंगे और ४००) रू० के बजाय ५००) रु० कर देंगे ।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:— माननीय अध्यक्षजी, मेरे लायक दोस्त श्री गोपीलाल यादव ने इस बिल में संशोधन रखा है कि डिप्टी स्पीकर का वेतन ५००) रुपया मासिक होना चाहिये । किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आया कि किस आधार पर यह रकम प्रस्तावित की है । अब प्रश्न यह उठता है कि स्पीकर के वेतन से इतना अन्तर क्यों रखा गया है ? जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था कि स्पीकर का कार्य पूरे वक्त का कार्य है । उनकी होल टाइम पूरे समय की ड्यूटी रहती है । इसके उपरान्त इस कार्य के अलावा वे अन्य कोई कार्य नहीं कर सकते । डिप्टी स्पीकर का पथ ऐसा नहीं है कि वे किसी अन्य कार्य को अन्जाम नहीं दे सकते । वे अपना काम करते हैं; कर सकते हैं। उनका यह आंशिक कार्य है इसलिये उनके वेतन में इतना अन्तर रखा गया है । दूसरी बात मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यही नहीं और भी प्रांतों में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वेतन में काफी अन्तर है । मद्रास में जहां स्पीकर को एक हजार रुपया मासिक वेतन मिलता है वहां डिप्टी स्पीकर को केवल ३००) रुपया माहवार रखा गया है । आमतौर पर प्रान्तों में सदस्यों और उपाध्यक्ष के वेतन में कोई १५०) या २००) रुपयों का अन्तर रखा गया है । उसी आधार को ध्यान में रखते हुए सदस्यों का वेतन २००) रुपया रखा

है और ४०० रुपया वेतन डिप्टी स्पीकर का रखा है। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखा गया है। मेरे लायक दोस्त इस बात के पक्ष में थे। स्पीकर का वेतन ५००) रुपये होना चाहिये। आज वे बड़े जोर से ५००) रुपये उपाध्यक्ष के लिए होने चाहिये; इस प्रकार की तजवीज कर रहे हैं।

श्री गोपीलाल यादवः– आन दी पाइन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन, सर, मैंने हमेशां यही सुझाव किया है कि हरेक को डिसेन्ट सैलेरी (उत्तम वेतन) दी जाय।

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः–यदि इस प्रकार के विचार होते तो कल गल्ती नहीं करते। हाउस के किसी सदस्य की बातों पर टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

श्री गोपीलाल यादवः–That is a different matter. (वह दूसरा मामला है)

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः–ऐसी इसमें कोई भावना नहीं थी कि उपाध्यक्ष के पद को कम समझा जाय; इसको कम महत्व दिया जाय। उपाध्यक्ष कांग्रेस साइड का होता तो वेतन ज्यादा हो जाता और स्पीकर उस साइड का होता तो कम कर दिया जाता; मैं स्पष्ट रूप में कह देना चाहता हूं कि यह किसी के दिमाग में भावना ही नहीं थी। आपकी तरफ से यह भावना आई है जिसे शुक्रिया के साथ में वापिस करना चाहता हूं। जो वेतन रखे हैं वे वाजिब रखे हैं। इस पर भी यदि आप मुनासिब समझें तो यह अमेन्डमेंट वापिस ले सकते है। यदि इसको वापिस न लिया जाता है तो इसे अस्वीकार किया जाय।

श्री जसवन्तसिंहः–माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। इस पक्ष का जहां तक वेतन लेने का सवाल है यह पक्ष बिना वेतन लिये ही बिना ओननेरेरियम के ही काम कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। माननीय मंत्रीजी ने एक बात यह कही है कि विरोधी पक्ष वाले यह कहते हैं कि यदि अध्यक्ष विरोधी दल का होता तो उनका वेतन हजार रुपये से ५००) करते क्योंकि जब उपाध्यक्ष के वेतन का सवाल आया है तो ४००) रु० ही रखे; इसलिये इसी बात को, लेकर विरोधी पक्ष वाले जो इनके वेतन को ४००) से बढ़ा कर ५००) रुपया करवाना चाहते हैं माननीय मंत्रीजी की इस प्रकार कही गई बात के लिये मुझे यह कहना है कि जहां तक वेतन का सवाल है हम उस पर कुछ महत्व नहीं देते। जितना मुनासिब समझें,रखा जाय। हम यहां त्याग की भावना, सेवा की भावना जैसा कि हमारे उस ओर के साथी इसका ढिंढोरा पीटते आ रहे हैं, लेकर आये हैं। इसमें न तनख्वाह की बात है और न किसी प्रकार की। जब अध्यक्ष के लिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि उनकी ज्यादा-तनख्वाह होवे तो हमारे लिए कर्त्तव्य हो जाता है कि हम भी डिप्टी स्पीकर का, दूसरे पक्ष के होने के नाते, साथ दें। यदि साथ न दिया जाय तो यह ऐतराज लायक बात है।

(माननीय उपाध्यक्ष का पदासीन होना)

श्री सम्पतराम:–माननीय उपाध्यक्ष, जैसा वाद विवाद अब चल रहा है वह श्री गोपीलाल यादव और माननीय श्री रामकिशोर व्यास के बीच में चल हा था तो फिर

मेरी समझ में नहीं आता कि दूसरे माननीय सदस्यों को उनके बीच में चलने वाली बात का एक्सप्लेनेशन देने की क्या जरुरत पड़ गई । यह तो एक्सप्लेनेशन नहीं है यह स्टेटमेन्ट दिया जा रहा है । यह जो हो रहा है वह ठीक नहीं है । दूसरा जवाब देता है तीसरे माननीय सदस्य एक्सप्लेनेशन देते हैं ।

श्री जसवन्तसिंह:—मुझे स्पष्टीकरण देने का हक है । भले आदमी पर आक्षेप लगाना ठीक नहीं । चलते २ रिमार्क कर दिया जाय कि अध्यक्ष के वेतन में कमी करते वक्त और डिप्टी स्पीकर के वेतन को बढ़ाने के बारे में जो आक्षेप लगाया गया है उसका स्पष्टीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। मुझे हक है इस पर बोल कर स्पष्टीकरण करने का । मैं माननीय महोदय को यह बताना चाहता हूं कि हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है कि तनख्वाह दी जाय या नहीं दी जाय।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—मैं माननीय मित्र के विचारों का स्वागत करता हूं । यह कह कर उन्होंने त्याग को महत्व दिया है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बिल को इतना महत्व न दिया जावे । जो सरकार ने सामने रखा है, उसे स्वीकार कर लिया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष:—चूंकि इस पर वाद विवाद नहीं करना है यह प्रश्न मेरे से सम्बन्ध रखता है । मेरा यह कहना है कि जिन्होंने अमेन्डमेन्ट मूव किया है वे विद्ड्रा करलें तो ठीक रहेगा । अगर उनकी इच्छा हो तो हाउस की सम्मति ले ली जाय ।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, चूंकि इस प्रश्न का सम्बन्ध माननीय उपाध्यक्षजी से है जो इस समय सदन की सदारत कर रहे हैं और उन्होंने आज्ञा दी है कि मैं इस संशोधन को वापिस ले लूं इसलिये मैं सदन से इस बारे में आज्ञा चाहता हूं कि वह मुझे अपने संशोधन को वापिस लेने की इजाजत दे ।

माननीय उपाध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न यह कि श्री गोपीलाल यादव ने जो डिप्टीस्पीकर की सेलेरी के लिये संशोधन रखा है उसे वे वापिस लेने की आज्ञा चाहते हैं ।

(वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई)

श्री गोपीलाल यादव:—मैं सदन की आज्ञा से अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री जसवन्तसिंह:—उपाध्यक्ष, मैं इस बिल की धारा दो के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं । यह जो ४००) रुपये डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह के दिये जावेंगे वह सेशन में आने जाने के भत्ते के अलावा होंगे या उनका डी. ए. और टी. ए. उसी में शामिल होगा।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—रु० ४००) तो वेतन के तौर पर मिलेंगे और बाकी भत्ता आदि दूसरे सदस्यों की तरह मिला करेगा।

एक सदस्य:—सेक्शन इज वेरी क्लीअर (धारा बिल्कुल स्पष्ट है)।

उपाध्यक्ष:—संशोधन सभी वापिस लिये जा चुके हैं। क्लाज २ पर सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि राजस्थान लेजिस्लेटिव एसेम्बली (ओफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमोल्युमेन्ट) बिल, १९५२ की धारा २ जो इस प्रकार हैं:—

2. Salaries of Officers:—(1) There shall be paid—

(a) a salary of one thousand rupees per mensem to a Speaker, and

(b) a salary of four hundred rupees per mensem to a Deputy Speaker,

of the Rajasthan Legislative Assembly, chosen under Article 178, read with Article 238, of the Constitution of India.

(2) The salary fixed by sub-section (1) shall be payable to a Speaker or a Deputy Speaker, as the case may be, with effect from the date on which he is chosen as aforesaid and until he vacates or resigns, or is removed from, his office as such under Article 179, read with Article 238, of the Constitution of India.

उसे स्वीकृत किया जाए (स्वीकृत)

उपाध्यक्ष:—सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि उक्त विधेयक की धारा ३ जो इस प्रकार है—

3. Salaries of Members:—Every member of the Rajasthan Legislative Assembly who does not hold the office of the Speaker or Deputy Speaker thereof shall be entitled to receive a salary of two hundred rupees per mensem with effect from the date on which he makes and subscribes the oath or affirmation of his office under Article 188, read with Article 238, of the Constitution of India until he ceases to be such member:

Provided that such salary shall be liable to such deduction for continued absence or other cause as may be provided in the rules made by the State Government in this behalf.

को इस बिल का अंग स्वीकार किया जावे। इस पर राजा मानसिंह की तरफ से एमेन्डमेन्ट आये हैं। वे अपना एमेन्डमेन्ट मूव करेंगे।

श्री गोपीलाल यादव:—ओन दी पोइन्ट आफ ओर्डर, सर। मैं इस पर पोइन्ट आफ ओर्डर रेज करना चाहता हूं। जो एमेन्डमेन्ट राजा मानसिंह ने रखा है उस सम्बन्ध में आपका रूलिंग चाहता हूं।

उपाध्यक्षः-कहिये ।

श्री गोपीलाल यादवः-मेरा निवेदन यह है कि जो एमेन्डमेन्ट राजा मानसिंहजी ने रखा है वह आउट आफ ओर्डर है और किसी भी तरह से वह विधान की चारदिवारी में नहीं आता । वह इस एक्ट के उद्देश्य को निगेटिव की तरफ ले जाना चाहते हैं। ऐसी सूरत में मैं आपका ध्यान सेक्शन ५९ की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसमें सब सेक्शन ३ इस प्रकार है:-

> "An amendment may not be moved which has merely the effect of a nagative vote."

सब सेक्शन ६ इस प्रकार है:-

> The Speaker may direct that an amendment which is grossly out of order be not put on the notice paper,

श्रीमान मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सेक्शन इस एक्ट में गवर्नमेन्ट की तरफ से है यह सेलेरीज आफ दी मेम्बर के संबंध में है । भारत के विधान में साफ लिखा है कि दे आर इन्टाइटल्ड (वह अधिकारी हैं) । यह मर्जी पर है कि वे लें या न लें। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता कि "सेलेरी" का शब्द निकाल दिया जावे । जब कानून के माफिक मिलना लाजमी है तो उसको छोड़ देना या लेना मर्जी पर है । मगर यह कहना कि यह चीज रखी जावे कि उनको खाना, रोटी आदि दी जावे, यह विधान के बिल्कुल खिलाफ है । यह विधान की मंशा के खिलाफ होने से आउट आफ ओर्डर है ।

राजा मानसिंहः-On the point of order, Sir, according to the Constitution of India, clause 195, the words are 'shall be entitled to receive such salaries and allowances as may be determined by the Legislature of the State by law' If the Legislature does not determine any salary, this clause of the Constitution does not apply.

श्री गोपीलाल यादवः--श्रीमानजी मैं इसका स्पष्टिकरण चाहता हूं । "नो सेलेरी" नेवर मीन्स "एनी सेलेरी" । इसलिये हाउस यह डिसाइड करे कि "नो सेलेरी" का क्या मतलब है ? इसके साथ २ मैं दूसरी बात यह अर्ज करना चाहता हूं कि यदि इसको सही भी माना जावे तो सेक्शन ३ में सेलेरीज ओफ दी मेम्बर्स जरूर रहना चाहिये । इन टर्म आफ सेलेरी हम उन्हें रोटी आदि दे दें यह तो ठीक नहीं । जब उसमें सेलेरी लिखा है, ऐसी सूरत में नो सेलेरी नेवर मीन्स एनीथिंग ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आपके रूलिंग की आवश्यकता है ।

उपाध्यक्षः-इस विषय में और कोई सदस्य कुछ कहना चाहें कि यह ओर्डर में है या नहीं तो कह सकते हैं ।

एक सदस्यः–दी अमेन्डमेन्ट इज इन ओर्डर, सर (संशोधन उचित है) ।

श्री गोपीलाल यादवः–क्योंकि इस पर और कोई नहीं बोल रहा है, मैं इस संबन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं कि चाहे सेलेरी दी जाय या रोटी, कपड़ा दिया जाय तब भी क्लाज में "सेलेरी" शब्द रहेगा और "सेलेरीज ओफ मेम्बर्स" रखा जायगा । सेक्शन ३ में "सेलेरीज ओफ मेम्बर्स" लिखा है । अमेंडमेन्ट में यह नहीं लिखा है कि सेलेरीज ओफ मेम्बर्स हटा लिया गया है इसलिए बिलकुल विधान के खिलाफ जाता है । इन ल्यु ओफ सेलेरीज रोटी, कपड़ा रख दिया जाता तो विधान के किसी कानून के दायरे में आजाता लेकिन सेलेरीज ओफ मेम्बर्स सही है और आगे अमेन्डमेन्ट में नहीं आता क्यों कि विधान में सेलेरीज शब्द लेते हैं और "शेल" शब्द काम में लाते हैं, इसलिए वह आउट ओफ ओर्डर है ।

माननीय उपाध्यक्षः–मंत्री महोदय कुछ प्रकाश डालना चाहें तो डाल सकते हैं।

माननीय श्री रामकिशोर व्यासः–पोइन्ट ओफ ओर्डर गोपीलालजी यादव ने पेश किया है । इसे अध्यक्ष महोदय को तय करना है इसमें मुझे कुछ नहीं करना है।

श्री गोपीलाल यादवः–दिस अनहेल्पफुल एटिट्यूड ओन दी पार्ट ओफ गवर्नमेन्ट बेंचेज विल नोट हेल्प यू सर । (श्रीमानजी, सरकारी पक्ष की ओर से असहयोग का ऐसा व्यवहार आपको सहायता नहीं देगा)।

माननीय उपाध्यक्षः–मैं इस संशोधन को आउट ओफ ओर्डर मानता हूं ।

श्री गोपीलाल यादवः–माननीय अध्यक्ष मेम्बर्स की सेलेरीज के संबन्ध म बहुतसी बातें कल कही गई और खास तौर से त्याग की बातें ज्यादा सुनने में आई । मैं श्रीमान के द्वारा इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि जहां तक गवर्नमेन्ट का संबन्ध है वहां त्याग की बातें करना उचित नहीं है । आज यदि मेरे सामने कोई आदमी आकर कहे कि मैं त्यागी हूं, मुझे थानेदार या डिप्टी कलेक्टर बना दें और मुझे १००) या २००) रु० दो तो मैं हरगिज इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता । ऐसे बहुत से त्यागी मिल सकते हैं जो पैसा न लें और मुफ्त में सेवा करें । लेकिन गवर्नमेंन्ट के भी नियम हुआ करते हैं और उनके मुताबिक चलना पड़ता है । गवर्नमेंन्ट जब किसी चीज को निश्चित करती है तो यह नहीं सोचती कि उसकी माली हालत क्या है; खराब है या अच्छी है । पटवारी को ५०) रु० के बजाय १०) रु० और क्लेक्टर को १०००) रु० के बजाय ३००) रु० देना चाहती है । हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के जजों को जिनको कि पहले ५००) रु० ६००) रु० या १०००) मिला करते थे लेकिन भारतीय विधान में उनका वेतन ३०००) रु० से भी ऊपर कर दिया गया है; हमारे यहां भी जिन जजों को ६००) रु०, मिला करते थे आज उनको २५००) रु० मिलते हैं। हमारे भारत के प्रेसिडेन्ट यदि त्यागी माने जावें तो मुझे यह सुनकर सुख नहीं होगा क्योंकि उनकी तनख्वाह आज १०,०००) रु० माहवार रखी गई है । उस समय

यह सवाल पैदा हुआ कि भारत के प्रेसिडेन्ट को त्यागी होना चाहिये; फिर भी उनके लिये १०,०००) रु० माहवार रखा गया क्योंकि एक हजार रुपया माहवार से क्या होगा ? पंडित नेहरू ३५००) रु० महावार लेते हैं, जनरल करिअप्पा ५०००) रु० महावार लेते हैं। इसका कारण यह है कि गवर्नमेंन्ट चलाने वाले यदि छोटे दिल से काम करेंगे तो देश का काम नहीं चलेगा। उनके सामने यह सवाल पैदा नहीं होता कि उनके पास रुपयों की कमी है। रुपयों की कमी होते हुए भी ठीक तरह से काम चलाना गवर्नमेंन्ट का काम है। मैंने पहले भी बताया था, जैसा कि पिछली तरफ इशारा करके हाउस के नेता ने कहा था कि वे इधर से उधर सीट बदलने के लिये तैयार हैं यदि जागीरदार मुआवजा १० गुना के बजाय ७ गुना लेने को तैयार हों। विरोधी दल के नेता ने इस बात को नहीं मानकर गलती की। यदि वे चपरासियों और क्लर्कों को १५०) रु० माहवार नहीं दे सकते और कहते हैं कि बजट में कमी है तो मैं ओफर करता हूं कि वे इधर आवें और हम उधर जावें; हम काम को पूरा करेंगे। गवर्नमेंन्ट कभी छोटे तरीके से नहीं चला करती। जो तनख्वाह इस समय एसेम्बली के मेम्बर्स की रखी जा रही है वह एसेम्बली के मेम्बर्स का अपमान करना है। अभी बद्रीप्रसादजी ने निवेदन किया था कि पार्लियामेंन्ट के मेम्बर्स की तनख्वाह पंडित जवाहरलाल नेहरू ६००) रु० माहवार रखने जारहे हैं। वहां ६००) रु० क्यों रखे जारहे हैं और यहां २००) रु० ही क्यों ? वे पार्लियामेंन्ट के मेम्बर हैं, इसलिये ऊंचे स्थान पर हैं, यह बात नहीं है। दर असल बात यह है कि जो सूबे की एसेम्बली के काम के नहीं हैं उनको वहां ढकेल दिया जाता है। वे ज्यादा योग्य हैं ऐसा कोई कारण नहीं है। कारण एक ही हो सकता है। जब चुनाव के लिये खड़े होते हैं तो हमारी कांस्टीट्युएन्सी छोटी है और उनकी बड़ी है। इसलिये उनको २५,०००) रु० खर्च करने का अधिकार है और क्योंकि वे २५,०००) रु० खर्च करके वहां जाते हैं इसलिये उनकी तनख्वाह ६००) रु० रखी गई है।

मैं जानता हूं कि जिनकी सूबों में कोई आवश्यकता नहीं होती है उन लोगों को पार्लियामेन्ट में धकेल दिया जाता है। उन आदमियों को ज्यादा इसलिए नहीं दिया जाता कि वे ज्यादा योग्य हैं लेकिन उनको ६००) रु० इसलिए दिए जाते हैं कि सूबे के मेम्बरों को सिर्फ एक ही कोन्स्टीटयुएन्सी में फिरना पड़ता है और उनकी कन्स्टीटयुएन्सी छोटी होती है जिसके लिए उन्हें केवल ६०००) रुपये ही खर्च करने होते हैं, लेकिन पार्लियामेन्ट के मेम्बर की कन्स्टीटयुएन्सी बड़ी होती है इसलिए वहां २५ हजार तक खर्च करने का उन्हें अधिकार है। चूंकि २५ हजार रुपये खर्च करके एक मेम्बर जाता है इसलिए उन्हें ६००) रु० या उससे ऊपर देने की आवश्यकता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसका भी कोई हिस्सा यहां लगाना चाहिए और उसका भी औसत लेना चाहिए। कल मेरे माननीय मित्र ने हाउस के सामने यह निवेदन किया था कि मंत्रियों को ३०) रु० रोज ही देते हैं और मेम्बरों को ३५) रु० दे रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि वह मंत्रियों से ज्यादा तनख्वाह क्यों इन मेम्बरों को देना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि जैसे एक और एक दो होते हैं

और हरएक को उसे दो ही मानना चाहिए। इस ख्याल को नहीं रखना चाहिये कि उधर वाले ने एक और एक दो बताये हैं तो उधर वाले उस एक और एक को तीन खयाल करें। आप हिसाब लगायें। हिसाब करके देखिये कि आप मिनिस्टर्स को एक हजार रुपया महावार देते हैं और उन्होंने १००) रु० वालन्टरी कट किया है। मैं उसे कट मानने को तैयार नहीं हूं। वालन्टरी कट तो हम आज करते हैं कल बन्द कर सकते हैं। जिसके लिए मैंने कल आफँर भी दिया था आज भी मेरा आफँर तैयार है। उन्हें १ हजार रुपया तो माहवार दिया जाता है, इसके साथ हमको जो एक कमरा मिला है उसके २॥ रु० रोज के किराये के लिये गये हैं। वह कमरे इतने छोटे हैं कि उसमें एक चारपाई भी नहीं आती है। इस प्रकार हमको ७५) रु० मासिक कमरे का किराया देना होगा। हमारे मिनिस्टर महोदयों को बिना किराये की कोठियें मिली हैं। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि मंत्रियों की जो कोठियां हैं वही हमको रहने के लिए दी जायं तो हम बिना तनख्वाह के ही काम करने के लिए तैयार हैं; (हंसी) क्योंकि एक एक कोठी का किराया एक एक हजार रुपये महावार से कम नहीं है। इसके अलावा कार भी मिली हुई है जो १२॥) रु० रोज भत्ता हमको दिया जाता है। आज तक किसी कर्मचारी की, चाहे वह लेजिस्लेटिव असेम्बली का मेंबर हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कलेक्टर हो उनकी तनख्वाह मुकर्रर करते वक्त यह नहीं सोचेंगे कि टूर (भ्रमण) का भत्ता इनको क्या मिलेगा। किसी वक्त इस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है। हमारे मंत्री महोदय शायद यह सोचते हों कि हाउस के आदमियों को या पार्टियों के आदमियों को राज्य के कामों का कुछ तजुर्बा तो है नहीं इसलिये वह मान जायेंगे कि यह १२॥) रुपये जो मिलते हैं इसको भी तनख्वाह में शामिल कर लिया जाय इस तरह की चीज उन्हें नहीं समझनी चाहिए। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को शायद पता नहीं हो मगर मुझे किसी तरीके से पता चल गया कि कल वहां से जाते वक्त उधर के बहुत से मित्र उनको कोसते हुवे जा रहे थे कि वे हमें इस तरह से भूखों मारना चाहते हैं.....

श्री मथुरादास:—एब्सोल्यूटली रांग, सर; एब्सोल्यूटली रांग। (बिलकुल गलत, साहब; बिलकुल गलत)

श्री गोपीलाल यादव:—क्या मेरे मित्र सर्वव्यापी हैं जो हर जगह मौजूद रहते हैं जिससे वे यह कह सकें कि एब्सोल्यूटली रांग। (बिलकुल गलत) है।

इसके साथ मैं दूसरी चीज और बता देना चाहता हूं कि यदि यह पास कर लिया जायगा तो जब यह महानुभाव अपने अपने घरों को जायेंगे तो उनके बीवी बच्चे भी उनको गालियां देंगे।.....

श्री मथुरादास:—दिस इज हिज पर्सनल एक्सपीरियन्स (यह इनका निजी अनुभव है)

श्री सम्पतराम:—इट मे बी एप्लीकेबल टू दी मेंबर, सर। (सम्भवतः यह सदस्य महोदय पर भी लागू हो सकता है)।

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कानून यह है कि इस हाउस के लोगों की तनख्वाह यह हाउस मुकर्रर करे। लेकिन इस हाउस में मेजोरिटी पार्टी इसे मुकर्रर कर रही है। अगर ऐसा भी होता तो सब्र करते। लेकिन मेजोरिटी पार्टी को भी छोड़ कर केवल १–२ आदमी मुकर्रर करते हैं तो डेमोक्रेसी का बिलकुल ही खातमा हो जायगा। इस पर दूसरी पार्टी ने वोट देकर तय नहीं किया। ऐसी सूरत में यह जो चीज की जा रही है वह हाउस में वैसे ही जबरदस्ती, थोड़े से आदमियों की मेजोरिटी से, तय किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले मेरे दिल में यह खयाल आया कि मैं अपना प्रस्ताव वापिस ले लूं, क्यों कि जब सब लोग सन्यासी बन गये हैं तो मैं भी सन्यासी बन जाऊं, लेकिन फिर मेरी आत्मा ने मेरे से यह कहा कि शासन के अन्दर इस तरह की जो भावुकता की बातें हुआ करती हैं उनको रोका ही न जाय बल्कि बन्द कर दिया जाय और शासन अच्छे रियलिस्टिक तरीकों से, शासन के नियमों के अनुसार कार्य करें। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरे माननीय मंत्रीजी ने यह बताया कि १०० दिन यह काम करते हैं। इन १०० दिनों के ४ महीनें होते हैं क्योंकि महीनें में ४–५ दिन तो छुट्टी रहती ही है। और २५ वर्किंग डेज (काम के दिन) होते हैं। वे चार महिनें तो यहां काम करेंगे। इसके बाद अपने घरों पर जाकर हाउस का काम करने के लिए दौरा करेंगे, कुछ बिल बनायेंगे, कुछ प्रस्ताव सोचेंगे जिसके लिए अपना समय लेंगे। तो साल में ५–६ महीनें का समय उनको निश्चित रूप से इसमें देना होगा। इस तरह ६ महीनें का समय हाउस को दें, फिर ३–४ महीनें का समय चुनावों में लगायें और एक हजार रुपये महीने के हिसाब से ६ महीने तक खाते रहें। ६ हजार रुपये चुनाव में खर्च करें; मैं नहीं समझता कि यह त्याग उनमें कहां से उभर आया है। इस त्याग के लिए इतनी बड़ी रकम कहां से उनके पास आ गई है। ६ हजार रुपये तो चुनाव में खर्च करने के लिए, ६ महीनें तक एक हजार रुपये माहवार से हिसाब लगाया जाय तो ५ साल के ३० हजार रुपये हुए और ६ हजार रुपये चुनाव खर्चे के मिलाकर ३६ हजार रुपये हुए और हम लेने जा रहे हैं २४०० रु० साल, जिसके मायने हैं कुल १२ हजार। तो कुल २४ हजार अपने पास से खर्च करने वाले वे हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। विधान भी इस बात को नहीं मानता है और न विधान बनाने वाले। ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी मेम्बरों का वेतन मुकर्रर किया। आज भारत में भी वह लागू किया गया। पहले वह ओनरेरियम था। आज वह वेतन रखा गया। वेतन पाने से वह १२ महीनें के मुलाजिम हो जाते हैं। यह कोई गारंटी नहीं है कि उनसे केवल १०० दिन ही काम लिया जायगा। १०० दिन से ज्यादा १०१ दिन नहीं बुलाये जायेंगे। यह चीज हरगिज नहीं होने वाली है। तो तनख्वाह भी उस ढंग से लोगों की मुकर्रर होनी चाहिए। मैं यह जानता हूं कि दूसरे पक्ष वाले इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मुझे अपना कर्त्तव्य नजर आ रहा है कि जो चीज उनकी समझ में नहीं आ रही है वह आपके आगे लाऊं; ताकि लोग यह समझें कि बात क्या है। इसलिए मैं अपना कर्त्तव्य समझ कर अपना प्रस्ताव पेश करता हूं कि ३००) रु० महावार मेम्बर्स का वेतन रखा जाय।

श्री कानसिंह:-अध्यक्ष महोदय, यह अभी हाल ही में जो त्याग की भावना बतायी गई है इन सब बातों को देखते हुए पोसिबल (सम्भव) नहीं । कल इस बारे में काफी वाद विवाद हो गया, तमाम बातों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया; सरकार की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि हममें देश सेवा की भावना होनी चाहिये। हमारी मेहनत, हमारी मजदूरी, जो कुछ भी हम करें उसके लिए वे पैसा लें यह बात मैरी समझ में नहीं आती। मेरे ख्याल में इससे बेहतर होगा कि आप लोग जो सेवा करें उसके एवज में पैसा लेकर के सेवा करना चाहते हैं इसमें कोई महत्व नजर नहीं आता। इस दफा ३ में यह लिखा गया है कि हमें प्रतिज्ञा लेने के दिन से वेतन मिलेगा; इससे पहले जो कुछ भी हमनें काम किया वह इस सदन के सदस्य की हैसियत से नहीं किया। इसलिए उस बीच में जो काम किया गया वह नाजायज होना चाहिए। इस विधान सभा के शुरू होने के पूर्व एक पार्टी ने अपनी मीटिंग की और अपना नेता चुना और उसको अपनी पार्टी का नेता मुकर्रर किया गया। यह सब इस नाते किया गया कि वे सब सदस्य जिन्होंने पार्टी-मीटिंग में भाग लेकर नेता चुना था वे सब राजस्थान विधान सभा के सदस्य चुन लिये गये थे। लेकिन जैसा कि क्लाज नं० ३ में लिखा है कि फ्रौम दी डेट आफ एफ़र्मेशन (अर्थात् प्रतिज्ञान लेने के दिन) से वे सदस्य चुने जाते हैं और उनको वहां से वेतन मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि इतने दिनों पहले जो कुछ उन्होंने काम किया वह अवैधानिक था इसलिए उन्होंने जो नेता चुना है वह भी अवैधानिक है। इसलिए उन्हें दूसरा नेता चुनना चाहिये। प्रतिज्ञा लेने के पूर्व उन्होंने जितने भी काम किए वे नाजायज थे इसलिए नाजायज काम को रद्द किया जाय और नये तरीके से नेता का चुनाव किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष:—आप सिर्फ संशोधन के विषय में ही बात चीत करें।

श्री कानसिंह:—मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वह नाजायज काम था ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—अध्यक्ष महोदय कल से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस बिल पर कौन कैसी राय रख रहा है ? खास तौर से विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों के बारे में ऐसा खयाल होता है कि कल कई माननीय सदस्य कम्युनिस्ट हो गये। ऐसा खयाल होने लगा था कि स्कपीर और डिप्टी स्पीकर को कम्युनिस्ट बनाने जा रहे हैं, तो उनके कम्युनिस्ट होने का सवाल नहीं था। मेम्बर्स का जब सवाल आया तब संशोधन कर रहे हैं; जब कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में उनकी दूसरी राय थी। मैं समझता हूं कि कल जो उनकी राय थी, गलत थी। अन्तरात्मा की उनकी क्या आवाज है—यह मैं समझ नहीं पाया।

श्री गोपीलाल यादव:—आन दी पाइन्ट आफ एक्सप्लेनेशन सर, इस चीज पर वोट देने का सवाल दूसरा है। मैंने अपने किसी भी भाषण में कभी यह नहीं कहा कि तनख्वाह कम दी जाय। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के वेतन को कम करने के बारे में मुझ पर यह जो इल्जाम लगाया जा रहा है, गलत है।

मैं उस लावी में तब तक नहीं जा सकता जब तक मेरे साथी मेरे से कोओपरेशन (सहयोग) नहीं करते। जब वे मेरे साथ सहयोग नहीं करते तो मैं सहयोग क्यों करूं।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-कहने में और करने में बहुत अन्तर रहता है; जो कहते हैं उसके मुआफिक करते नहीं। जो सही तरीका हो; जिसको उचित समझें. करें। मैं जो कह रहा था वह यह कि कल जो बहस चल रही थी उसका एक दूसरा ही रूप था; आज उसका रूप कुछ दूसरा ही दिखाई दे रहा है। कई सदस्यों ने कांग्रेस के पं० जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का नाम लेकर त्याग का सवाल किय कि हम तो त्याग करने के लिए तैयार हैं, दूसरी पार्टी वाले क्यों नहीं करते ? इस तरह से कई सवाल उठाये जाते हैं। मैं नहीं समझता कि आज जो हम एक तरफ एक दूसरे दल में हैं उसकी वजह उन बातों को बारबार कह कर किसी बात को जाहिर करना चाहते हैं। जो सैलेरी तय की जा रही है 'सैलेरी'' शब्द होने की वजह से वे एतराज कर रहे हैं। २००) रुपये तय करने का सवाल है; उसमें हरगिज मतभेद नहीं। जो करते हैं उस कार्य के लिये एलाउन्स की भावना है। कई व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो २००) रुपये वगैर काम करें। उनको सेवा का कार्य करना होगा। यह जो मिलता है उससे पूर्ति हो जाती है; यह बात नहीं है। अभी संशोधन पेश करते हुए कहा गया था कि सदन के सदस्य को कितना खर्च करना पड़ता है? कि सारे खर्चे को पूरा करने की दृष्टि से अलाउन्स की तौर पर जो दिया जाता है, शामिल किया जाना चाहिये, यह दृष्टिकोण होना चाहिय ।

संशोधनकर्ता ने कहा है कि हम चपरासी का वेतन १५०) रुपया करना चाहते हैं। उधर बैठे कर ही ऐसी बातें कही जा सकती ही हैं। जब आकर करके दिखावें तब सही माना जा सकता है। कथनी और करनी में बहुत अन्तर हुआ करता है। यह बात को कहना तो बहुत आसान है लेकिन करना बहुत कठिन है। यह सब चीजें बजट के बहस के दौरान में कही जा सकती हैं और कही गई हैं। मिनिस्टरों के कार एलाउन्स के लिए १६००) रुपया मासिक खर्च किया जाता है। इसके लिए मेरा निवेदन है कि इसमें से कुछ भी रुपया मिनिस्टर की जेब में तो नहीं जाता है। सारा का सारा मोटर की रिपेयर में, ड्राईवर के वेतन में, क्लीनर के वेतन में, पेट्रोल आदि में खर्च किया जाता है। इससे यह बतलाने की कोशिश करना कि मिनिस्टरों के पास जाता है गलत तरीके से किसी चीज को रखना है।

कोठियों के बारे में जो कहा गया है, चाहे वह छोटी या मोटी हो, इससे मिनिस्टर को क्या लेना देना है। उसमें किसी मिनिस्टर को व्यक्तिगत तो लाभ नहीं होता, जो उसे लाभ से वंचित किया जाता है। छोटी कोठी हो तो उसमें भी संतोष है; बड़ी है तो उसमें भी सन्तोष है। उसका खास अन्तर नहीं पड़ता।

राजा मानसिंह:-On the point of order, Sir;

We are discussing here the salaries of the .members and not the privileges of the ministers.

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—इस प्रकार की बातें यहां की गई हैं इसलिये उसका उत्तर देने की आवश्यकता महसूस हुई । इन बातों को हमेशा कहा जाता है और बार बार यह कहा जाता है । एक बात यह भी कही गई है कि उन लोगों का गला घोंटा जाता है । माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि आज तक तो ऐसा मौका नहीं आया लेकिन हमारे कुछ व्यक्तियों को उस तरफ बैठाया जाता है । यह खयाल होता है कि विरोधी पक्ष की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि हमारे इस तरफ बैठने वाले व्यक्तियों को कुछ प्रलोभन दिया जाकर उधर खींच लिया जाय ।

विरोधी पक्ष की तरफ से शायद कुछ व्यक्ति इस बात की कोशिश करना चाहते हैं कि इस तरफ बैठने वाले व्यक्तियों को किसी तरह के प्रलोभन की बातें करके अपनी तरफ खींचें । ऐसा कहने पर शायद उस तरफ के लोग यह कहें कि हम सच्चाई का गला घोंटना चाहते हैं । वेतन के सम्बन्ध में जो संशोधन रखा है उसमें सभी का गला घोंट कर..........

एक सदस्य:—आई चेलेन्ज (मैं चुनौती देता हूं) ।

माननीय श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—वेतन के सम्बन्ध में बिल में जो धारा है जिसमें २००) रुपये रखे हुए हैं वह हर पहलू पर विचार करने के बाद रखी गई है क्योंकि जो बातें यहां सदन के सामने रखी जाती हैं उन पर सब तरह से विचार करके जो व्यवहारिक बात होती है वही रखी जाती है । जो सदस्य यहां आवेंगे उनको काम भी करना होता है और उसके साथ साथ उनको समय भी देना पड़ता है । इसके लिये वे कुछ न लें यह व्यवहारिक नहीं होगा । हम ज्यादा से ज्यादा त्याग की बातें करें । मैं कहूंगा कि कार्य का करना वेतन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा । स्टेटस (स्थिति) व्यक्तियों के बहुत ऊंचे हो सकते हैं । व्यक्तियों के पास बहुत धन भी हो सकता है मगर उसके साथ साथ हमको यह भी तो देखना है कि वे जनता की निगाह में किस प्रकार देखे जाते हैं । प्राइवेट प्रेस्टीज (अराजकीयमान) का बढ़ाना कोई महत्व नहीं रखता । किसी व्यक्ति का स्टेटस उसकी सेवाओं पर निर्भर है । हम चुने जाने के बाद में भी सेवा करते हैं ।

इस प्रकार हर पहलू से इसमें वेतन की दर आदि सोच समझ कर रखी गई है । बस इतना ही कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं । इस एमेन्डमेन्ट के सम्बन्ध में हाउस के नेता की तरफ से जो आश्वासन दिया गया है उसके बारे में जो एक बात कहना चाहता हूं वह यह है कि अगर वे वायदा करें कि जो इमोल्यमेन्ट (पारिश्रमिक) इस सम्बन्ध में पंडित नेहरू तय कर देंगे उसी तनख्वाह को मानलें तो मैं अपना एमेन्डमेन्ट वापिस लेने के लिये तैयार हूं ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:- अध्यक्ष महोदय, ज्यादा अच्छा तो यह होता है कि मेरे माननीय सदस्य बिना किसी शर्त के इसको वापिस लेते। मगर जो शर्त उन्होंने रखी है वो ऐसी नहीं जिसको मैं नहीं मानूं। मैं उसे मानने के लिये तैयार हूं। उस हाउस में इस बिल के पास होने के बाद भी अगर प्राइम मिनिस्टर का ऐसा निर्णय हुआ तो मैं उसे हाउस के सामने रखूंगा।

गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, हाउस के नेता ने जो आश्वासन दिया है इस कारण मैं अपने एमेन्डमेन्ट को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

उपाध्यक्ष:—अब सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि जो निम्नलिखित संशोधन श्री गोपीलाल यादव ने प्रस्तुत किया है उसे वह वापस लेना चाहते हैं:—

"In the fourth line of Section 3 of the Bill the words 'three hundred' be substituted for words 'two hundred'."

(वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई)

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, मैं सदन की आज्ञा से अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

उपाध्यक्ष:—चूंकि इस पर जो संशोधन था वह वापिस ले लिया गया है इसलिये अब सदन के सामने प्रश्न प्रस्तुत है कि धारा ३ जो इस प्रकार है:—

"3. Salaries of members:—Every member of the Rajasthan Legislative Assembly who does not hold the office of the Speaker or Deputy Speaker thereof shall be entitled to receive a salary of two hundred rupees per mensem with effect from the date on which he makes and subscribes the oath or affirmation of his office under Article 188, read with Article 238, of the Constitution of India until he ceases to be such member:

Provided that such salary shall be liable to such deduction for continued absence or other causes as may be provided in the rules made by the State Government in this behalf."

बिल का अंग बने

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

इस सेक्शन ३ को इस बिल का अंग स्वीकार किया जाता है।

उपाध्यक्ष:—चूंकि समय थोड़ा रहा है.....

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—वी केन टेक सेक्शन फोर (हम धारा ४ ले सकते हैं)।

माननीय उपाध्यक्ष:-सेक्शन ४ जो इस प्रकार है उसके सम्बन्ध में अब संशोधन लिये जाते हैं:-

"4. *Allowances to Speaker* (1) During the period specified in sub-section (2) of section 2 a Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to a conveyance allowance of two hundred and fifty rupees per mensem.

(2 If during such period the Speaker is required, in the performance of his duties as such, to proceed to some place beyond a radius of five miles from Jaipur, he shall be entitled—

(*i*) to travelling allowance at the same rates as are specified in clause (*a*) of section 6, and

(*ii*) to daily allowance for every day of arrival at or departure from such place at the rate of twelve rupees and eight annas per diem;

Provided that—

(*a*) if such place be Calcutta or Bombay the rate of daily allowance shall be fifteen rupees per diem,

(*b*) no daily allowance shall be admissible if the stay at any such place shall be less than eight hours, and

(*c*) if on one and the same day, more than one such place are visited, daily allowance shall be admissible for stay at only one of such places.

Shri Raja Man Singh:—I would like to make it clear, Sir, that the Speaker of the Assembly shall be entitled to conveyance allowance of Rs. 250/- p. m. Therefore, Sir, under clause 4 of this Emoluments Bill, I beg to move the following amendment:—

"That for clause 4 in the Bill the following may be substituted: —

"Allowance of Speaker — If during the period specified in sub-section (2) of section 2 the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly is required for the purpose of his duties to proceed to some place beyond a radius of five miles from Jaipur, he shall be entitled

(1) to travelling allowance at the same rates as specified in clause (a) of section 6, and

(2) to daily allowance for every day of arrival at or departure from such place at the rate of Rs 2/- per diem: Provided that—

(a) if such place be Calcutta or Bombay the rate of of daily allowance shall be Rs. 4/- per diem,

(b) no daily allowance shall be admissible if the stay at any place shall be less than eight hours, and

(c) if on one and the same day, more than one such places are visited, daily allowance shall be admissible for stay at only one of such places"

I have further made clear in my amendment to clause 6 (a) that for journeys by Rail at the rate of two third class fares be allowed and not as suggested in the Bill for journeys by Rail at one and a half of first class fares. I came across in the autobiography of Mahatma Gandhi that he preferred travelling in third class carriage to come in contact with the common people and also to improve the lot of the third class passengers. It may be said, Sir, that we are not dealing with the third class passengers. But I maintain that these passengers are the same poor people sitting in this House and therefore, we should look to their welfare. To do so, Sir, I feel that the Government should not burden the public by demanding one and a half first class fares for travelling. If he wants to travel with comfort and luxury, he can do so from his own pocket.

For journey partly or wholly by road where there is no railway communication, as./-3/-per mile should be allowed instead of annas 6 per mile. Sir, these figures I have chosen because I feel that our is a poor and backward State and that we should not live at a higher standard than the people we represent.

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—आज ज्यादा बैठ कर यदि इसे खतम करलें तो माननीय सदस्यों को पेमेन्ट हो जायगा; नहीं तो फिर कल पेमेन्ट नहीं हो सकेगा। मेरा निवेदन है कि आज हम आधा घंटा और बैठ जावें।

श्री श्रीदास गोयल:—मैं भी आपके कहने की ताईद करता हूं।

श्री हरिदत्त:—आज इसमें ज्यादा समय लगेगा इसलिये कल के वास्ते रखा जाय तो बहुत अच्छा हो।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—नहीं उपाध्यक्ष महोदय, आज ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज ही खतम कर लें तो अच्छा रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष:—आज इमोल्युमेन्ट बिल पर विचार हो रहा है और क्योंकि जो बिजनेस हाउस के सामने है वह सम्पूर्ण नहीं हुआ है इसलिए कल के दिन और बैठना पड़ेगा। लेकिन आज कुछ समय के लिये विशेष बैठ कर इस बिल को सम्पूर्ण कर लिया जाय तो फिर बकाया काम कल सम्पूर्ण हो जावेगा। वरना फिर ठहरना पड़ेगा; मैं इस पर हाउस के सदस्यों की राय जानना चाहता हूं।

श्री जसवन्तसिंह:—जहां तक इमोल्युमेन्ट्स बिल का सवाल है माननीय मुख्य मंत्री ने जो कहा है उस सम्बन्ध में हमारे इस दल को ऐसी अड़चन नहीं है। हमारे लिये पेमेन्ट लेने का खास महत्व नहीं है। बहस करना है तो हमें अड़चन नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष:—जो संशोधन पेश किया गया है उस पर मेरे खयाल से कोई बोलना नहीं चाहते। इसे सूक्ष्म तौर से किया जायगा तो समय विशेष नहीं लगेगा।

(विराम)

माननीय श्री वेदपाल त्यागी:—इसके बारे में मेरा भी एक संशोधन है। मैं भी उसे पेश कर दूं ताकि ज्यादा समय नहीं लगे।

"For sub-section (1) of section 4 of the Bill the following be substituted:—

(1) During the period specified in subsection (2) of section 2 the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to the use of a State car without payment of hire or any other charges and no charge shall fall on him in respect of the maintenance of such car".

After sub-section (1) of section 4 of the Bill the following sub-section (1) A be added:—

'(1) A— If the Speaker does not avail himself of the use of such car, he shall be paid a conveyance allowance of two hundred and fifty rupees per mensem.' "

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में प्रोविजन रखा गया है कि अध्यक्ष महोदय को २५०) रु० मासिक कार एलाउन्स दिया जाय। जैसा कि विदित है, अध्यक्ष महोदय का स्टेटस मिनिस्टरों के स्टेटस से कम नहीं है बल्कि चीफ मिनिस्टर के बराबर माना जाता है। इसलिये वही सहूलियतें, जो चीफ मिनिस्टर महोदय को मिलती हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय को भी मिलनी चाहिये। इसलिये मैंने यह एन्मेन्डमेन्ट पेश किया है। कल का हाउस का ट्रेंड (झुकाव) देखते हुए मेरे लिए मुश्किल था लेकिन आज की हालत देखते हुए मेरे एमेन्डमेन्ट को स्वीकार कर लिया जायगा; ऐसी आशा है।

राजा मानसिंह:—पोइन्ट ओफ ओर्डर, सरदी एमेन्डमेन्ट देट आई हैव मूव्ड सर एण्ड माई फ्रेन्ड्स एमेन्डमेन्ट आर नोट कान्ट्राडिक्ट्री टू ईच अदर (जो संशोधन मैंने प्रस्तावित किया है और मेरे मित्र ने प्रस्तुत किया है—दोनों परस्पर विरोधी नहीं है) ।

माननीय उपाध्यक्ष:—दोनों पर अलग अलग सम्मति ली जायगी ।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—सेक्शन ४ के बारे में दो एमेन्डमेन्ट—एक राजा मानसिंहजी की तरफ से और दूसरा श्री वेदपालजी त्यागी की तरफ से आये हैं । जो एमेन्डमेन्ट श्री वेदपालजी त्यागी का ह कि अध्यक्ष महोदय के लिये कार भत्ता और ऐड (जोड़ा) किया जावे; उसके मुतल्लिक गवर्नमेन्ट को कोई आपत्ति नहीं है; स्वीकार करती है और उसमें किसी वादविवाद की आवश्यकता नहीं है । जहां तक गवर्नमेन्ट का ताल्लुक है वह इसे स्वीकार करती है ।

श्री जसवन्तसिंह:—हमें दु:ख और आश्चर्य होता है कि इतना भेदभाव हमारे हाउस में बर्ता जाता है । क्योंकि इस वक्त एक एमेन्डमेन्ट को जो कांग्रेस के एक मेम्बर ने पेश किया है उसे तो इस तरह से लिया जाता है और दूसरे ने जो एमेन्डमेन्ट रखा है क्योंकि वह विरोधी पक्ष का है इसलिये उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता है—यह एक अनुचित बात है । यदि यह भेद रखा जाय कि क्योंकि वे कांग्रेस के सदस्य हैं इसलिये इनको डबल वेतन भत्ता देना चाहिये और दूसरों को आधा देना चाहिये तो हमें कुछ नहीं कहना है । इन्होंने वेदपालजी के संशोधन को मन्जूर किया है इसलिये हमें ताज्जुब है । इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल: अध्यक्ष महोदय, दो संशोधन हाउस के सामने इस संबंध में आये थे । एक माननीय राजा मानसिंह का और दूसरा माननीय श्री वेदपाल त्यागी का । इसमें मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र विरोधी दल के नेता को क्यों आश्चर्य हो रहा है । जब सरकार एक संशोधन को जिसको कि वह अपने दृष्टिकोण से उचित समझती है, वास्तविक समझती है, आवश्यक समझती है उसे स्वीकार कर लेती है । यह रिजनेबल (उचित) है । उसमें ऐसी वैसी कोई बात नहीं है जिसे सरकार वरचुअली (वस्तुत:) स्वयं अपने बिल में रखती लेकिन वह किसी तरह से रह गया है । जब कि एक माननीय सदस्य ने उसको सुझाया है तो उसको एक्सेप्ट (स्वीकार) करने में पक्षपात क्यों माना जाता है? यदि कोई रिजनेबल चीज दूसरे पक्ष से भी आयेगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम उसे जरूर मानेंगे । लेकिन बातें ऐसी की जायं; कह कुछ दिया जाय और वोट अन्य प्रकार से दिया जाय और जो बातें कही जायं उनके व्यवहार और तथ्य में कोई संबंध नहीं हो तो सरकार उनका विरोध करेगी । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और न दुख की ही बात है ।

एक माननीय सदस्य:—श्री वेदपाल त्यागी का जो संशोधन है उसे सरकार स्वीकार करती है और दूसरा संशोधन जो है उसका सरकार विरोध करती है ?

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—इट मे बी पुट टू वोट सर (श्रीमान्, इस पर मत लिये जायं)

श्री हरिदत्त:—माननीय अध्यक्ष, एक एमेन्डमेन्ट जो है वह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया है। अब जो दूसरी तरफ का एमेन्डमेन्ट है उसको गंभीरता के साथ दोहराता हूं कि उस पर संगदिल के साथ विचार करने की आवश्यकता है या नहीं। मैंने सदन की जो भावना देखी है वह एक प्रकार से अपनी शानोशोकत को बढाने के लिए है। शायद इसी ख्याल से कि जयपुर का जो टाउन हॉल है वह अपनी इज्जत के लिए, मैं कहूंगा कि एक अच्छा खासा वह बैठने के लिए प्राप्त है। हमें उन गरीब किसानों के यहां जाना है जिन किसानों के वोट लेने के लिए चुनावों में हम. उनके पास पहुंचे थे और उनके साथ बैठकर खाना खाया। हम जानते हैं कि अब वह जिस अवस्था में रह रहे हैं वह अब सुधारने के योग्य है। हम यदि इस उद्देश्य से चलते हैं तो ठीक है। किन्तु यदि हम जिस रास्ते से अभी चल रहे हैं कि अपनी शान बढ़े तो यह ठीक नहीं प्रतीत होता। ठीक तो यह है कि हम हमारे उन गरीब भाइयों और किसानों का जीवन स्तर ऊंचा करें; जिनके साथ बैठकर हमने खाना खाया और उनसे यह प्रार्थना की कि आप हमें इस वास्ते वोट दें कि हम आपका रहन सहन ऊंचा करें। इस बार यदि हम कामयाब हो जाएं तो फिर देखते हैं कि उनके हृदय में हमारा स्थान क्यों नहीं होता? यह हमारी भूल है और हमें इस भूल को सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यदि इस वक्त नहीं सुधार सके तो फिर कब सुधार होगा? राजा मानसिंहजी ने जो प्रस्ताव पेश किया है उसके अन्दर कोई ऐसी भावना नहीं है। मैं इनके विचारों को बचपन से जानता हूं। एक समय था जब कि सन् ४५ से पहले उनकी विचारधारा वही थी जो कि एक कांग्रेस की कही जा सकती है। इतना ही नहीं बल्कि भरतपुर में जो प्रजा परिषद् थी उसने भी इनका नाम दीवान के पद पर उन्हें प्रतिष्ठित करने के लिये तजबीज किया था।

श्री संपतराम—The question is regarding the amendment and not to the previous life of the member.

श्री हरिदत्त:—आइ एम सेइंग दिस विदाउट एनी हिच टू किलियर दी पोजीशन एन्ड शो दी स्पिरिट विद विच दी एमेंडमेंट बाई राजा मानसिंहजी हेज बीन पुट (मैं बिना किसी रुकावट के परिस्थिति को स्पष्ट कर देने के लिये और राजा मानसिंहजी के द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन की भावना को वतलाने के लिये, कह रहा हूं)।

मैं देखता हूं कि उसी भावना को लेकर उन्होंने यह एमेन्डमेन्ट रखा है कि हमारे माननीय स्पीकर हमारे लिये; केवल हमारे लिये ही क्यों वल्कि सारे राजस्थान के लिए माननीय हैं। जब लोग यह देखेंगे कि हमारे माननीय स्पीकर इतने ऊंचे स्थान पर होते हुए भी बजाय फर्स्ट क्लास के थर्ड क्लास में सफर करते हैं तो उनके मन में उनके प्रति इज्जत बढ़ेगी। यह उनका अपमान नहीं है कि वे थर्ड क्लास में सफर क्यों करते हैं। उनकी इज्जत और शान दर असल

में उसी समय होगी जब कि वह तीसरे दर्ज में सफर करें। यह तो हमारे राजस्थान की शान होगी। वह शान भी उसी वक्त होगी जब कि तीसरे दर्जे में वे बैठेंगे। उस समय तीसरे दर्जे में बैठे हुए मुसाफिरों का प्रेम उनके प्रति उमड़ आएगा और वे इस बात का गर्व करेंगे कि हमारे भाग्य विधाता हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ सफर कर रहे हैं। यदि उन्होंने यह मन्जूर कर लिया तो मैं कहूंगा कि हमारे देश के नौजवानों में एक बड़ा अच्छा भाव पैदा हो जायगा। क्या अब भी माननीय अध्यक्ष बावजूद इसके कि यह बिल पास हो जाय फर्स्ट क्लास में सफर करना पसन्द करेंगे और तीसरे दर्जे में सफर करेंगे? मैं समझता हूं कि वह ऐसा जरूर करेंगे। हम अपनी आंखों से ही देखेंगे कि वे इसका स्वागत करते हैं। अगर वे तीसरे दर्जे में सफर करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि तीसरे दर्जे में सफर करने वालों को, जिनसे करोड़ों की आमदनी हमारी गवर्नमेन्ट को होती है, कितने कष्ट हैं।

मैं फर्स्ट क्लास में सफर करने वाला था, लेकिन मैं अब शायद उसे पसन्द नहीं करूं। अब तो मैं देख रहा हूं कि यह मुझे अच्छा लग रहा है। जब से मैं पोलीटिकल साइड में आया हूं तीसरे दर्जे में ही सफर करता हूं। इसलिए मैं अधिक नहीं कहकर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि माननीय राजा साहब ने जो एमेन्डमेन्ट पेश किया है उस पर हमें शान्ति से अवश्य विचार कर लेना चाहिए।

इसके अलावा एक शब्द और कहदूं कि सेक्शन २ के पार्ट 'ए' में यह लिखा है 'ए स्पीकर आफ दी राजस्थान'। मैं ख्याल करता हूं कि 'ए' शब्द मिसप्रिन्ट से आगया है और उसकी जगह 'दी' होना चाहिए। यह एक एमेन्डमेन्ट है परन्तु इसके नोटिस दिये जाने की जरूरत नहीं है। इसको 'दी स्पीकर आफ दी राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली' में जरूर तब्दील कर दिया जाना चाहिए ताकि इंग्लिश का कन्स्ट्रक्शन ठीक हो जाय।

इस भावना को लेकर मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जब भारत के क्रेस्ट (राजचिन्ह) पर यह लिखा है कि "सत्यमेव जयते" तो फिर मैं आपको यह याद दिलाऊंगा कि यही तो सत्य था जिसके बारे में महात्माजी कह गये। यही सत्य था उनके पास; जिसकी पुकार सुनकर हजारों नौजवान शहीद बन गये थे।

हम उनके आदर्शों को सामने रखकर सेवा के पथ पर आगे बढ़ें। आज जब कि हमारे प्रान्त की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है; हमको इस पर विचार करना है। अगर आप ही इस प्रकार का मार्ग अपनायेंगे तो आपके नीचे के छोटे मोटे अफसर, जिनको आप सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं कैसे आगे बढ़ सकेंगे? क्या आप उसी परम्परा को कायम रखेंगे जो हमारे नरेशों ने कायम की थीं? क्या यह ठीक है कि जब आज हमारा किसान झोंपड़ी में रहता है और हम आलीशान बंगलों और कोठियों में रहें; यह हमारे लिए शोभा नहीं देता। हमारे विरोधी दल के नेता ने कांग्रेस पक्ष की भावना से हताश होके कुछ शब्द कहे हैं। वे हताश न हों इसके लिए मैं एक शेर पढ़कर सुनाता हूं "चलो अपना अपना हुनर आजमायें तू तीर आजमां हम जिगर आजमाएंगे" इस तरह से इस सदन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस संशोधन पर विचार करें।

श्री सम्पतराम:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्वान मित्र ने अंग्रेजी पोशाक में महात्मा गांधी के सिद्धान्त का विश्लेषण किया इस बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। जब से असेम्बली का सेशन हुआ तब से अजीब अजीब सदस्य महात्मा गांधी के शिष्य बनने जारहे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। समझ में ऐसा आता है कि महात्मा गांधी की बात को सिर्फ इस पक्ष की बात को काट करने के लिए लिया जाता है; यह कोई अच्छी बात नहीं। माहत्मा गांधी ने अपने देश को ऊंचा उठाने में बहुत कुछ किया इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। मेरे विरोधी भाई इस बात पर अच्छी तरह से सहमत हैं। लेकिन महात्मा गांधी यह कहा करते थे कि फोरिन ड्रेस को छोड़कर अपने यहां की पोशाक पहननी चाहिये।

श्री हरिदत्त:--Sir, this is personal remark and this should not be allowed on the floor of the House. In defence I can say that this does carry some importance and it is why Pt. Jawahir Lal puts on this dress when he visits America and England.

माननीय उपाध्यक्ष:-संबन्धित विषय पर ही बोला जाय; पर्सनल रिमार्क किसी पर न किया जाय।

श्री कंवरलाल जेलिया:-माननीय उपाध्यक्ष महोदय क्या माननीय सदस्य यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पोशाक उन्होंने पहन रखी है क्या वह राजस्थान की पोशाक है।

माननीय उपाध्यक्ष:-ऑर्डर-ऑर्डर

माननीय उपाध्यक्ष:-राजा मानसिंह द्वारा पेश किये गये क्लाज ४ के संशोधनों को एक साथ लिया जाता है।

(संशोधन अस्वीकृत हुए)

माननीय उपाध्यक्ष:--श्री वेदपाल त्यागी ने जो संशोधन पेश किया था उसको गवर्नमेन्ट द्वारा स्वीकार कर लिया गया है फिर भी यह प्रश्न हाउस की सम्मति के लिये रखा जाता है। संशोधन इस प्रकार है:-

"For sub-section (1) of section 4 of the Bill the following be substituted:—

"(1) During the period specified in sub-section (2) of section 2 the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to the use of a State car without payment of hire or any other charges and no charge shall fall on him in respect of the maintenance of such car."

After sub-section (1) of section 4 of the Bill the following sub-section (1) A be added:—

"(1) A. If the Speaker does not avail himself of the use of such car, he shall be paid a conveyance allowance of two hundred and fifty rupees per mensem."

(संशोधन स्वीकृत हुआ)

माननीय उपाध्यक्ष:–संशोधित सेक्शन (धारा) ४ हाउस के सामने इस प्रकार है। अतः प्रश्न यह है कि इस संशोधित धारा को बिल का अंग स्वीकार किया जाय या नहीं।

"(1) During the period specified in sub-section (2) of section (2) the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to the use of a State car without payment of hire or any other charges and no charge shall fall on him in respect of the maintenance of such car.

(1) A—If the Speaker does not avail himself of the use of such car, he shall be paid a conveyance allowance of two hundred and fifty rupees per mensem."

(2) If during such period the Speaker is required, in the performance of his duties as such, to proceed to some place beyond a radius of five miles from Jaipur, he shall be entitled—

(i) to travelling allowance at the same rates as are specified in clause (a) of section 6, and

(ii) to daily allowance for every day of arrival at or departure from such place at the rate of twelve rupees and eight annas per diem :

Provided that—

(a) if such place be Calcutta or Bombay the rate of daily allowance shall be fifteen rupees per diem,

(b) no daily allowance shall be admissible if the stay at any such place shall be less than eight hours, and

(c) if on one and the same day, more than one such place are visited, daily allowance shall be admissible for stay at only one of such places."

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय उपाध्यक्ष:–इस संशोधित सेक्शन ४ को बिल का अंग स्वीकार किया जाता है।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–नाउ सेक्शन ५ मे बी टेकन (अब धारा ५ ली जाय)

माननीय उपाध्यक्ष:--अब सेक्शन ५ पर विचार होगा। इसके लिये जो संशोधन हैं वे प्रस्तुत किये जावें।

राजा मानसिंह:– I will just read out clause Sir.

"Clause 5, sub-clause (1):—During the period specified in sub-section (2) of section 2, a Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly shall be further entitled, without payment of rent or other charge, to the use of a simply furnished house in Jaipur and no charge shall fall on him in respect of the maintenance of such house.

Sub-clause 2 of the same clause:—If the Speaker does not avail himself of the use of a simply furnished house in Jaipur, he shall be paid a monthly allowance of two hundred and fifty rupees."

I would like to move my amendment is this respect Clause 5, sub-caluse 2 of this Bill should be omitted and no further provision should be made for him. It has been inferred by the Treasury benches that the amendments I have put in are for opposition sake. But I would submit, Sir, that I have proposed these amendments having full regard to the sad plight of the masses and to our deficit in the Budget. However, I have heard that there has been a second Congress victory in this House. About these victories I may point out, Sir; that the victory is not over us sitting in these benches, but the victory is over the hungry millions of Rajasthan.

श्री हरिदत्त.--माननीय अध्यक्ष मेरे ख्याल से इस पर एक और एमेन्डमेन्ट है उसको भी पढ़ कर सुनाया जाए।

श्री वेदपाल त्यागी:–अध्यक्ष महोदय, मैं अपने एमेन्डमेन्ट जो इस प्रकार हैं सदन के समक्ष पेश करना चाहता हूं:–

(1) "In line 4 of section of the Bill, the word 'simply' be deleted and the word 'fully' be inserted in its place."

(2) "At the end of sub-section (1) of Section 5 of the Bill the following proviso be added:—

"Provided that he will be liable to pay the excess over Rs. 75/- per month of the charges for the consumption of electricity and the excess over Rs. 25/- per month of the charges for the consumption of water".

(3) "In line 2 of sub-section (2) of Section 5 of the Bill the word 'simply' be deleted and the word 'fully' be inserted in its place".

माननीय अध्यक्ष:-मेरा इस एमेन्डमेंट को पेश करने का मकसद यह है कि हम नहीं चाहते कि माननीय अध्यक्ष महोदय का रुतवा किसी तरह से मिनिस्टर से कम हो। हम नहीं चाहते कि हमारी अध्यक्ष की शान किसी भी तरह से मिनिस्टर से नीचे रखी जावे। क्योंकि मिनिस्टरों की जो तनख्वाह है वह तो अध्यक्ष महोदय को मिलती ही है इसलिये इसमें भी फुल फर्निश्ड हाउस होना चाहिये और इसके लिये मैंने अपना एमेन्डमेंट पेश किया है।

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:—माननीय अध्यक्ष, दफा ५ पर दो संशोधन आये हैं। एक का अर्थ तो यह है कि अगर अध्यक्ष महोदय सरकारी मकान को अपने काम में न लावें तो उनको २५०) रुपये माहवार दिया जाना चाहिये। एक संशोधन जो श्री वेदपाल त्यागी ने रखा है वह यह है कि इस दफा में जो शब्द 'सिम्पल' (साधारण रूप से) है उसको 'फुल्ली' (पूर्णतया) कर दिया जावे जिससे कि मिनिस्टरों को जो सहूलियतें हैं उसके बराबर माननीय अयध्क्ष को भी सहूलियतें मिल जावे। पहली के बारे में यह कहा है कि यह अध्यक्ष का डिस्क्रीशन (स्वेच्छा) होना चाहिये कि वह सरकारी मकान में रहें या किराये के मकान में रहें। यदि वह किराये के मकान में रहें तो उन्हें २५०) रुपये का भत्ता जो मिनिस्टरों को दिया जाता है, दिया जावे। कई मिनिस्टर सरकारी मकानों में नहीं रहते हैं; उनको इस प्रकार का भत्ता दिया जाता है। यदि स्पीकर भी सरकारी मकान नहीं लेना चाहें तो उनको भी २५०) रुपये का भत्ता मिलना चाहिये। इसलिये क्लॉज २ का रहना जरूरी है। इसलिये यह तो पास होना चाहिये। दूसरा संशोधन जो राजा मानसिंह ने रखा है वह पास नहीं किया जाना चाहिये। और जो संशोधन श्री वेदपाल त्यागी ने रखा है जो सिर्फ इसलिये है कि मिनिस्टरों को फुल्ली फर्निश्ड् हाउस मिलता है उसी प्रकार स्पीकर को भी मिलना चाहिये, उसको स्वीकार कर लिया जावे।

श्री जसवन्तसिंह:—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि हम पहले से ही आशा करते थे, वास्तव में वैसा ही हुआ। जो रवैया अभी हमारे प्रति प्रदर्शित किया है उसको हम कभी नहीं भूल सकेंगे। हमारी तरफ से जो भी आपत्ति उठाई जाती है उसको, चाहे वह सही हो, उसका विचार नहीं किया जाता है और अपने बहुमत का फायदा उठाया जाता है। मगर मैं यह कहूंगा कि हमको पब्लिक

(जनता) का हित देखना चाहिये । जनता जनार्दन है; वह बहुत बड़ी चीज है। वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी । आप भले ही ४-५ साल तक, चूंकि आपका बहुमत हैं, फायदा उठालें । उनको भी परमात्मा हैं । वह उनका ध्यान देगा ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–यह बड़े अफशोस की बात है कि विरोधी दल के नेता ने बिना कोई तथ्य की बात कहे दूसरी बार पुनः भड़काने की कोशिश की है । बहुत सीधी सी बात है कि मिनिस्टरों को जब फुल्ली फर्निश्ड बंगले दिये जाते हैं इसलिये कोई कारण नहीं है कि इस तरह का मकान अध्यक्ष महोदय को भी नहीं दिया जाय । यदि यह मिनिस्टर्स के लिये लग्जरी है तो मिनिस्टर्स के पास भी नहीं रहने चाहिये । ऐसी हालत में मैं माननीय मित्र को याद दिलाऊंगा कि वे खुद जब मेरे साथ मंत्री थे तब सरकार के सामने एक दिन भी उन्होंने इस बात का एतराज नहीं किया कि उन्हें जो बंगला मिला था उस पर भी जनता जनार्दन का रुपया खर्च हुआ था और वह फालतू था । क्या उस बंगले पर जनता जनार्दन का पैसा खर्च नहीं हुआ था या वह बीकानेर से लाकर यहां रखा गया था ? उस पर जनता जनार्दन का ही पैसा खर्च हुआ था लेकिन मेरे मित्र ने उसे लेने से इन्कार नहीं किया और मैं जानता हूं कि कल यदि मौका आजाय और हमारी जगह वे आ जायेंगे तो जनता जनार्दन का पैसा इस तरह खर्च होने से वे रुकावट नहीं डालेंगे । इस तरह से भावनाओं को भड़का कर राजनैतिक उद्देश्य हासिल करना एक अन्याय है । यह राजनैतिक ईमानदारी नहीं है । जिस तरह से भी व्यवहारिक हो उसी तरह से चलना चाहिये । यह समझदार व जिम्मेवार लोगों का सदन है । इस तरह के नारे लगाने से काम नहीं चल सकता । इस तरह के नारे पब्लिक मीटिंग्ज में लगाकर लोगों को भड़काया जा सकता है । लेकिन यहां आने वाले लोग तथ्यों को और वास्तविकता को जानते हैं इसलिये यहां के लोगों को नहीं भड़काया जा सकता; इस प्रकार का प्रयत्न करना शोभा नहीं देता ।

श्री जसवन्तसिंह:—मैं जो स्पष्टीकरण करना चाहता हूं वह यह है कि नारे लगाने की कोई बात नहीं है । यह देखा गया है कि जो बात कांग्रेस दल की ओर से आती है उसे अच्छा समझ लेते हैं और जो बात विरोधी दल की तरफ से आती है, चाहे वह कितनी ही अच्छी हो, गलत समझी जाती है । इसलिये हमारा प्रोटेस्ट करने का हक है ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–यहां पर कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है। अध्यक्ष "अध्यक्ष" ही हैं; वे न कांग्रेस के हैं और न विरोधी दल के ।

श्री गोपीलाल यादव:–मैं इस हाउस के नेता को बताना चाहता हूं कि यदि यह रिजनेबल (उचित) है तो वे यह जरूर मानेंगे कि उन्होंने अयोग्यता से काम किया है । वे योग्य नहीं हैं ।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:–ठीक है इस हद तक मैं अयोग्यता को स्वीकार करता हूं; यदि आपको उससे संतोष मिलता है । -

श्री हरिदत्त:–मैं न बातों की ओर नहीं जाऊंगा · ·

श्री वेदपाल त्यागी:--आपत्ति: सरकार की तरफ से जवाब देने के बाद बहस चालू रखना कहां तक उचित है ?

माननीय उपाध्यक्ष:–अभी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।

श्री हरिदत्त:--सदन की जानकारी के लिये यह अर्ज करना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय श्री त्यागीजी का प्रश्न था मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जिस रूप में उसे रखा है उसके बारे में, जहां तक मुझे जानकारी है, यदि किसी को मकान गवर्नमेन्ट की तरफ से दिया जाता है तो उसको डिस्क्रिश्नरी पॉवर (अधिकारस्वेच्छा) नहीं दी जाती कि या तो वे मकान लें या 'इन ल्यु ओफ दी हाउस' (मकान के बदले) उनको कुछ रकम दी जाय; जैसा कि इस बिल के सेक्शन ५ की सब सेक्शन २ में डिस्क्रिश्नरी पोवर अध्यक्ष महोदय को दी गई है । यह अजीब सी बात है। यदि उन पर कृपा करनी है और माननीय मंत्रियों से उन्हें ऊंचा रखना है तो मैं कहूंगा कि हमारे यहां राजस्थान में ऐसे मुलाजिम भी हैं जिन्हें ३ हजार रुपये माहवार तनखा मिलती है । वे माननीय मंत्रियों और माननीय स्पीकर से दर्जे में नीचे हैं । जो पब्लिक सेवक हैं उनके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें बिजली और पानी का भी खर्चा दिया जाय । आज यह खर्चा देंगे तो कल बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, रहन सहन आदि का खर्चा भी दे सकते हैं। यह आपके मर्जी की बात है। लेकिन इसकी कहीं तो लिमिट होनी चाहिये। मैं इसका विरोध करता हूं। यदि वे मकान लेना नहीं चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिश्नरी पोवर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कोई कमाई का सीगा नहीं है । इस तरह का एमेन्डमेन्ट रखने वाले महानुभाव यह सोचें कि स्पीकर महोदय का महत्व सिंपलीसिटी से बढ़ेगा न कि बादशाहत दिखाने से । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष:–अब क्लाज ५ पर जो संशोधन राजा मानसिंहजी ने पेश किया है उस पर सदन की राय ली जाती है ।

(संशोधन अस्वीकृत)

माननीय उपाध्यक्ष:–इसके बाद श्री वेदपाल त्यागी के संशोधन हैं । इस सम्बन्ध में पहले सम्मति ली जायगी । जो श्री वेदपाल त्यागी ने क्लाज ५ पर एमेन्डमेन्ट रखे हैं उन सब पर एक साथ सम्मति दी जाए ।

(संशोधन स्वीकृत हुए)

श्री वेदपाल त्यागी के जो संशोधन हैं उन्हें हाउस ने स्वीकार कर लिया है और संशोधित क्लाज ५ जो इस प्रकार है इस संबंध में हाउस के सम्मुख प्रश्न प्रस्तुत है:–

"5. *Residence of Speaker*—(1) During the period specified in sub-section (2) of section 2, a Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly shall be further entitled, without payment of rent or other charge, to the use of a fully furnished house in Jaipur and no charge shall fall on him in respect of the maintenance of such house:

Provided that he shall be liable to pay the excess over Rs. 75/- per month of the charges for the consumption of electricity and the excess over Rs. 25/- per month of the charges for the consumption of water.

(2) If the Speaker does not avail himself of the use of a fully furnished house in Jaipur, he shall be paid a monthly allowance of two hundred and fifty rupees."

(संशोधित धारा स्वीकृत हुई)

माननीय उपाध्यक्ष:-संशोधित धारा ५ बिल का अंग स्वीकार की गई ।

माननीय उपाध्यक्ष:-अब क्लाज ६ लिया जाता है । इस पर जो संशोधन हैं उनको राजा मानसिंह पेश करेंगे ।

Shri Raja Man Singh:—Mr. Speaker, Sir, Clause 6 deals with allowances to Deputy Speaker and members and to that clause I have put in an amendment. According to this clause 6 (a) may be substituted as:—

"Travelling allowance—

(1) for journeys by rail @ two third class fares.

(2) fares for journeys wholly or partly by road, where there is no railway communication @ as./3/- per mile.

Clause 6 (b) of the Bill may be omitted."

श्री हरिदत्त:-माननीय अध्यक्ष, इस विषय पर काफी कहा जा चुका है। इस पर ज्यादा न बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि यह तो माना जाना चाहिए ।

श्री गोपीलाल यादव:-माननीय अध्यक्ष, मैं चाहता था कि मैं अपने एमेन्डमेन्ट मूव नहीं करूं, लेकिन मेरे लायक माननीय मिनिस्टर साहब ने और हाउस के नेता ने श्री वेदपाल त्यागी के दो एमेन्डमेन्ट स्वीकार करते हुए कहा कि अगर कोई रीजनेबल (उचित) अमेन्डमेन्ट दूसरी तरफ से प्रस्तुत हों तो हमें एतराज नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा रीजनेबल एमेन्डमेन्ट और क्या हो सकता है ?

इसलिए मैं उनकी पक्षपातहीनता को टेस्ट करने के लिए इस एमेन्डमेन्ट को रखता हूं। मेरा यह एमेंडमेंट इस प्रकार है।

"In sub-section (b) of section 6 of the Bill the words" 'twenty rupees' be substituted for the words 'twelve rupees and eight annas'."

माननीय अध्यक्ष, मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह २०) मैंने क्यों बढ़ाये हैं। फ़र्स्ट क्लास गवर्नमेन्ट सर्वेन्टस और मिनिस्टरों को जो एलाउन्स दिया जाता है वह १२।। रु० रोज है। जब उनको १२।। रोज ही देते हैं तो मैं २०) रु० रोज क्यों बता रहा हूं ? १२।। रु० रोज के साथ उनको सरकारी सरकिट हाउस यानी डाक बंगले में स्थान फ्री (निःशुल्क) मिलता है; साथ ही उनके अर्दली भी जाते हैं जिनको तनख्वाह भी मिलती है और डेली एलाउन्स भी। यहां पर जब हम आयेंगे तो मकान फ्री (निःशुल्क) नहीं देते हैं। अगर मकान फ्री नहीं दिया जाय तो हमको होस्टल में एक एक अर्दली ही प्रोवाइड किया जांय। इस ओफर के साथ में अपने एमेन्डमेन्ट को वापिस लेने को तैयार हूं; अगर मकान फ्री देंगे, चाहे वह एक ही कमरा हो, और होस्टल में अर्दली रखेंगे क्यों कि हमें सब को पानी पीने या और कोई चीज मंगाना हो तो खुद को जाना पड़ता है। कम से कम उस होस्टल में ५--७ अर्दली का इन्तजाम हो। यह एक रीजनेबल (उचित) चीज है। यदि गवर्नमेन्ट पक्ष की तरफ से वे स्वीकार करने को तैयार हों तो मैं इस एमेन्डमेन्ट को वापिस लेने को तैयार हूं। इसको भी अगर वे रिजनेबल नहीं मानते हैं तो रिजनेबलनेस की परिभाषा वही है जो कि उस पक्ष से आती है।

माननीय श्री टीकाराम पालीवाल:—माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा उसको रखने का उनको अधिकार था। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि मैंने यह कहा था कि यदि कोई रीजनेबल चीज दूसरे पक्ष से भी आयेगी तो हम उसको मानेंगे। उसको निगाह में रखते हुए, उसको दोहराते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वे अपने इस २० रु० वाले संशोधन को रीजनेबल मानते हैं और चाहते हैं कि सरकार भी उसको रीजनेबल मान ले। अपना अपना दृष्टिकोण है। अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनका दृष्टिकोण यह बना हुआ है कि कुछ नहीं लें; वह रीजनेबल है और कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनका दृष्टिकोण यह बना हुआ है कि जो कुछ हो, जितना अधिक आये वही ज्यादा रीजनेबल है। सरकार को रीजनेबलनेस के स्टेन्डर्ड का इसके बीच में अपना निर्णय करना पड़ता है और वह सरकार ने किया। इसलिए इस तरह से एक चीज जो कि सरकार की दृष्टि से अनरीजनेबल समझी जाय वह उनकी दृष्टि में रीजनेबल हो। लेकिन सरकार इसको रीजनेबल नहीं मानती है। इसलिए इस संशोधन को मानने से सरकार असमर्थ है।

यह वाकई जरूर है कि होस्टल में सर्विसेज (सेवाओं) का अधिक अच्छा प्रबन्ध होना चाहिए। वह हो जायगा। पानी वगैरह की जो दिक्त है वह वास्तव में अगर है तो सरकार उसे पूरा करेगी। पानी आदि का इन्तजाम किया जायगा; मैं यह आश्वासन देता हूं।

एक माननीय सदस्यः--वॉट एबाउट हाउस रेन्ट (मकान किराये का क्या) ?

दूसरा माननीय सदस्यः--वेजीटेबल घी मिलता है वह बन्द हो जाय तो गनीमत है।

श्री दामोदरलाल व्यासः--रूम रेंन्ट के सम्बन्ध में भी आश्वासन मिल जाता तो ठीक था।

माननीय श्री टीकाराम पालीवालः--रेन्ट के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

श्री गोपीलाल यादवः--अध्यक्ष महोदय, हाउस के नेता ने जो आक्षेप मेरे ऊपर लगाये हैं उसके लिए तो मैं प्रोटेस्ट करता हूं। उन्होंने यह कहा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि जो कुछ आये सो ठीक हैं। इसको तो लोग जानते हैं कि कौन क्या चाहता है। जो कुछ कहना है वह मैं थोड़े से में ही बता देना चाहता हूं। इस प्रस्ताव को रखने से कोई आने वाली चीज नहीं हैं। मैं तो सिर्फ "इसको रीजनेबल समझता हूं" यह बताने के लिए मैं यह ले आया था। जब उनके मित्रों को समर्थन मिला और जब कि हाउस के नेता ने एकाध शब्द इस प्रकार कह दिये तो मैं ले आया। अगर वह पहले ही कह देते तो मैं इसे कदापि नहीं रखता। अतएव मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्षः--हाउस के सामने प्रश्न यह है कि श्री गोपीलाल यादव अपने प्रस्ताव को वापिस लेना चाहते हैं। जिसकी उनको इजाजत दी जाय ?

(वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई)

श्री गोपीलाल यादवः--हाउस की स्वीकृति से मैं अपना एमेन्डमेन्ट (संशोधन) वापिस लेता हूं।

माननीय उपाध्यक्षः--अब सिर्फ राजा मानसिंहजी के जो संशोधन हैं वह हाउस के सामने राय के वास्ते रखे जायेंगे। क्लाज ६ में जो संशोधन आपका दिया हुआ है उन संशोधनों के सम्बन्ध में राय दी जाए:--

(संशोधन अस्वीकृत हुआ)

माननीय उपाध्यक्षः--अब जैसा कि यह मूल क्लाज है वह इस एक्ट में अंग रूप से स्वीकार करने के लिए हाउस के सामने इस प्रकार है उस प्रस्ताव पर राय दी जाए:--

6. *Allowances to Deputy Speaker and members*:—Subject to such conditions and restrictions as may be pescribed by rules made under this Act, a Deputy Speaker and every other member of the Rajasthan Legislative Assembly, who does not hold the office of the Speaker thereof; shall be entitled to receive, for his

attendance required in connection with his duties as such Deputy Speaker or member, as the case may be:—

(a) travelling allowance:—

(*i*) for journeys by rail, at the rate of one and a half first class fares, and

(*ii*) for journeys wholly or partly by road, where there is no railway communication, at the rate of six annas per mile, and

(b) daily allowance at the rate of twelve rupees and eight annas per diem:

Provided that on sum no account of any such allowances shall be paid to a member before he has made and subscribed the oath or affirmation of his office prescribed by Article 188, read with Article 238, of the Constitution of India.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय उपाध्यक्ष:–धारा ६ मूल रूप से बिल का अंग स्वीकार की गई।

Shri Raja Mansingh:—There are two other amendments that I have put forward and they are that.—

(1) "After clause 6 of the Bill the following clause may be inserted as clause 6 A:—

'*Officiating allowance of the Deputy Speaker*:—An allowance of Rs. 15/- per diem shall be paid to the Deputy Speaker during period he officiates for the Speaker'.

(2) After clause 6 A of the Bill the following Clause may be inserted as clause B:-

'Every member of the Rajasthan Legislative Assembly shall be entitled to free Government Bus Transport to and from his residence and Assembly House'."

with regard to these two above amendments, sir, I request that I may be permitted to withdraw them.

उपाध्यक्ष:–यह संशोधन चूंकि प्रस्तावित नहीं हुए हैं फिर भी संशोधक महोदय इनको वापिस लेना चाहते हैं; इसलिए इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष:–Now there is no amendment on any of the remaining sections of the bill. As such each of the remaining Sections are .takens.

(विराम)

माननीय उपाध्यक्ष:—The Question is that Clause 7 which runs as under stand part of the Bill:—

"7. *Speaker not to practise profession etc.*—A Speaker for the time being of the Rajasthan Legislative Assembly shall not during his tenure of that office, practise any profession or engage in any trade or undertake for remuneration any employment other than his duties as such Speaker."

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ) ।

माननीय उपाध्यक्ष:–Clause 7 is added to the Bill,

(विराम)

माननीय उपाध्यक्ष:–The question is that clause 8 which runs as under stand part of the Bill.

8. *Rules* –(1) The State Government shall, by notification in the Rajasthan Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules shall—

(*a*) prescribe the conditions and restrictions subject to which daily allowance may be drawn;

(*b*) prescribe the conditions under which and the journeys for which travelling allowance may be claimed;

(*c*) specify the circumstances in which and the extent to which the salary of a member may be deducted; and

(*d*) lay down such other matters as may be or are required to be prescribed by this Act".

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ) ।

माननीय उपाध्यक्ष:–Clause 8 is added to the Bill.

(विराम)

माननीय उपाध्यक्ष:–The question is that clause 9 which runs as under stand part of the Bill:—

9. *Savings:*—Nothing in this Act or in the rules made thereunder shall—

(*a*) apply to a member of the Rajasthan Legislative Assembly who holds the office of a Minister or a Deputy Minister or a Parliamentary Secretary in the State of Rajasthan, or

(*b*) prevent any officer or member of the Rajasthan Legislative Assembly from receiving or being entitled to receive in addition to the salaries and allowances to which he is entitled under this Act, any pension, allowance or salary lawfully permissible to him as a retired Government servant or otherwise.'

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)।

माननीय उपाध्यक्ष:–Clause 9 is added to the Bill.

माननीय उपाध्यक्ष:–The question is that clause 1 which is as under stand part of the Bill.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)।

माननीय उपाध्यक्ष:–Clause 1 is added to the Bill.

(विराम)

माननीय उपाध्यक्ष:–The question is that the preamble and the enacting forumla which run as under stand part of the Bill.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

माननीय उपाध्यक्ष:–The preamble and the enacting forumla are added to the Bill.

माननीय श्री रामकिशोर व्यास:–I beg to move that the Bill be passed.

माननीय उपाध्यक्ष:—The question is that the Bill be passed.

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

The bill is Passed

(विराम)

अब कल ८।। बजे तक के लिये सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक तारीख २३-४-५२ के ८।। बजे तक के लिये स्थागित हुई)।

टाउन हॉल
जयपुर
२२ अप्रेल, १९५२

मनसाराम पुरोहित,
सचिव,
राजस्थान विधान सभा,
जयपुर.

परिशिष्ट १

अल्प-काल सूचना प्रश्न (प्रश्न संख्या ४८)

श्री चांदमल मेहता:–(कृपया पृष्ठ ६ देखिये)

क्या माननीय उद्योग मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

क्या माननीय उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

१. क्या राजस्थान में ऊन के औद्योगिक कारखाने ऊन पर लगाये गये बिक्री कर की वजह से बंद है ?

२. ऐसे कारखानों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या सोच रही है ?

उत्तर

At present there is no sales tax in Rajasthan. Therefore, no industrial establishment is lying closed on account of the burden of sales tax. The question appears to have been based on wrong information.